राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ४१वां दिवस [संख्या ३०

सोमवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, राजस्व, पंचायत, समाज कल्याण, शिक्षा, देवस्थान, वित्त, आबकारी, श्रम एवं वन–विभाग]

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्दसहाय !

सवाई माधोपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

७१६. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के आयुर्वेद औषधालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं है ? यदि हां, तो कितने औषधालयों में ? तथा आज तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

उप–मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, सवाई माधोपुर जिले के ८० जिला बोर्ड औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं। औषधालयों के समानीकरण का प्रश्न सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें यह प्रस्तावित है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह कब तक प्रावधान कर दिया जाएगा ?

श्री दौलतराम सारण : शीघ्र ही किया जा रहा है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग हुआ है सन् १९५९ में, मगर अब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उन औषधालयों में व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री दौलतराम सारण : विलंब तो हुआ ही है लेकिन अब जल्दी कर रहे हैं।

Page No 2

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : कितना समय और लग सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जल्दी, की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : क्या इस श्रेणी के औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रखने के लिये निर्णय ले लिया गया है या अभी लिया जाना है ?

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई है और यह मामला उस कमेटी के विचाराधीन है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : सन् १९५९ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग हुआ है । ७ वर्षों से यह मामला चला आ रहा है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया यह बता दें कि दो महीने, चार महीने या ६ महीनों में इसका निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : वहां पर वैद्य और उप-वैद्य तो हैं, मगर फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं हैं और उनको देने के लिये हम चेष्टा कर रहे हैं । शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसील रामगंज मंडी के पंचायत सर्किल रीछड़िया में कृषि भूमि पर अवैध कब्जा

७१७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील रामगंज मंडी के पंचायत सर्किल रीछड़िया में जोधपुरा गांव में बन्दोबस्त विभाग द्वारा वन भूमि के नाम से प्रविष्ट की गई भूमि में कोई वन उपज नहीं है तथा वर्तमान में इसका मेन्टीनेन्स वन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ?

(२) क्या सरकार इस कृषि योग्य वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करेगी तथा उन अतिक्रमणकारियों के कब्जे नियमित करेगी जो ३१ दिसम्बर, १९६१ से पूर्व से इस भू-भाग पर अधिकार किये हुए हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां । परन्तु खसरा नं० ३९६।९६२ नहीं था जिसका रकबा ६।।२ था जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौका की सूरत के मुताबिक वन विभाग के नाम दर्ज हुआ; इस भूमि के बारे में कोई नोटिस बेदखली तहसील द्वारा उसको नहीं दिया गया ।

(२) जी हां । वन विभाग के नाम अंकित भूमि में ६ व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया जिनको बेदखली का नोटिस दिया जाकर बेदखल किया जा चुका है ।

(अ) जी हां । इस भूमि में कुछ बीड़ घास व कुछ पेड़ हैं ।

(ब) जी हां । अतिक्रमियों का कब्जा नियमन करने पर विचार का प्रश्न इस भूमि के राजस्व विभाग में परिवर्तन होने के पश्चात् ही पैदा होगा ।

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(स) बन्दोबस्त का इन्द्राज मौके की सूरत के मुताबिक किया गया था इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जिन ६ आदमियों के नाम लिये उनमें ऐसे भी थे जो सेटलमेंट होने से पहले से खातेदार थे और सरकारी कर्मचारियों की गलत एन्ट्री की वजह से उनके नाम हटा दिये गये और इसलिये उनको जमीन नहीं मिली ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह मंजूर किया है कि रघुनाथ नाम के आदमी के नाम इन्द्राजात थे । लेकिन उसके बाद में जब फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेटलमेंट किया तो वह जमीन उसके नाम पर नहीं रखी और उसने इसके लिये कोई एतराज पेश नहीं किया । अब यह वन विभाग के अन्तर्गत है । राजस्व विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैंने इसका जवाब आपको दिया है ?

श्री जुझारसिंह : रघुनाथ की औरीजिनल जमीन का क्या होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह डाइरेक्ट क्लेम वन विभाग और रघुनाथ के बीच में है । आपने रेवेन्यू विभाग से सारी जानकारी चाही । हमने इसको वन विभाग से जानकारी करके आपको देने की कोशिश की है ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है । कोई व्यक्ति किसी जमीन पर वर्षों से रहते हैं और किसी की गलती से उस व्यक्ति को उसके खेत से हटा दिया जाता है और फोरेस्ट की लेंड डिक्लेअर कर दी जाती है, यह उचित नहीं है कि वे किसी तरह से अपने राइट को एस्टेबलिश न करें । आपने कई लोगों को इस तरह से रोंग टाइप से जमीनें डिक्लेअर की हैं और इसके कई केसेज़ चल रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारी गलती के कारण यह हुआ है, तो क्या सरकार उनको वापिस ठीक नहीं करेगी ? वे लोग अपनी नासमझी के कारण उस गलती को ठीक नहीं करा सके हों तो क्या अब सरकार उनको जमीन नहीं देगी और गलती को दुरुस्त नहीं करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं ज्यादा से ज्यादा यह करूंगा कि आपके ओब्ज़र्वेशन्स, जो नोटिस में आये हैं उनको फोरेस्ट विभाग के पास पास-ओन कर दूंगा; क्योंकि यह फोरेस्ट के अन्तर्गत आता है । मैं इन ओब्ज़र्वेशन्स को फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पास-ओन कर दूंगा ।

श्री जुझारसिंह : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि यह रेवेन्यू विभाग से उनको मिलना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फोरेस्ट का सेटलमेंट अलग हुआ है । यह रेवेन्यू की गलती नहीं है । आपने प्रश्न रेवेन्यू विभाग को पूछा और हमने, बजाय इसके कि इसको पोस्टपोन करते, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज कर इसका हमने जवाब मंगा कर आपको दे दिया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार ने उन लोगों को जो इफेक्टेड थे पहले इसके लिये नोटिस दिये...?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम बोरदा चौकी में पिछड़ी जाति के परिवार वालों के लिए नई कोलोनी का निर्माण

७१८. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां पंचायत समिति क्षेत्र के गांव बोरदा चौकी में पिछड़ी जाति के परिवार वालों के लिये नई कोलोनी बनाने के लिये कुल कितना रुपया किस तारीख को दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि नई कोलोनी अभी तक नहीं बनी है ? यदि हां, तो किस कारण से और अब कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) पिछड़ी जाति व अन्य गांव वालों को नई कोलोनी बनाने के लिए कुल १६,०००) रु० सन् १९६१ व १९६२ में दिया गया ।

(२) जी हां । भूमि अवाप्ति की कार्य-वाही पूरी न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

श्री दयाचन्द सोन : कितने मकान बनाने का प्रावधान था ?

श्री दौलतराम सारण : ५३ आदमियों को यह ऋण दिया गया था ।

श्री दयाचन्द सोन : प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : रूरल हाउसिंग स्कीम के अनुसार प्रति व्यक्ति जो दिया गया है वह सूची में अंकित कर दिया है ।

श्री दयाचन्द सोन : आपने बताया कि कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । क्या आस पास भी कोई भूमि उपलब्ध नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : आस-पास भूमि उपलब्ध है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं । मगर जिन लोगों की भूमि थी उनसे १२५) रु० बीघा में लेने का तय किया था और उन्होंने देने के लिये तय कर दिया था और बाद में उन्हें देने से इंकार कर दिया और उसके बाद भूमि अवाप्त की कार्यवाही की गई । अब यह अंतिम रूप से तय हो गया है और एवार्ड दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह के रुपयों का वितरण करने से पहले क्या सरकार को यह देखना जरूरी है या नहीं की जमीन है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह देखना तो जरूर चाहिये कि जमीन है या नहीं । जमीन होगी तभी तो कोलोनी हो सकती है, लेकिन खातेदारों से पहले तय किया था कि १२५) रु० फी बीघा पर जमीन वे दे देंगे, लेकिन बाद में कुछ मुकर गये और

(श्री दौलतराम सारण)

इसलिए दूसरी प्रोसिडिंग अवाप्त करने की करनी पड़ी ।

श्री दयाचन्द सोन : बारां में भी हरिजन कोलोनी के रुपये थे वे लेप्स हो गये । यहां आपने चुनावों में लोगों को आश्वासन दिया था । वहां पर लोगों ने कुए खुदवा लिये ।

श्री अध्यक्ष : अब आप जाकर कह दें कि हमने आपके लिए मकान बनाये हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या सरकार हरिजनों के बारे में गंभीरता से विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अवश्य ।

नेक्स्ट ।

हरिजन सेवक संघ

७१९. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में हरिजन सेवक संघ नाम से संस्था है ?

(२) इस संस्था को सरकार द्वारा कितना रुपया सालाना किन किन कामों के लिये सहायता का दिया जाता है ? गत पांच सालों के आंकड़े भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) यह संस्था राज्य में कब से कार्य कर रही है ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उस काम को अब तक कितना पूरा कर लिया गया है व कितना बाकी है ? बाकी काम को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन सेवक संघ को अस्पृश्यता निवारण छात्रावास व प्रोढ़शालाएं चलाने हेतु सहायता दी जाती है । गत ५ वर्षों में उक्त कार्यों के लिए दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह संस्था सन् १९५१ से राज्य में कार्य कर रही है । इस संघ के मुख्य उद्देश्य उसके विधान में अंकित हैं जिसके अनुसार अस्पृश्यता एवं तज्जय नियोगिताओं का निराकरण करना है और अनुसूचित जातियों के लोगों को समाज के अन्य उन्नत वर्गों के समकक्ष लाना है । अस्पृश्यता निवारण के कार्य में संघ को काफी सफलता मिली है । सदियों पुरानी राष्ट्रव्यापी समस्या के पूर्ण हल और लक्ष्य प्राप्ति के लिये तिथि, आंकड़े निर्धारित करना संभव नहीं है । यह हृदय परिवर्तन का कार्य है जिसकी प्रगति आंकड़ों में सम्भव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने बताया कि आंकड़ों में प्रगति संभव नहीं है लेकिन आपदे क्यां इसका सर्वे कराया

Page No 6

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कि जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते थे, पहुंचे या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हमने प्रयत्न तो किये हैं और प्रगति हुई है, लेकिन उसको आकड़ों में बताना संभव नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इस प्रगति को कितना प्रतिशत मानते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : जब सरकार किसी संघ को सहायता देती है तो उसकी रिपोर्ट भी प्रगति की आनी चाहिये। प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आती है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट छपती है। और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये जो उन्होंने कार्य किये हैं वे सदन की मेज पर रखे गये हैं। ये सब आपके समक्ष पेश किये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कागज दिया है, इसमें सिर्फ ५ आइटम्स दिये हैं: इसमें और कुछ भी इस बारे में नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कई दफा यह प्रश्न सदन में आया है, इस तरह की गैर सरकारी संस्था जिसका जुदा विधान है, उसको कहां तक हम इस सदन में डिस्कस कर सकते हैं, अगर कहीं फंड्स का मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है और कोई इर्रेगुलेरिटीज हुई हैं तो माननीय सदस्य उसके सदस्य बन जावें और वहां यह प्रश्न उठायें।

श्री जयनारायण सालोदिया : यहां यह कहा गया है कि प्रगति हुई है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना लाखों रुपया इस पर खर्च होता है तो उससे क्या प्रगति हुई है, इतने लाखों रुपये की क्या उपयोगिता है ?

श्री अध्यक्ष : एक रजिस्टर्ड संस्था है, कुछ उद्देश्यों से काम कर रही है, उसमें सरकार ग्रान्ट देती है, ठीक तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह आपके देखने की बात है। आप सदस्य बन जाइये। सदस्य बन कर वहां यह सब कुछ देख सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ढाई लाख रुपया इस पर खर्च होता है तो काम तो होना चाहिये। हृदय परिवर्तन तो वैसे ही हो सकता है, पर इतनी बड़ी धन-राशि खर्च की जाती है; आखिर उसकी उपयोगिता क्या है, इस धनराशि के खर्च करने से क्या प्रगति हुई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सरकार को इसकी प्रगति से पूर्ण संतोष है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वह संतोष किस रूप में प्रस्तुत होता है? जो फंड्स अलॉट होते हैं, उसको चैक-अप करने की मशीनरी सरकार ने लगा रखी है क्या जो यह देखे की जो फंड्स अलॉट होते, उनका कहीं मिसयूज तो नहीं होता है?

Page No 7

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हर एक रजिस्टर्ड संस्था के अकाउन्ट का ऑडिट होता है, ऑडिट् रिपोर्ट से सब पता चलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें केवल ऑडिट से ही काम नहीं चलेगा, आपका कोई ऑफिसर यह सब कुछ चैक-अप करके रिपोर्ट करता है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऑडिट रिपोर्ट से सब साफ हो जाता है।

(ऑडिट रिपोर्ट विस्तृत होने के विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : ढाई लाख रुपया ५ साल में राजस्थान सरकार का खर्च हुआ है उससे कितने प्रतिशत हरिजन आगे बढ़े हैं, इसके आंकड़े सरकार को रखने चाहिये।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सू०) : मंत्री कौन हैं हरिजन सेवक संघ के ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मालूम है।

श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' : मुझे तो मालूम है, पर मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। उदयपुर भीलवाड़ा में इसका जीप का परमिट भी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : संघ के मंत्री महोदय के भाई की शादी में संघ की जीप इन्दौर गई थी और एक्सीडेन्ट हो गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : संघ की जीप का अपने भाई की शादी में उपयोग किया···

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : संघ की गाड़ी का संघ के मंत्री श्री भंवरलाल मदादा के मामा के लड़के भाई को शादी में उपयोग किया, संघ की जीप का इस तरह से उपयोग किया जाना क्या यह सरकार के रुपयों का दुरुपयोग नहीं है, लाखों रुपया सरकार संघ को देती है ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में इस तरह की और भी जानकारी हो तो सरकार को दें और सरकार से फिर पूछ सकते हैं कि इनके बारे में क्या जांच की; उस पर भी आपको संतोष नहीं हो तो फिर हम सरकार को नोटिस दे सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आखिर ढाई लाख रुपया खर्च किया गया है तो

Page No 8

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इसका क्या उपयोग हुआ, इससे कितने प्रतिशत प्रगति हुई है, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिशत आप जानते हैं। यदि किसी प्रकार का दुरुपयोग होता है तो आप संघ के सदस्य बन कर उसके बारे में वहां डिस्कस कर सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हरिजन कोलोनी बनाने के लिये किस साल में कितना रुपया दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हरिजन कोलोनी बनाने के लिये कोई रुपया नहीं दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मकान बनाने के लिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सीमा पर होस्टल्स खोले गये हैं, वहां जरूर मकान बनाने के लिये रुपया दिया गया है।

इस संस्था का मकान बनाने के लिये और कोई धनराशि नहीं दी गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस प्रश्न का गत वर्ष में जवाब देते हुए ३१२ हजार रुपया बताया गया था और आज २।। लाख रुपया बताया है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, उस समय ३१२ हजार रुपया बताया और आज ढाई लाख रुपया बता रहे है, यह फर्क क्यों है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : एक मेरा निवेदन है। इस हरिजन सेवक संघ में कोई हरिजन भी नौकर है क्या ? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें कोई हरिजन नौकर नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजनों के लिये संघ है तो हरिजन होने चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : यह स्वयंसेवी संस्था है और रजिस्टर्ड है; हरिजन, नॉन-हरिजन का सवाल नहीं है। नियमों के अनुसार यह फंक्शन करती है। गैर सरकारी संस्था द्वारा जो कार्य होना चाहिये वह इससे हो रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या सरकार सालाना वार्षिक रिपोर्ट के रूप में इसका कोई विवरण प्रकाशित करती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : संघ करता है।

श्री अध्यक्ष : अनौपचारिक रूप से पहले की इस संघ की रिपोर्ट दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि संघ के सेक्रेटरी स्वयं हरिजनों से छूआछूत करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

एक माननीय सदस्य : छूआछूत करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि संघ का उद्देश्य है छूआछूत मिटाना

Page No 9

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और हरिजनों को जूठन नहीं लेने देना; पर इस संघ के सेक्रेटरी महोदय की लड़की की शादी में दिये गये प्रीतिभोज में जूठे पत्तल हरिजनों को दिये गये। जूठे पत्तल हरिजनों को दिये गये हैं, यह मेरा चैलेंज है?

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष, क्या इस प्रश्न के द्वारा इस तरह की जानकारी दिया जाना संभव है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजनों को जूठा खाने से रोका जाय, उनकी जूठा खाने की आदत पड़ी हुए है, उसको मिटाया जाय, यह संघ की नीति है; पर उस संघ के सेक्रेटरी स्वयं हरिजनों को जूठन खिलाते हैं।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : अनुसूचित जातियों के लिये जो इस संघ के द्वारा कार्य, उनके सुधार के लिये लिया जाता है उससे यह स्पष्ट हो गया है इस सदन में और सारे राजस्थान में और वे अब इस संस्था की उपयोगिता को नहीं समझते। मैं समझता हूं इतना रुपया इस पर खर्च किया जाता है वह छात्रावासों और पानी वगैरह के लिये देना चाहिये। इस संस्था को हम उपयोगी नहीं समझते। तो सरकार को विचार करना चाहिये और आयन्दा के लिये जो धनराशि इस संघ को दी जा रही है वह नहीं दी जानी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार इरादा रखती है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की भावना है वह हरिजन सेवक संघ तक पहुंचाने की चेष्टा करेगी?

श्री अध्यक्ष : केवल पहुंचायेगी ही नहीं, याद रख कर आगे की कार्यवाही करेगी।

प्रश्न संख्या ७२०

श्री मजलिस खां!

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७२१

श्री सांवलियाराम!

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज!

पाली जिले में शराब की बिक्री

७२२. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में सन् ४८–४९ में शराब बिक्री की कितनी दूकानें थीं व कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस जिले में सन् १९६४–६५ तक कुल कितनी दूकानें शराब बिक्री की हैं व कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सन् १९४८–४९ में व १९६३–६४ में कुल कितने रुपयों का शराब पाली जिले में बिका? दोनों वर्षों के आंकड़े अलग अलग देने की कृपा करें।

Page No 10

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सूचना विलीनीकरण के पूर्व की होने के कारण उपलब्ध नहीं है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सन् १९४८-४९ में ६,२७,८९३.४८ न० पै० व सन् १९६३-६४ में रुपये १७,५४,७७०.३९ न० पै० की शराब बिक्री।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि जो शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है वह आबादी और आम लोगों की औसत आय के अनुपात में कई गुना अधिक है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : और सरकार की नीति के फलस्वरूप है।

श्री परसराम मदेरणा : एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोत्तरी, इश्यू प्राइस में बढ़ोत्तरी, स्प्रिट-भावों का बढ़ना, गारंटी सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस करना और पॉपुलेशन भी, जैसे माननीय सदस्य कहते हैं, क्युम्युलेटिव रीजन्स हैं, जिनकी वजह से आय में बढ़ोत्तरी हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या आप महसूस करते हैं कि शराब का कन्जम्पशन पहले से बढ़ गया है और इस संबंध में जो अखबारों में कमेटी के ऑब्जरवेशन्स आए थे उनको पढ़ने का कष्ट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कर लिया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां। अखबारों में जो एक्सट्रैक्ट्स आए हैं मैंने पढ़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने किताब पढ़ी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि राजस्थान में शराब का कन्जम्पशन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। क्या यह सरकार की नीतियों के अनुरूप बढ़ा है ?

श्री अध्यक्ष : मना तो कोई नहीं कर रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या शराब की बिक्री पहले से कम है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पहले से दस गुना बढ़ गई है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ़) : क्या यह सही नहीं है कि ये जो नीचे के लोग हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स उनको आप जबरदस्ती पिलाने का यह साधन बना रहे हैं ? इसकी बिक्री कम क्यों नहीं की जाती है ?

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय ने वृद्धि के जिन कारणों पर प्रकाश डाला है उनका बिक्री की वृद्धि पर क्या प्रतिशत है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग मैंने रीजन्स बताए, जो बिक्री की रकम में वृद्धि हुई है उसके । इसलिए एक एक कारण का क्या परसेंटेज इस बढ़ोत्तरी में हुआ है, यह नहीं बता सकता । एक कारण और है । स्टेट्स के समय जागीरदारों को १९४८-४९ में, जब राजस्थान का इन्टीग्रेशन नहीं हुआ था और बहुत से जागीरदार एक्साइज ड्यूटी पे करने से एग्जेम्पटेड थे उस वक्त जागीरदारों को इजाजत थी शराब निकालने की, उनसे जो एक्साइज ड्यूटी वसूल होनी चाहिए थी वह नहीं हुई इसलिए अगर यह कारण एड हो जाता है तो इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं दीखेगी । वे अपनी प्राइवेट शराब निकालते थे और जो आमदनी राज्य सरकार को होनी चाहिए थी वह नहीं हुई । वह अब हो रही है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जागीरदार लोग अपने डोमेस्टिक कन्जम्पशन के लिए शराब निकालते थे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि एक ओर तो शराब की वृद्धि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर राज्य के अंदर क्राइम्स का आंकड़ा भी बढ़ा है । तो सरकार नहीं समझती कि यह कोरिलेटेड आंकड़ा है ?

श्री मोहनराज : क्या मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि सरकार की घोषित नीति है कि धीरे धीरे राज्य के अंदर शराब की बिक्री को कम किया जाय और उसके बाद बिल्कुल बंद किया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । उसकी एक सिफारिश को इस साल मंजूर कर लिया है । शराब में जो स्प्रिट ज्यादा मात्रा में थी उसको कम किया है और उस कमेटी की सिफारिश यह है कि राजस्थान के अन्दर १५ साल तक धीरे धीरे इसको कम किया जाना चाहिए । उसने यह नहीं कहा कि कम्प्लीट बंद कर देना चाहिए । उस रिपोर्ट पर निर्णय लेने के बाद ही, सरकार प्रोहिबिशन की नीति जब निर्धारित करेगी उसके बाद में ही निश्चय पूर्वक सदन में कहा जा सकता है ।

श्री मोहनराज : क्या राज्य सरकार ने भी राज्य में शराब बंदी करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया था और उसने कोई रिपोर्ट दी है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : १५ साल में बंद करने के लिए सरकार की कमेटी ने भी कहा है, तो सरकार ने उसका उपयोग किया है ? कमेटी ने आपको राय दी और उसके बाद में सरकार ने कितनी कीमत की बिक्री कम की ?

श्री अध्यक्ष : १५ साल का प्रारम्भ कब से माना जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह भी चीज एग्जामिनेशन में है, इसलिए प्रारम्भ का सवाल नहीं उठता । कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार से जब हमारे पास आई उससे पहले एक्सट्रैक्ट्स अखबारों में आए हैं । ४ महीने से रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

Page No 12

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए कब से एन्फोर्स करने की बात है, वह प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने ऑब्जर्वेशन्स राज्य में करवाए हैं कि १५ साल की शराब वृद्धि में आपने कितने एल्-कोहोलिक्स एडिक्ट्स राज्य के अन्दर पैदा कर दिए ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : स्वतंत्र पार्टी ने पाली जिले में चुनाव जीता है, तब से शराब वृद्धि हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई संतोष-जनक उत्तर तो आना चाहिए। ऐडिक्ट्स बढ़ने जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अलार्मिंग आंकड़ा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे लगता है कि सरकार की नीति शराबखोरी को प्रोत्साहन देने की है। जहां तक मैंने सुना है, अजमेर में कुछ वर्ष पहले तीन लाख की शराब बिकती थी, आज तीस लाख की शराब वहां बिकती है। सरकार की नीति इस सम्बन्ध में अस्पष्ट है। यदि सरकार की नीति यह है कि शराबखोरी कम की जाय तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी ? अभी तो ऐसी कोई एवी-डेन्स नजर नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुरुषार्थी अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

७२३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर के पुरुषार्थी अध्यापकों के फिक्सेशन का पत्र निरीक्षक शिक्षणालय, जयपुर ने क्र० सं० आई० एस० । जे० पी० आर० । ई०एस०टी० टी० । आई० बी० । ८७७१ दिनांक ४-६-६३ के अनुसार राज्य-स्वीकृति हेतु भेजा गया !

(२) क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, बीकानेर के आदेश क्र० सं० ई० डी० बी० । ए० सी० सी० टी० टी० । एच-२। ६६६६ (५६) । २२ दिनांक १-४-१९६० के अनुसार जयपुर के पुरुषार्थी अध्यापकों का फिक्सेशन करते समय योग्यता अनुसार अपग्रेडिंग नहीं की गई तथा उन अध्यापकों को प्रमोशन नहीं दिये गये जब कि उदयपुर आदि निरीक्षणालय ने अपने आदेश नं० ई० डी० । यू० आई० एच । ३ (बी) ६१५६, दिनांक २४-६-५६ के अनुसार अध्यापकों को १-३-५६ से योग्यतानुसार प्रोमोशन दिया ?

(३) यदि उपर्युक्त आदेशों के अनुसार जयपुर के निरीक्षक शिक्षणालय ने पुरुषार्थी अध्यापकों को प्रोमोशन नहीं दिया है तो उसका कारण क्या है ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : इस प्रश्न का पार्ट (२) अस्पष्ट है और इस सम्बन्ध में हमने जो जानकारी प्राप्त की थी वह डिप्टी डाइरेक्टर के ऑफिस में नहीं आई है. इसलिए इस सवाल को नेक्स्ट टर्न पर लिया जाय ।

प्रश्न संख्या ७२४

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी !

विकास अधिकारी डीडवाना द्वारा अध्यापकों का चयन

७२५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २८-८-६२ को विकास अधिकारी डीडवाना द्वारा हुए अध्यापक साक्षत्कार में नियोजक अधिकारी से प्राप्त सूची में से केवल ६ अध्यापकों का चयन किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री आर० सी० मिश्रा, विकास अधिकारी ने अपने संबंधी श्री कैलाशनाथ पांडे का नाम क्रम संख्या १० पर स्वत: जोड़ कर नियम विरुद्ध नियुक्ति दी, जिसका निर्णय पंचायत समिति की विशेष बैठक दिनांक १४-२-६३ द्वारा किया गया ?

(३) इस सम्बन्ध में नियोजक अधिकारी, नागौर द्वारा प्राप्त सूची एवं विकास अधिकारी द्वारा चयन शुदा उम्मीदवारों की सूची जो सूचनार्थ नियोजक अधिकारी को प्रेषित की गई थी, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कृष्ट करें ।

(४) शिकायत पेश होने पर सरकार ने उक्त गलत कार्यवाही व हर्जाने के संबंध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) श्री कैलाशनाथ पांडे की नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई, जिसका निर्णय पंचायत समिति की दिनांक १४-२-६३ की बैठक में किया गया ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) विभाग को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जब शिकायत तीन साल पहले की गई और सरकार मानती है कि नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई है तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने सूचना प्राप्त करने की चेष्टा की और जो आपके

Page No 14

(श्री दौलतराम सारण)

प्रश्न ४ के उत्तर में निवेदन किया, वह सूचना विभाग ने दी है कि उनके यहां ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि शिकायत की गई है वह विभाग में नहीं पाई गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ऐसा कुछ नजर आता है जिसमें एक्शन लेना आवश्यक है ?

श्री दौलतराम सारण : यह सही है कि एपोइंटमेंट उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर किया और फिर जब पंचायत समिति के नोटिस में आया तो पंचायत समिति ने उसको हटा दिया। इस तरह तीन-चार महीने उस व्यक्ति ने काम किया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस बारे में राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि पंचायत समिति और स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्ज की प्रतिलिपि जोइंट डेवलपमेंट कमिश्नर और कलेक्टर के पास भेजी गई है। उसको उन्होंने जरूर देखा होगा और फिर कहते हैं कि उनकी नोलेज में नहीं आया ! आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया, जब पंचायत समिति को इतना नुक्सान हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आश्वासन दे दिया है कि आगे कार्यवाही की जायगी।

साहवा हायर सैकन्डी स्कूल में अध्यापकों की कमी

७२९. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चालू सत्र से साहवा हायर सेकन्डरी स्कूल, जिला चूरू में प्रधानाध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और प्रधानाध्यापक चालू सत्र में कितने दिनों से नहीं है और कब भेज दिया जावेगा ?

(२) साहवा हायर सैकन्डी स्कूल में कितने अध्यापक हैं ? क्या यह सही है कि चालू सत्र में अध्यापकों की भी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई में बड़ा नुक्सान हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या और कब व्यवस्था कर रही है ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा): (१) दिनांक ३-८-६४ से २७-१०-६४ तक वहां का प्रधानाध्यापक एम. एड. की ट्रेनिंग में चले जाने के कारण स्थान रिक्त रहा, लेकिन दिनांक २८-१०-६४ से नये प्रधान अध्यापक ने कार्य-भार सम्भाल लिया है।

(२) वहां १३ अध्यापक हैं तथा अतिरिक्त अध्यापक की कोई मांग नहीं है।

श्री रावतराम : यह कब सम्हाल लिया है नये प्रधानाध्यापक ने चार्ज ?

श्री परसराम मदेरणा : २८-१०-६४ तक वे गये थे और उसके बाद सम्हाल लिया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या अध्यापकों की कमी की आम शिकायत नहीं है ?

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि अभी आपके हैडमास्टर वहां मौजूद नहीं हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका जनरल क्वेश्चन है। पर्टीकुलर क्वेश्चन आप पूछिये कि कहां कमी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आम शिकायत है।

श्री परसराम मदेरणा : एजुकेशन की डिमान्ड पर बहस के समय बता दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राज्य में शिक्षित बेकारों की संख्या

७२७ **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में पिछले तीन वर्ष में कितने विद्यार्थियों ने हाई स्कूल पास किया अथवा कॉलेजों में डिग्री प्राप्त की तथा उनमें से कितने विद्यार्थियों ने एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये रोजगार के लिये प्रयत्न किये ?

(२) इस समय राजस्थान में शिक्षित बेकारों की संख्या क्या है ?

(३) क्या राज्य सरकार शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के लिये सिंचित भूमि अथवा उद्योग-धन्धे अथवा रोजगार के अन्य साधनों के लिये आसान शर्तों पर उधार धन देने की योजना पर विचार कर रही है ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री दौलतराम सारण) : (१) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में हाई स्कूल पास करने वालों तथा डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में इस विभाग में आंकड़े नहीं हैं। यह भी कहना सम्भव नहीं है कि इन ही में से कितने विद्यार्थियों ने एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज़ों के जरिये रोजगार के लिये प्रयत्न किये। पिछले तीन सालों में, जिन शिक्षित व्यक्तियों ने रोजगार पाने में सहायता के लिये नाम लिखाये हैं उनकी संख्या निम्नांकित थी:—

	१९६२	१९६३	१९६४
हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा इन्टरमिजियेट	४६,७०२	४२,६६६	५२,४१५
डिग्रीस्तर व उससे ऊंची	४,२५०	३,६५४	४,२८१

(२) राज्य में शिक्षित बेकारों की असली संख्या के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु एम्प्लॉयमेंट एक्स-

(श्री दौलतराम सारण)

चेन्जों के चालू रजिस्टर पर ३१-१२-६४ को निम्नांकित संख्या में शिक्षित व्यक्तियों के नाम रोजगार पाने के लिये दर्ज थे :-

हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी तथा

इन्टरमीजियेट	२६,६०२
डिग्री स्तर	१,६७६

(३) सरकार शिक्षित वर्ग को समाज से अलग नहीं समझती है तथा तमाम समाज के लिये धन उधार देने के नियम बना रहे है; उनके तहत सब जरूरत वर्गों को कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री भीमसेन : आपने यह कहा कि शिक्षित वर्ग को अलग नहीं समझते । जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिये जमीन देने का प्रावधान रख रखा है उसी प्रकार दूसरे शिक्षित वर्ग के लिये छोटे २ उद्योग खोलने के लिये कोई ऋण की व्यवस्था की गई है ?

श्री दौलतराम सारण : कोई भी व्यक्ति चाहे वह शिक्षित हो, छोटे २ उद्योग धन्धे शुरू कर सकता है और उसके लिये ऋण प्राप्त कर सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपने कहा कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो किस कारण से अंकीकरण नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : यह इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वर्ष दर वर्ष पास करते है और इसका सोलिड रिकॉर्ड है । सारा प्रश्न ही इसी बुनियाद पर था कि कितने लोगों ने हाई स्कूल और कितनों ने डिग्री कोर्स पास किया और कितनों ने एम्प्लोयमेंट प्राप्त किया है ।

श्री दौलतराम सारण : ये आंकड़े इस विभाग के पास नहीं हैं, शिक्षा विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय । मेन प्रश्न के आइटम नं० २ का उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न की सारी भावना ही यही है ।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न में जो कुछ इस विभाग की ओर से उत्तर हो सकता है वह स्पष्ट तौर पर उसकी सूचना उत्तर में अंकित की गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एम्प्लोयमेन्ट एक्स्चेन्ज में नाम दर्ज होता है तो कार्ड में क्वालिफिकेशन वगैरह सब दर्ज होता है । एम्प्लोयमेन्ट एक्स्चेन्ज की दृष्टि से बता सकते हैं कि कितनों ने नाम दर्ज कराये ?

श्री दौलतराम सारण : जो रजिस्टर में नाम दर्ज किये हैं वह तो मैंने निवेदन किया है, लेकिन नाम दर्ज होने पर भी यह नहीं बताया जा सकता है कि इन तीन वर्षों में कितने हाई स्कूल पास हैं और कितने डिग्री पास शुदा हैं । पहले के भी हो सकते हैं । जो शिक्षित बेकार या अर्ध बेकार होते हैं वे ही नाम दर्ज कराते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षित बेकारों में से कितनों को आप काम दे सके हैं ?

श्री दौलतराम सारण : काम दे सकते है। इसमें नहीं पूछा गया है। वह मैं निवेदन कर दूंगा। यह नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने एप्लाई किया है वे सब ही बेकार हों। वे दूसरे धन्धों में भी लगे होते है। लेकिन अच्छा धन्धा प्राप्त करने के लिये एप्लाई कर देते हैं। माननीय सदस्य ने सूचना चाही कि कितनों को काम दिया गया; मैं सदन की जानकारी के लिये बताऊंगा कि सन् १९६२ में ७९८६, १९६३ में ७५९३ और १९६४ में १०,०६२ को दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

प्रश्न संख्या ७२४

अफीम की खेती पर रोक

७२४. **श्री जयलाल** (डग) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला झालावाड़ में अफीम की खेती पिछले साल कितने रकबे में थी और इस साल कितने में ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष सरकार ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी है ?

(३) यदि हां, तो क्यों व इस सम्बन्ध में भविष्य में सरकार का क्या विचार है ?

उप-मन्त्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट भारतीय यूनियन गवर्नमेंट का है और इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कितने रकबे में थी ? इसकी सूचना हो सकती है। रोक लगाने का तो भारत सरकार को अधिकार है।

श्री परसराम मदेरणा : इजाजत देना, बन्द करना, रोक लगाना ; यह सब भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर, जिनका दफ्तर ग्वालियर में है उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, स्टेट गवर्नमेन्ट का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार :

पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के अधीन पंचायतें

७२८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की आर्थिक हालत कैसी है ?

(२) ग्राम पंचायत फलवा, जावदा, कारुन्डा, गादोला, कैली, कोटड़ी, रानीखेड़ा तथा बिनोता के पास इस समय कितनी कितनी रकम पौते है और वह कहां रखी हुई है ? क्या यह सही है कि स्वयम् सरपंचों के ही पास यह रकम है और इन्हीं के खर्च में काम आती है ?

Page No 18

(श्री अब्दुलजब्बार)

(३) ग्राम पंचायत गाड़ी में सन् १६५८ से सन् ६४ तक कितना गबन हुआ ? क्या इस सम्बन्ध में ऑडिट हुआ ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) ग्राम पंचायतों की आर्थिक हालत साधारण है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ८५६.६२ पैसे का गबन होना पाया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूली की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो आपने भाग २ में सूची रख दी और स्पष्ट किया उसके लिये धन्यवाद। लेकिन रकम किसके पास पड़ी हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : सूची में अंकित हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : किसके पास है यह नहीं बताया ?

श्री दौलतराम सारण : बैंक में हैं, नकद सरपंचों के पास है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आपने कहा कि गबन हो गया है तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री अब्दुलजब्बार : सूचना अधूरी है।

श्री दौलतराम सारण : गादोला में ७७०.३०, बैंक में ७६२.६०, नकद सरपंच के पास १०७.४०।

श्री अध्यक्ष : यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने बताया कि बैंक में रखी है, सरपंच के पास है, ८५६ रुपया बताया। कितने अर्से से गबन है ? पर्टीकुलर टाइम और तारीख बता दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : यह ऑडिट ओब्जेक्शन के हिसाब से है। वैसे टेक्नीकल कारणों से कहीं जोड़ में कम है और इस तरह से है। एक काम कराया गया, पंचायत वाले कहते हैं, इतना काम हुआ और ओवर सीयर और कुछ बताता है। इस तरह इसमें यह है। वास्तव में गबन नहीं है, किन्तु ऑडिट ने गबन होना माना है और इसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : गबन किसने किया है ?

श्री दौलतराम सारण : लम्बा-चौड़ा स्टेटमेन्ट है। नाम पढ़ दूं, इजाजत हो तो ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : इतनी इर्रेगुलेरिटीज हुई है और गबन हैं और गबन जिनने किया है

Page No 19

(श्री अब्दुलजब्बार)

वह शख्स वापिस सरपंच बाड़ी होकर आ गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से हजारों-लाखों रुपये लोग खा गये हैं, उनको वसूल करें नहीं तो यह जनतन्त्र की प्रणाली ही खत्म हो रही है।

प्रश्न संख्या ७२६

श्री अध्यक्ष : श्री हरीराम धारू।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा।

तहसील प्रतापगढ़ ग्राम घोटारसी का तालाब

७३०. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसीलप्रतापगढ़, ग्राम घोटारसी के तालाब को सिंचाई विभाग ने ठीक करवा कर ग्राम पंचायत घोटारसी को सुपुर्द किया था? यदि हां, तो कब और इसमें कितनी धनराशि खर्च हुई थी?

(२) क्या यह सत्य है कि इस तालाब की पाल तोड़ डाली गई है और पानी निकाल कर इसमें खेती की जा रही है? यदि हां, तो यह पाल किसने तुड़वाई है और खेती किसने कर रखी है?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त तालाब पाल तोड़ने वाले व्यक्ति के खाते में था? यदि हां, तो कब से और सिंचाई विभाग ने किस आधार पर उक्त तालाब को ठीक करवा कर पंचायत को सुपुर्द किया?

पंचायत मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित करने का निवेदन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में रोजगार देने की व्यवस्था

७३१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आठ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार को उसमें सफलता मिली?

(३) यदि नहीं, तो किन कारणों से?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। किन्तु प्लान कोर से इस लक्ष्य को घटा कर ६.८५ लाख कर दिया गया।

(२) तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ३.३२ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है और कोर में निर्धारित लक्ष्य तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अब तक कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब में मैंने बता दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपने तीसरी योजना में प्रथम तीन वर्षों में ३.३२ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की है। प्लान और नॉन प्लान में आप कितनों को रोजगार दे सकेंगे, पीछे उन पर कितना खर्च कर सकेंगे ? कितना पैसा इनवेस्ट करने पर कितने आदमियों को रोजगार मिल सकेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ३.३२ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मिला कितनों को, यह बतलाइये ?

श्री अध्यक्ष : इसमें केवल सरकारी नौकरी ही थोडी है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, हमारी प्लान की व्यवस्था के मुताबिक ३.३२ लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी २३६ करोड की प्लान थी, उसके हिसाब से ८ लाख को रोजगार देने की व्यवस्था थी। जब आपका २०८ करोड़ का प्लान हो गया तो उसको घटाकर ६.५ लाख कर दिया और अब और तो रिड्यूस नहीं करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब २३६ करोड़ की योजना थी उस समय ८.२२ था। फिर प्लान जब २०६ करोड़ का हो गया ६.८५ लाख का टार्गेट निश्चित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि केपीटल इन्टेन्सिव स्कीम को रखा गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्लीअरली बहुत बड़ा शोर्टफाल होने वाला है, अभी तक ३.३२ लाख का भी टार्गेट अचीव नहीं हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक कोर प्लान का ४८.४३ पर्सेन्टेज अचीव किया है। अभी तक ५१ पर्सेन्ट अचीव करना है फोर टू ईयर्स । तीन साल का मैंने पर्सेन्टेज बताया, वह ४८ पर्सेन्ट इन थ्री इयर्स है। २०६ करोड़ के प्लान में ११० करोड़ हम थ्री ईयर्स में खर्च कर चुके हैं, उसमें ४८ पर्सेन्ट अचीव कर लिया है। १०० करोड़ से कुछ कम खर्च करना है। इस बचे हुए अमाउन्ट में, हमें आशा है शेष पर्सेन्टेज अचीव कर लेंगे। हो सकता है कुछ पोइन्ट्स नीचे रह जायं लेकिन उस सीमा तक पहुंच जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

गोचर भूमि, तहसील सांचोर

७३२. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 21

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर के ग्राम पावटा, सूंतड़ी एवं साकरिया में दर्ज शुदा कोई गोचर भूमि नहीं है जब कि इन ग्रामों में मवेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि गोचर भूमि नियमानुसार घोषित कराने के लिये ग्राम. पंचायत सूंतड़ी (पंचायत समिति सांचोर) ने पिछले तीन सालों में कई प्रस्ताव पारित कर एस० डी० ओ० भीनमाल के पास भेजे, परन्तु इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? अगर हां, तो इस देरी के लिये जिम्मेवार कौन है ?

(३) उपरोक्त ग्रामों में पड़त भूमि को ग्राम पंचायत सूतड़ी के प्रस्तावों के अनुसार गोचर भूमि कब तक घोषित कर दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):(१) ग्राम पावटा एवं साकरिया में कोई दर्ज शुदा गोचर भूमि नहीं है। ग्राम सूंतड़ी में दर्ज शुदा गोचर भूमि है।

(२) सरपंच, ग्राम पंचायत, सूंतड़ी ने एक प्रार्थनापत्र सारे नेयड़ एरिया में चरागाह कायम करने के लिये पेश किया था। उसके सम्बन्ध में कार्यवाही चालू है।

(३) जिन गांवों के सम्बन्ध में गोचर भूमि घोषित कराने की कार्यवाही चालू है उनमें जल्दी ही निर्णय लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कितने अर्से से चल रहा है और कब तक निर्णय कर दिया जावेगा, जब कि गांव में पड़त भूमि है, मवेशी भी ज्यादा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पड़त भूमि जहां पर अवेलेबल है वहां पर सेटलमेन्ट में अगर दर्ज पहले से है तो बहुत जल्दी घोषित कर दिया जायगा। अगर इस भूमि से ज्यादा चाहिये तो सवाल दूसरा है।

दूसरा सवाल, हो सकता है जहां बिल्कुल भी गोचर भूमि डिमार्केटेड नहीं हैं। जहां लेन्ड अवेलेबल है तो बहुत जल्दी ही ऐसे ऐसे गांवों का प्रश्न आता हैं उसके सम्बन्ध में जल्दी ही घोषणा कर देंगे। और जहां भूमि कम हैं, मवेशियों की संख्या से अधिक होनी चाहिये तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेन्ड पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर उचित कार्यवाही इस सम्बन्ध में करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन गांवों में भूमि की कमी नहीं है। हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है। मवेशियों को चरने में कठिनाई है। वह जमीन खेती के काम नहीं आ रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; तीन बिलेजेज के लिये आपने कहा, उनमें से दो बिलेजेज के अन्दर भूमि अवेलेबल है। जल्दी ही डिमार्केट करके पंचायत के सुपुर्द हो जाय, ऐसी व्यवस्था करेंगे। एक गांव ऐसा है जहां पर जमीन अवेलेबल है या नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। छानबीन करके जितनी मदद हो सकेगी, चरागाह की जमीन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

घोषित करवाने के सम्बन्ध में की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

कस्बा राजगढ़ के बाजार की साप्ताहिक छुट्टी

७३३. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कम से कम कितनी जन-संख्या वाले कस्बों में बाजार की साप्ताहिक छुट्टी रखने का सरकार ने निश्चय किया है ? इस तरह का निश्चय कब किया गया और क्या इस तरह के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं ?

(२) कस्बा राजगढ़ जिला चूरू की जन संख्या कितनी है और इस कस्बे में साप्ताहिक छुट्टी रखने के आदेश कब दिये गये हैं और क्या इस कस्बे में साप्ताहिक छुट्टी हो रही है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो इसका क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : १०,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में साप्ताहिक अवकाश लागू करने का निश्चय राज्य सरकार ऐसे ३८ स्थानों में अपनी विज्ञप्ति सं० एफ० ३ (६७) श्रम । ६१ दिनांक २३ अक्टूबर, १९६३ को प्रसारित कर चुकी है। इसके अतिरिक्त ६५ अन्य स्थानों पर धारा ४, ५, ६, १२ तथा ३३ को लागू करने के संबंध में विज्ञप्ति सं० एफ ३ (६७) श्रम । ६१ दिनांक २ जून, १९६४ जनता की राय जानने हेतु प्रकाशित कर दी है। ३८ स्थानों पर धारा १२ लागू करने के आदेश संबन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं। बाकी २५ स्थानों पर फाइनल विज्ञप्ति प्रकाशित होते ही आदेश दे दिये जावेंगे।

(२) जन संख्या १८,१३६ है।

साप्ताहिक अवकाश के आदेश दिनांक २३ अक्टूबर, १९६३ को प्रकाशित किये गये क्योंकि वहां की आबादी दस हजार से अधिक है। इस कस्बे में साप्ताहिक अवकाश नहीं मनाया जा रहा है। आवश्यक दण्ड आदि देने की कार्यवाही इसलिये नहीं की जा सकी क्योंकि इस कस्बे में धारा ४, ५, ६ तथा ३३ लागू नहीं की गई है, जिसके बिना कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है। अब इस विषय में विज्ञप्ति इसी सप्ताह के अन्दर जारी की जा रही है।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि छुट्टी अभी नहीं हो रही है ?

श्री दौलतराम सारण : यही मैंने उत्तर में निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नाथद्वारा तहसील के गांवों में पीने के पानी का अभाव

७३४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री विजयसिंह झाला)

(१) नाथद्वारा तहसील में किन गांवों में इस वर्ष वर्षा की कमी रही है ?

(२) वर्षा की कमी से मक्का की फसल में कितना नुकसान हुआ तथा गेहूं व जौ की फसल की स्थिति क्या है ?

(३) क्या इन गांवों में पीने के पानी का भी अभाव है ?

(४) सरकार इन गांवों को क्या राहत देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) नाथद्वारा तहसील में किसी भी गांव में इस वर्ष वर्षा की कमी नहीं है। सन् १९६२ में ३२० मिलीमीटर वर्षा हुई थी, सन् १९६३ में ३९४ मिली मीटर वर्षा हुई थी और इस वर्ष ५११ मिलीमीटर वर्षा हुई है। अतः गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक वर्षा हुई है।

(२) मक्के की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। १५१३४ एकड़ क्षेत्र में मक्के की फसल बोई गई थी। सम्वत् २०२० खरीफ फसल में बोई गई मक्का के क्षेत्र से इस वर्ष ६७७८ एकड़ अधिक भूमि में मक्का की फसल बोई गई थी।

गेहूं तथा जौ की फसल अच्छी पकी है। गत वर्ष की अपेक्षा फसल अच्छी है।

(३) जी नहीं।

(४) जिन गांवों में कुओं को गहरा कराना आवश्यक है उनके आवश्यकता एवं साधनानुसार पंचायत समिति के सहयोग एवं श्रमदान के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला : आप किस नाथद्वारा का जिक्र कर रहे हैं ? मैंने प्रश्न पूछा है उसी का कर रहे हैं या दूसरा ? भरोसा दर असल कम है। जहां से मैं आया हूं वहां पर वर्षा का अभाव है, उसकी गवाही के रूप में मुख्य मन्त्री को पेश कर सकता हूं। कितने रिप्रेजेन्टेशन लोगों ने किये। आप कह रहे हैं बरसात अच्छी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील में जो बरसात नापने का यन्त्र रखा जाता है उसके अनुसार मैंने बताया।

श्री विजयसिंह झाला : वह मापने का यन्त्र किसी देनाल के नीचे रख दिया गया होगा। तीन साल से वहां वर्षा की कमी है। इसके बारे में विरोधी पार्टी के नेताओं ने स्थगन-प्रस्ताव भी रखे थे, यह आपका कहना बिल्कुल गलत है।

(१२.०० मध्यान्ह)

हो सकता है कि नाथद्वारा के पूर्व की तरफ कुछ गांव हों वहां बारिश अच्छी हो। तो यह किसी एक-दो गांव की रिपोर्ट हो सकती है या नाथद्वारा प्रॉपर की हो सकती है; लेकिन पूरी नाथद्वारा तहसील में बारिश की कमी है और ३ साल से कमी है। दर असल में उसी नाथद्वारा की बात कर रहा हूं जहां से मैं चुन कर आता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फेमिन डिपार्टमेन्ट उन बातों के बारे में जवाब देता है कि बरसात की इतनी कमी है और अभावग्रस्त घोषित किया जाये तब तो हम एक्शन लेते हैं। हमारी रिपोर्ट के अनुसार गांवों में बरसात कुछ कम हुई है लेकिन ऐसी कम नहीं हुई कि जिससे उनको अभावग्रस्त एरिया घोषित किया जाये।

श्री विजयसिंह झाला : अभावग्रस्त घोषित करने का प्रश्न नहीं है। कुछ गांवों में दरअसल में मक्की बोई गई, वह रेकॉर्ड आपके पास सही हो सकता है, लेकिन बोने के बाद बरसात की कमी से मक्की नहीं हुई और उसी प्रकार से जौ और गेहूं की फसल भी नहीं हुई।...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि अभावग्रस्त तब ही घोषित करते हैं जब कि रुपये में अमुक परसेन्टेज नुकसान हो ६ आना, ८ आना से ऊपर नुकसान हो तो उसी आधार पर अभावग्रस्त घोषित करते हैं और लगान में भी छूट देते हैं उसी आधार के ऊपर। तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा क्षेत्र नहीं था कि अभावग्रस्त घोषित किया जाये।

श्री विजयसिंह झाला : किन किन पंचायतों में कितना कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस प्रकार के प्रश्नों का निराकरण यहां पर नहीं हो सकता।

श्री विजयसिंह झाला : वह गलत रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : गलत नहीं है, आंकड़े सही मानने पड़ेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : आखिर में सही कैसे मानें ?

श्री अध्यक्ष : अभावग्रस्त घोषित करने के भी नियम हैं। बहस करने से क्या लाभ ?

श्री विजयसिंह झाला : पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर,...

श्री अध्यक्ष : बस, श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन मुझे जानकारी करनी है....

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड

७३५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड राज्य में क्या क्या कार्य करता है और उस पर कितना सालाना खर्चा होता है ? क्या हिसाब का सालाना ऑडिट होता है ? यदि हां, तो गत दो सालों की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के खर्च के लिए कहां कहां से कितना रुपया आता है ? गत दो वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इसके संचालक मण्डल का चुनाव होता है ? यदि हां, तो कब व कैसे ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं हुई है उपलब्ध होने पर इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

विकास अधिकारी, अन्ता द्वारा सामान की खरीद

७३६. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अन्ता पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने सन् ६०–६१ में जो सामान खरीदा क्या उसमें ऐसा कितना सामान पड़ा हुआ है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि ऐसा भी सामान खरीदा हुआ पड़ा है जिसका उपयोग करने वाला आज तक भी कोई टेक्नीकल व्यक्ति नहीं आया है ? यदि हां, तो वह क्या सामान है ?

(३) पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री बालि ने जो निटिंग मशीन खरीदी थी वह कितने रुपयों में खरीदी गई और उसकी बाजार में क्या कीमत है ?

(४) क्या यह सत्य है कि अन्ता पंचायत समिति में रेफ्रीजरेटर खरीदा गया था ? यदि हां, तो यह कहां है और कब से है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) एक बुनाई की मशीन।

(२) बुनाई की मशीन।

(३) मशीन ५४०) रु० से खरीदी गई थी। सबसे कम रेट का टेन्डर इतनी ही राशि का था।

(४) पंचायत समिति द्वारा कोई रेफ्री-जरेटर नहीं खरीदा गया।

श्री दयाचन्द सोन : आपने यह बताया कि बुनाई की मशीन खरीदी गई तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हनुमानसिंह चौधरी।

श्री दयाचन्द सोन : सामान खरीद लें और उनका उपयोग नहीं हो, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

नावां तहसील में नियम विरुद्ध तरीके से त्रीघोड़ी की वसूली

७३७. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के यह बात ध्यान में है कि नावां तहसील के किसानों से संवत् २०२१ की खरीफ व रबी की त्रिघोड़ी नियम विरुद्ध तरीके से एक साथ वसूल की गई ?

(२) क्या जिले की अन्य तहसीलों में भी इसी प्रकार से वसूली की गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस असामयिक व गैर कानूनी वसूली से किसानों को परेशानी हुई जिसके संबंध में जिलाधीश नागौर व राजस्व मंत्री को क्रमशः ६-१-६५ व १२-२-६५ को जानकारी दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) इस नियम विरुद्ध कार्यवाही के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है व उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील नावां के जागीर क्षेत्र में खरीफ में एक रुपये में बारह आना एवं रबी में एक रुपये में से चार आना की किश्त है, जिसकी वसूली की तारीखें १ फरवरी एवं १ जुलाई क्रमशः हैं, इसी तरह खालसा गावों की एक फसली जमीन का लगान सालाना अव्वल फरवरी को एवं दो फसली जमीन का लगान एक रुपया में छः आने १ फरवरी को और दस आने १ जुलाई को वसूल करने का अमल होना जाहिर आया है। कहीं कहीं मिसल बन्दोबस्त में किश्तों का जिक्र नहीं है। इसलिए कुछ पटवारियों द्वारा संभवतया खरीफ की वसूली के साथ साथ रबी की वसूली भी कर ली गई है, लेकिन ऐसे मामलों में भी जो रकमें जमा कराई गई हैं, वे स्वेच्छा से हैं और न कि दबाव के कारण।

(२) अन्य तहसीलों में इस प्रकार की वसूली होने की कोई सूचना नहीं है।

(३) राजस्व मंत्रीजी के पास जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ उस पर जिलाधीश महोदय को दोनों फसलों का लगान एक साथ वसूल न करने के आदेश दे दिये गये हैं और उसके अनुपालन में सभी तहसीलदारों को भी हिदायत कर दी गई है।

(४) प्रश्न के भाग (१) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह जो व्यवस्था की गई है यह किसके द्वारा की गई है लगान की वसूली की खरीफ और रबी की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : As per Settlement Records...

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या गत सालों में भी इसी प्रकार से वसूली होती आई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर पहले देशी मितियां थीं । देशी मितियों को बाद में राजस्थान सरकार ने बदल कर एक व्यवस्था कर दी । इसलिए उन देशी मितियों को बदल कर जुलाई और फरवरी कर दी है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान रेवेन्यू मेनुअल के तहत आती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिलकुल नियमानुसार की गई है । नोटीफिकेशन इश्यू किया गया है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही नहीं है कि खरीफ और रबी की फसल के लिए लैण्ड रेवेन्यू के लिए अलग अलग तारीख दर्ज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी भी अलग अलग बताई हैं ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मेरा प्रश्न था कि दोनों की वसूली एक साथ हुई है···

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही पूछ लेते । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि भविष्य के लिए आदेश जारी कर दिये हैं कि ऐसा नहीं होगा ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिसने दोनों फसलों की वसूली एक साथ कराई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २ पटवार सर्किल में इस प्रकार की वसूली होना पाया गया है और उनका एक्सप्लेनेशन यह था कि मिसल बन्दोबस्त के अन्दर कोई लगान की किश्त लिखी हुई नहीं है इसलिए उन्होंने इस आधार पर एक साल पुराना लगान वसूल कर लिया । यह सारी तहसील का सवाल नहीं है, कुछ पटवार सर्किल का ही सवाल है; लेकिन उस सारी चीज को भी नये आदेश के द्वारा दूर कर दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि जिस तरह से दो किश्तों में वसूली करने का नियम है उसका अमल हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में आरजी काश्त पर भूमि अलॉट करना

७३८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र के प्रवाह एवं लिफ्ट एरिया में आरजी काश्त पर सरकारी भूमि देना कब से बन्द कर रखा है ?

(२) क्या आरजी काश्त भूमि नहीं देने से उत्पादन एवं राजस्व की आमदनी का सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो सरकार आरजी काश्त पर भूमि अलॉट करना क्यों नहीं प्रारम्भ करती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, आरजी काश्त के लिए नियमानुसार जमीन दी जाती है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, सवाल का उत्तर तो बिलकुल ही गलत दिया है। वहां पर जमीन मिलती नहीं है और आप कह रहे है कि जमीन दे रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि जो जमीनें पहले दी हुई हैं उनको तो हम रिन्यू करते हैं हर साल और माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि राजस्थान कैनाल की कोलोनाइजेशन पॉलिसी के बारे में जब तक अन्तिम फैसला नहीं होता है तब तक हम नया अलॉटमेन्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अलॉटमेन्ट पहले हो चुके हैं उनको रिन्यू कर रहे हैं। दूसरे इतनी यह भी व्यवस्था की है कि एक साल के लिए हम लीजेज में जहां उसी जमीन के लिए दो क्लेमेन्ट हैं तो ऑक्शन करके देते है और एक ही है तो एक साल के लिए देते हैं। हमने फलो के अन्दर भी अलॉटमेन्ट की व्यवस्था गई साल से की है और ज्यों ही कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी फाइनेलाइज हो जायेगी सब ठीक हो जायेगा।

श्री भीमसेन : लेकिन अलॉटमेन्ट तो आप कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसी के अन्तर्गत तो यह एक साल के लिए लीज पर दे रहे है।

श्री भीमसेन : लेकिन हमारे लिफ्ट एरिया में यह व्यवस्था नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पहले अलॉटेड थी उनको रिन्यू कर रहे हैं। नये सिरे से नहीं कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों की बात है; बाद में तो कोलोनाइजेशन की पॉलिसी फाइनेलाइज हो जायेगी तो सारा सवाल खत्म हो जायेगा।

श्री भीमसेन : राजस्थान कैनाल के अन्दर आती है उसमें लिफ्ट की सिस्टम भी है उसके बारे में भी अपने माननीय सदस्य ने एक बार प्रश्न पूछे हैं और मैंने भी एक बार कहा है कि यह थोड़े से समय का मामला है; हमारी कालोनाइजेशन पॉलिसी फाइनल हो जाने पर सारी व्यवस्था ठीक हो जायेगी।

स्थगित-प्रश्न

(२२-३-६५)

हनोतियां (कोटा) वन श्रमिक सहकारी समिति पर ठेके व ऋण की बकाया रकम

४५२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हनोतिया (कोटा) वन श्रमिक सहकारी समिति को प्रथम कूप किस वर्ष के लिये कब व कितने रुपये में दिया गया?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक ठेके व ऋण की रकम उक्त समिति में बकाया है? अगर हां, तो कितनी कितनी व क्यों?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त समिति के ठेके की मयाद बार बार बढ़ाई है जो नियम विरुद्ध है ?

उप-मंत्री, वन (श्री दौलतराम सारण) : (१) प्रथम कूप दामोदरपुरा नं० ७ सन् १९५८–५९ के लिए १३,२०० रु० में दिया गया।

(२) जी हां, केवल ठेकों की निम्नांकित रकम बकाया है:

इस सोसाइटी को ऋण नहीं दिया गया था। सन् १९५८-५९ के ठेके की मूल रकम ४,६८९ रु० है। सन् १९५८–५९ के मुआवजे की मूल रकम ५२९ रु० २२ पं० और सन् १९५८–५९ सूद १५-२-६२ तक २,१८२ रु० ५७ पं०। सन् १९६१-६२ के ठेके की मूल रकम ८४००) रु०। सदस्यों द्वारा समिति के कार्य में रुचि न लेना बकाया रहने का मुख्य कारण है।

(३) जी नहीं। समिति के ठेकों की मयाद नियमानुसार बढ़ाई गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो ठेकों की मयाद बढ़ाई जाती है यह किन रूल्स के तहत बढ़ाई जाती है ? क्या फोरेस्ट विभाग की ओर से कोई रूल्स बने हुए हैं जिनके आधार पर यह मयाद बढ़ाई जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन सा रूल है ?

श्री दौलतराम सारण : रूल १० के अनुसार।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो आप यह बतायें कि जो ठेकों की मयाद बार बार बढ़ाई जाती है वह किन अधिकारियों के द्वारा बढ़ाई जाती है ?

श्री दौलतराम सारण : अधिकृत अधिकारियों द्वारा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अधिकृत अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मुख्य वन संरक्षण अधिकारी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि ठेके की मयाद दो साल से अधिक कोई भी यह अधिकारी एवं इसके नीचे के अधिकारी नहीं बढ़ा सकते, केवल सरकार ही बढ़ा सकती है, वही अधिकृत है।

श्री दौलतराम सारण : सरकार ने भी बढ़ाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसे साल में बढ़ाई है ?

श्री दौलतराम सारण : इस साल में भी बढ़ाई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने सबसे पहले कब बढ़ाई थी इस ठेके की मयाद ?

श्री अध्यक्ष : अनुचित तौर से बढ़ाई है, क्या यह कहना है आपका ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अनुचित तौर से । डी. एफ. ओ., सी. सी. एफ. एक साल तक बढ़ा सकते हैं; इससे अधिक बढ़ाने के पॉवर्स सरकार को है । अधिक के लिये सरकार से ही सेंक्शन लेनी पड़ती है । जब कि वस्तु-स्थिति यह है कि कन्जर्वेटर ने बढ़ा दी और सरकार से अनुमति नहीं ली गई ।

श्री दौलतराम सारण : सी. सी. एफ. द्वारा बढ़ाई गई २१–१०–५६ को ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तो यह बता दीजिये, ५८–५६ में पहले दिया; तो किस ने स्वीकृति दी ? किसने फिर स्वीकृति दी ? यह बता दीजिये अलग अलग ।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने बढ़ाई है दो माह की पहले तो, ५–३–६५ को । उस में बकाया था पैसा । और उसके कूप जो थे वे बिना कटे पड़े थे इसलिये सरकार की बकाया वसूल हो जावे इस दृष्टि से मयाद बढ़ाई गई ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो ५–३–६५ की बताई है । ५८ से लेकर जब कि उसको पहले पहल दिया था, ६५ तक सात साल तक बिना सरकार की स्वीकृति के लिये । क्या नीचे के अधिकारी मयाद बढ़ा सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सी. सी. एफ. ने बढ़ाई है पहले की मियाद ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कहां से लेकर कहां तक ?

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार के बढ़ाने से पहले तक ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या यह मान कर चलें कि नियमों में ऐसा प्रावधान है कि ५–७ साल तक भी लगातार सी. सी. एफ. मयाद बढ़ा सकता है बिना सरकार की सेंक्शन लिये ।

श्री दौलतराम सारण : विदिन रूल्स मयाद बढ़ा सकता है और उसी के अनुसार बढ़ाई है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि सी. सी. एफ. कितने साल तक रूल्स के अनुसार बढ़ा सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : ये तो छपे हुए रूल्स हैं, आप पढ़ लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, पहले भी आपके आदेश के अनुसार इसी लिए इसे पोस्टपोन किया गया था । आज भी वही जवाब आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अनियमितता क्या है ! मयाद बढ़ा दी, इसके अलावा और भी अनियमितताएं हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब पहले ठेके में उसमें रकम सरकार की बकाया थी, तब फिर क्या कारण था कि समय समय पर ठेके की उसकी मियाद बढ़ाई गई ?

श्री दौलतराम सारण : इसलिए कि एक सहकारी समिति थी और नई नई थी ।

(श्री दौलतराम सारण)

सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहती है प्राइवेट ठेकेदारों के मुकाबले में और इस समिति में राज्य सरकार का पहिले का पैसा बकाया था। यह पूरे अपने कूप काट भी नहीं सकी थी। समिति की साउन्ड पोजीशन बन जावे और सरकार का भी पैसा वसूल हो जावे, इसलिए उसे और अवसर दिया। इसमें सरकार का पांच हजार के करीब बकाया था, वह अब आने की सम्भावना है तो राजहित और सहकारिता का हित देखकर यह मयाद में वृद्धि की गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि इस समिति के बारे में शिकायत आई है कि इस समिति ने इस जंगल को स्वयं न काटकर दूसरे किसी प्राइवेट ठेकेदार को ठेके दिया है और उससे कटवाया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समिति के बारे में वन विभाग ने खुद ने भी सहकारी विभाग को लिखा था कि यह समिति ठीक फंक्शन नहीं कर रही है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने जांच की और वन विभाग को सलाह दी कि इस समिति को भंग नहीं किया जावे, बल्कि इसको विभाग प्रोत्साहन दे और इसे काम करने का अवसर दे, जिससे कि यह मजबूत हो सके और राज्य सरकार का पैसा भी वसूल हो सके; इसलिए इसको और अवसर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने प्रारम्भ में सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। यह ठेके पर जो समिति ने लिया है तो वह स्वयं काम नहीं कर रही है बल्कि दूसरे ठेकेदार को ठेके दे दिया है।

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध मे सरकार जानकारी करे। इसका ठेका १९५८-५९ से चल रहा है और इतने समय तक बढ़ाती जा रही है और तथ्य यह है कि यह बोगस समिति है और केवल कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग इसकी आड़ में नाजायज मुनाफा उठा रहे हैं और ठेकेदार से कटवा रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसकी मैं जानकारी करवा लूंगा।

स्थगित प्रश्न

(२४-३-६५)

पचायत समिति हिन्डौन के सरपंचों से बीज की वसूली

४६६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति हिन्डौन के किस किस सरपंच में सन् १९६४ तक प्रत्येक साल दिया हुआ कितना बीज बकाया है ? और उसे वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली के लिए पंचायत समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : अब तक अवहेलना होने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति की सुस्ती।

श्री श्रवणलाल : यह लिस्ट आपने दी है, उसमें एक एक सरपंच ऐसा है जिसमें १०६ मन करीब बकाया है और वह बकाया ५८ से चली आ रही है ? क्या इसके बीच में भी वसूली की कार्यवाही की थी ?

श्री दौलतराम सारण : चेष्टा की गई थी कई बार। लिखा गया था। पर वसूली करवाई नहीं। अब ताकीद की जा रही है। १०६ मण तो किसी में बकाया नहीं है। अधिक से अधिक ७१ मण है।

श्री श्रवणलाल : ७८ मण तो अकेले रघुवरराम में ही है। यह ग्राम पंचायत का सरपंच है। दूसरा हरिसिंह सरोठ का है, जिसमें लगभग १०६ मण है बकाया। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिस समय बीज दिया गया था सरपंच थे ये और आज किस पोस्ट पर हैं ?

श्री दौलतराम सारण : बीज तो पंचायत को दिया गया था हमारे द्वारा। अब पंचायत में सरपंच थे तो उन्होंने हिसाब रखा होगा। नहीं रखा होगा तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उनसे वसूल किया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : आज वे सरपंच हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : इसका ज्ञान मुझे नहीं है। पर पंचायत आज भी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति कामां द्वारा प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

७२०. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर, पंचायत समिति कामां ने प्राथमिक शाला अकाता और सबलाना को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव पास कर शिक्षा विभाग को लिखा है ?

(२) यदि हां, तो शिक्षा विभाग को उक्त प्रस्ताव की कॉपी कब प्राप्त हुई और उस पर शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई ? उक्त शालाओं को

(श्री मजलिस खां)

माध्यमिक शालाओं में अब तक परिवर्तित न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, जिला परिषद भरतपुर से केवल सबलाना के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(२) छात्र संख्या निर्धारित शर्तों के अनुसार कम होने के कारण विचार नहीं किया गया । जनता की तरफ से खर्चे के सम्बन्ध में भी आश्वासन नहीं था ।

मन्दिरों में अनुसूचित जाति के पुजारी

७२१. श्री सांवलियाराम (रूपावास–सु०) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या देवस्थान विभाग के अधीन किसी मन्दिर में अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति पुजारी का कार्य करता है ? यदि हां, तो कौन कौन से मन्दिरों में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

देवस्थान विभाग के अधीन किसी मन्दिर में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) का कोई व्यक्ति पुजारी का कार्य नहीं करता है । अतः सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील शिव में 'सुन्द्रा' की रेवेन्यू यूनिट

७२६. श्री हरिराम घारू (सिवांना-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है तहसील शिव में "सुन्द्रा" के रेवेन्यू यूनिट में ८० गांव हैं, ६००० की आबादी है और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र को अलग अलग यूनिटों में विभक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां । लगभग ८६ गांव है, और आबादी ६,२६४ है ।

इस सम्बन्ध में कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी जा रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संस्थाओं को ऑडिटेड एकाउन्ट्स या ऑडिट रिपोर्ट पेश किए बिना अनुदान

६७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ अप्रेल, सन् ६२ से लेकर अब तक समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस संस्था को पूर्व वर्ष के ऑडिटेड एकाउन्ट्स या ऑडिटेड रिपोर्ट पेश किये बिना कितना कितना अनुदान दिया है, कब कब और किन

Page No 34

(श्री भैरोंसिंह)

किन नियमों के आधार पर ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१ अप्रैल, सन् ६२ से विभाग की ओर से निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान एडहोक तथा अग्रिम रूप से बिना ऑडिट रिपोर्ट तथा ऑडिट स्टेटमेंट के दी गई :

क्रम संख्या	संस्था का नाम	वर्ष जिसमें दी गई धन राशि		
		६२-६३	६३-६४	६४-६५
१.	राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	१५००००	१७५०००	१८०३२७
२.	राजस्थान समाज कल्याण संघ, जयपुर	२५०००	शून्य	२००००

उपरोक्त दोनों संस्थाओं की प्रवृत्तियों तथा कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय बोर्ड इन संस्थाओं का हिसाब देखकर अनुदान देता है। केन्द्रीय बोर्ड से अनुदान प्राप्त होने पर ही निर्धारित अनुदान के अनुसार निम्न प्रकार राज्य के समाज कल्याण विभाग की ओर से एड होक ग्रांट दी जाती है :—

		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार
१.	राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिए	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत

		केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	समाज कल्याण विभाग	विकास विभाग
२.	समाज कल्याण विकास परियोजना के लिए			
	प्रथम स्टेज	१२	६	५
	द्वितीय स्टेज	२४	१२	५

इसी प्रकार समाज कल्याण संघ को निम्न अनुपात से अनुदान दिया जाता है :—

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	समाज कल्याण विभाग
७५ प्रतिशत	२५ प्रतिशत

उपरोक्त संस्थाओं को बिना ऑडिट रिपोर्ट तथा ऑडिट स्टेटमेंट के अग्रिम एड-होक के रूप में अग्रिम अनुदान देने के कारण निम्न प्रकार हैं :—

समाज कल्याण बोर्ड के आय-व्यय के हिसाब टैस्ट ऑडिट, महालेखापाल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। विभाग की ओर से बोर्ड के कार्यालय तथा परियोजनाओं के व्यय आदि के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ऑडिट समय पर नहीं कराया जा सका। अब अप्रैल १९६५ में विभागीय ऑडिट पार्टी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। इस बीच बोर्ड की गतिविधियों में रुकावट न आवे तथा स्टाफ को असुविधा न हो इसलिए एड होक धनराशि दी गई जिन्हें शीघ्र ही एडजस्ट कर दिया जायेगा।

राजस्थान समाज कल्याण संघ, जयपुर को १९६२—६३ में दिये गए अनुदान का ऑडिट स्टेटमेंट समय पर तैयार न होने के

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

कारण आगामी वर्ष १९६३-६४ में अनुदान नहीं दिया गया। अब मार्च ६४ तक के दिये गए समस्त अनुदान की रकम के ऑडिट स्टेटमेंट माह फरवरी १९६५ में प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। संस्था की गतिविधियों में रुकावट न आवे व स्टाफ को परेशानी न हो इस दृष्टिकोण से संघ को अनुदान का कुछ भाग अग्रिम एड्होक के तौर पर दिया गया है। अब संघ का भी ऑडिट विभागीय ऑडिट पार्टी द्वारा माह अप्रेल ६५ में आरम्भ कर दिया गया है।

तहसील लसाड़िया में भूमि अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें

६८. श्री उदयलाल वर्डिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील में कई वर्षों से भूमि अलॉटमेंट की हजारों दरख्वास्तें तहसील में पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी दरख्वास्तें किस किस पटवार मंडल में किन किन कारणों से पड़ी हैं और अब वे कब तक फैसल हो जावेंगी ?

(२) सन् १९५०-५१-५२-५३ में जिन लोगों को जमीन एलॉटमेंट कमेटी द्वारा एलॉट हुई है उनकी संख्या क्या है और एलॉट शुदा जमीनों में से मौके पर कितने आसामियों को किस किस पटवार मंडल में नाप दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि सभी लोगों की जमीनें अब तक नहीं नापी गई हैं ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार प्रति व्यक्ति बीघा ५) रु०, १०) रु० जमीन की किस्म के अनुसार मांगता है और इसकी शिकायतें जिलाधीश, उदयपुर व उप-जिलाधीश, वल्लभ-नगर के समक्ष हो चुकी हैं ?

(४) क्या अब पहले की दी हुई जमीनें शीघ्र ही किसी खास व्यक्ति द्वारा नपवाने की एवं एलॉट करने की शीघ्र व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) तहसील लसाड़िया में भूमि एलॉटमेंट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र सन् ६१-६२ के १२५, सन् ६२-६३ के १५०० एवं सन् ६३-६४; के ६००, कुल २२२५ प्रार्थना-पत्र पेंडिंग थे जिनमें से २८६ प्रार्थना-पत्रों का एलॉटमेंट हुआ है। बकाया १९३९ प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं, जिसमें से सबसे पुरानी दरख्वास्तें पटवार हल्का भेरव की रह गई है जिसमें फोरेस्ट का काफी झगड़ा है और हर एक गांव के नक्शे में फोरेस्ट की लाइन फिट की हुई नहीं है जिसकी जांच कर लेने के बाद मीटिंग की तारीख रखी जाकर माह जून सन् ६५ तक निपटाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(२) सन् ५० से ५३ तक पटवार-मंडल लसाड़िया, कालीभीत, दातलिया के ३२ काश्तकारान को जमीन अलॉट हुई वह कुलिया नाप दी गई है।

Page No 36

(श्री राजस्व मंत्री)

(३) सन् ६२-६३ व ६३-६४ में जो भूमि अलॉट हुई है उसमें से कुछ काश्तकारान को भूमि नहीं नापी गई है क्योंकि पैमायश का कार्य इस एरिया में बहुत ज्यादा है। नायब तहसीलदार के विरुद्ध माननीय सदस्य की शिकायत पर जांच उप-जिलाधीश बल्लभनगर द्वारा की जा रही है।

(४) जी हां। मौजूदा स्टाफ जमीन तुरन्त नापने के कार्य पर लगाया जा रहा है।

भूमि अलॉटमेंट समिति की बैठकें-जिला बांसवाड़ा

६९. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा में सन् १९६४ से अभी तक भूमि अलॉटमेंट कमेटी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है

(२) क्या यह भी सही है कि समय पर मीटिंग नहीं बुलाने के कारण किसानों ने भूमि पर नाजायज कब्जे किए हैं ?

(१) यदि हां, तो उक्त तहसील में कितने काश्तकारों ने भूमि पर नाजायज कब्जे किए और कितने काश्तकारों से पनल्टी वसूल करने की कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

एस० टी० सी० पास छात्रों को नौकरियां

७०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला परिषद् सवाई माधोपुर द्वारा गत २ वर्षों में कितने छात्रों को एस० टी० सी० की ट्रेनिंग दी गई है ? तथा उनमें से अब तक कितनों को नौकरी पर लिया जा चुका है और कितनों को नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी जिला परिषद् द्वारा छात्रों को ट्रेनिंग के लिये लिया गया है ? यदि हां, तो उनको कब तक नौकरी में लिया जा सकेगा ?

उत्तर

(१) जिला परिषद् द्वारा एस० टी० सी० की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

काश्त के लिए भूमि

७१. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वन विभाग ने सन् ६२-६३ में कितनी भूमि काश्त के लिये काश्तकारों व सहकारी समितियों को किस किस जिले में दी ?

Page No 37

(श्री नत्थीसिंह)

(२) क्या भविष्य में भी वन विभाग भूमिहीन काश्तकारों को काश्त के लिए जमीन देने का विचार रखता है ? अगर हां, तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी ?

उत्तर

(१) सन् ६२–६३ में वन विभाग से माल विभाग में कुल ३२७२.७३ एकड़ भूमि स्थानान्तर हुई। इसकी सूची संलग्न है।

(२) कोई जमीन वन विभाग द्वारा सीधी काश्तकारों को नहीं दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२. १६. म. प.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं :

राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९६३-६४,

राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९६३-६४,

अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६५.

श्री हरिदेव जोशी (सभापति जनलेखा समिति) अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो विनियोग लेखे १९६२–६३ में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरिक्त के मामलों में सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

(१२. १८ म. प.)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५

(विचार-विमर्श)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री परसराम मदेरणा :....विचारार्थ लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जिस विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव कर रहे हैं, मेरी उनमें एक संवैधानिक आपत्ति है। और वह संवैधानिक आपत्ति यह है, अध्यक्ष महोदय कि इस बिल के क्लॉज ११, खण्ड ११ के द्वारा जिस सैक्शन १५ ए को डालने का प्रयत्न किया जा रहा है उस सैक्शन १५ में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट को भी यदि कोई मैटर रेफरेन्स में जावे, यदि रेवेन्यू बोर्ड किसी मैटर को रेफर करे तो

Page No 38

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उस विषय में हाई कोर्ट को भी कोई स्टे देने का प्रावधान नहीं होगा; जिस टैक्स की वसूली के लिए कोई रेफरेन्स हाई कोर्ट में किया जा रहा है उसको हाई कोर्ट भी स्टे नहीं कर सकेगा।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, यह भी प्रावधान किया गया है कि उसमें अगर कोई निगरानी पेश है तो उस निगरानी के दौरान में भी कोई स्टे ऑर्डर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी नहीं दे पावेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हाई कोर्ट को स्टे देने के पॉवर्स जो हैं संविधान के अन्तर्गत दिये गये हैं और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि जिसमें भी चाहे स्टे आर्डर दे। इसका क्रिएशन हिन्दुस्तान के संविधान का है। कोई मैटर किस प्रकार से उनके सामने जावे तो उसका निर्णय करने का संविधान के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है। अगर वे न्यायोचित समझते हैं तो स्टे आर्डर दे सकते हैं, पर इस बिल के द्वारा उस अधिकार को कर्ब किया जा रहा है।

इस बिल के द्वारा संविधान के तहत जो पॉवर्स हाई कोर्ट को हमारे कॉन्स्टीट्यूशन ने दी हैं, उनके विरुद्ध एक प्रावधान जोड़ा जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि अब हाई कोर्ट जो किसी सैल्स टैक्स के मैटर में जिसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म के खिलाफ यदि कोई रेफरेन्स हुआ है तो कोई स्टे नहीं दे सकता। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हाई कोर्ट के पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का इस सदन को कोई अधिकार नहीं है और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रावधान लाते वक्त क्या सरकार ने एडवोकेट जनरल, जो कि लॉ डिपार्टमेंट के हाइएस्ट ऑफिसर हैं उनकी राय इस सम्बन्ध में ली है कि यह विधान सभा हाई कोर्ट के पॉवर्स को भी कर्ब करने का कोई अधिकार रखती है? मेरा यह सब्मिशन है, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के पॉवर्स को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करने का इस विधान सभा को अधिकार नहीं है। इसलिए यह बिल जो हाई कोर्ट के पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का है वह हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि यह बिल जिसमें इस तरह का प्रावधान हमारी सरकार ने उठाकर रखा है कि इसी विधान सभा के द्वारा क्रियेट किये गये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जिसका कि वह हवाला यहां देती रही है, उसमें अब इस सरकार का कोई भरोसा नहीं रह गया है, उनकी जुडिशियरी में जिस तरह का जस्टिस सारे राजस्थान में डिस्पोज करती है उसमें राजस्थान सरकार का कोई भरोसा नहीं है; इसलिए इस तरह का प्रोवीजन इस बिल के द्वारा लाया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स के बिल्कुल विरुद्ध है। विधान सभा को हाई कोर्ट के पॉवर्स को कर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे यह निवेदन करना है कि इस मैटर पर फुल-फ्लैजड डिबेट हमारे प्रक्रिया की नियमावली के तहत जो प्रावधान है,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उस डिबेट को लागू किया जाय और मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि यह विधान सभा इस बिल पर आगे प्रोसीड करे उससे पहले एडवोकेट जनरल की राय जान लेना निहायत आवश्यक है कि यह विधान सभा हाई कोर्ट के पॉवर्स को कर्ब करने में समर्थ हैं कि नहीं; इसलिए इस विषय में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी एतराज उठाया कि इस बिल के द्वारा हाई कोर्ट के पॉवर्स को कर्टेल किया जा रहा है, ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं है, क्योंकि जो एतराज माननीय सदस्य कर रहे हैं और जिसका प्रोवीजन कॉन्स्टीट्यूशन के अंदर हैं, वह रिट का जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में है और रिट के जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी इस बिल के द्वारा नहीं लगाईजा रही है। रहा सवाल हाई कोर्ट में जो कुछ भी मुद्दे उठाये जायेंगे वे रेफरेन्स के बारे में, उठायेंगे और रेफरेन्स का जुरिस्डिक्शन और रिट का जुरिस्डिक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेफरेन्स के सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर का प्रश्न है तो जो मौजूदा एक्ट आज है उसमें भी यह प्रावधान रखा गया है, यह क्लॉज वहां पर रखी गई है। वहां पर रेफरेन्स का स्टे देने का प्रावधान नहीं है। जो मौजूदा एक्ट है, जो आज लेजिस्लेशन है जिसके द्वारा राजस्थान में यह सेल्स टैक्स एडमिनिस्टर किया जाता है उसमें। इसलिए माननीय सदस्य ने जो यह मुद्दा उठाया है यह मुद्दा आज नया नहीं है, बल्कि ऑलरेडी उसका प्रोवीजन है और प्रोवीजन के अन्दर रेफरेन्स का जो प्रोवीजन है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि रेफरेन्स के मुद्दे पर भी स्टे ऑर्डर दिया जायेगा और वही प्रावधान आज इसमें रख रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि हाई कोर्ट को रेफरेन्स के मैटर्स पर आज भी स्टे ऑर्डर लेना का प्रावधान नहीं है वर्तमान कानून में। आपने जो यह दलील दी है यह दलील इसलिए निराधार है और तथ्यों के विपरीत और कानून के विपरीत है। मैं आपका ध्यान जो है क्लाज १५ की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें स्टे का जिक्र किया है। उसमें हाई कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। इस क्लॉज १५ के सब क्लॉज़ेज (१) व (२) के तहत में कोई रेफरेन्स हाई कोर्ट में जाता है; धारा १५ (१) में तब जाता है जब कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस बात को स्वीकार कर लेता है कि रेफरेन्स किया जाय, और १५ (२) में तब जाता है जब कि हाई कोर्ट खुद उस मैटर के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आदेश दे कि यह मैटर हमें रेफर किया जाय। धारा १५ की उपधारा (१) और उपधारा (२) में जो मुद्दे हैं, उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के पॉवर्स रेस्ट्रिक्टेड हैं, आज भी वह बिल्कुल गलत है। कोई उपधारा (७) जो है उसमें साफ तौर से है कि धारा १५ की उपधारा (१) में ऐसा है कि कोई ऐसा मैटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आयेगा; उस प्रोवीजन को पढ़ कर सुनाता हूं :

"Payment of amount of any tax in accordance with the order of

Page No 40

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

Board of Revenue in respect of which aplication has been made under sub-section (I) shall not be stayed."

यानी सब सेक्शन (१) में यदि कोई दख्वास्त दी जाती है और दख्वास्त कब दी जायगी ? अध्यक्ष महोदय, जब कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी पार्टी के विरुद्ध फैसला कर देगी और फैसला करने के बाद में वह यह कहे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मैटर्स का रेफरेंस किया जाय तब वह दख्वास्त फॉरवर्ड १५ (१) के जरिये की जाती है। वर्तमान कानून यह कहता है कि उस परिस्थिति में चूंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस पार्टी के विरुद्ध फैसला किया है जिसमें रेफरेन्स की एप्लीकेशन दी है इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने खुद के फैसले के विरुद्ध स्टे नहीं करेगा, लेकिन १५ (२) में जहां हाई कोर्ट आर्डर देती है कि वह मैटर उनको रेफरेन्स में भेजा जाय तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उस परिस्थिति में हाई कोर्ट के पॉवर्स रेफरेन्स देने के, स्टे पॉवर्स को कट करने का कोई प्रावधान इस सेल्स टैक्स में नहीं है, और आपके विभाग ने आपको यह गलत जानकारी दी है कि हाई कोर्ट के पॉवर्स रेफरेन्स में अभी भी स्टे देने के नहीं हैं। १५ (२) में हाई कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म के विरुद्ध खुद आदेश देता है कि रेफरेन्स किया जाय। हम उचित समझते हैं कि कोई कानून का मुद्दा पैदा हो। उस परिस्थिति में हाई कोर्ट जो है वह रेफरेन्स में स्टे दे सकता है। इसलिए आपकी यह दलील कानून के प्रावधान के विपरीत है, और इस सदन को मैं नहीं कहना चाहता कि आप कोई मुगालता देना चाहते हों, लेकिन आप कम अन्डरस्टैंडिंग की वजह से, जो अन्डरस्टैंडिंग आपको अपने डिपार्टमेंट ने दे दी है उसकी वजह से आपने यह दलील दी है कि रेफरेन्स के पॉवर्स अभी तक हाई कोर्ट को नहीं हैं। इसलिए साबित होता है, अध्यक्ष महोदय, कि आज भी वर्तमान कानून में रेफरेन्स के हाई कोर्ट के पॉवर्स हैं। लेकिन नये बिल के जरिये वित्त मंत्री श्री कौल यह चाहते हैं कि अब हाई कोर्ट के ये पॉवर्स नहीं रहने चाहिए। अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर हम कहते हैं कि भरोसा नहीं है और आप यह कहते हैं कि आपकी सरकार को हाई कोर्ट में भरोसा नहीं है कि वह किसी मैटर पर स्टे दे दे। सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी टैक्स पेयर के रेफरेन्स मैटर में हाई कोर्ट जैसी उच्च अदालत जो है वह यदि उचित समझे स्टे देना तो वह इस कानून के प्रावधान में अब यह कहना चाहते हैं कि स्टे नहीं दिया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हाई कोर्ट के पॉवर्स में वान्टन इन्टरफियरेन्स है और यह इन्टरफियरेन्स गवर्नमेंट इस सदन की सेन्क्शन से करना चाहती है; उसके लिए यह सदन कम्पीटेन्ट नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक नया सेक्शन १५ (ए) के नाम से जोड़ा जा रहा है यह विधान सभा के कम्पीटेन्स में नहीं है। यह कहना गलत है कि आज भी पॉवर नहीं है। आज विद्यमान हैं पॉवर्स। एडवोकेट जनरल को बुलाए और वे इस सदन को कह दें कि जो इन्टरप्रिटेशन मैंने दिया है, जो मैंने व्याख्या की है वह ठीक नहीं है, तो मैं उस एडवोकेट

Page No 41

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जनरल की ओपीनियन को मानने को तैयार हूं. लेकिन राज्य सरकार एडवोकेट जनरल की बिना सलाह लिये इस तरह से डिस्क्रीश्नरी पॉवर्स जो अपने आप में निहित करना चाहतें हैं कि हमारे हुक्म के खिलाफ न तो बोर्ड ऑफ रवेन्यू स्टे दे सकती है न हाई कोर्ट स्टे दे सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि रूल ऑफ लॉ को ताक में रखना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ का ढोंग बनाना चाहते है तब तो यह प्रावधान जोड़ सकते हैं। यदि रूल ऑफ लॉ की कोई कद्र करना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि अपीलेट कोर्ट की और रिवीजनल कोर्ट को स्टे के पॉवर्स नहीं होंगे इस तरह का प्रावधान किस तरह से जोड़ा जा रहा है ? किसको पॉवर होगी ? जिस मैंटर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टे नहीं दे सके, हाई कोर्ट स्टे नहीं दे सके उस मैंटर पर सरकार का कमिश्नर स्टे दे सकता है, रिवीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहां पेंडिग है, रेफरेन्स हाई कोर्ट में पेंडिग है, लेकिन स्टे हाई कोर्ट नहीं दे सकता. स्टे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं दे सकता, लेकिन स्टे कमिश्नर दे सकता है। जो मैंटर हाई कोर्ट में पेंडिग है उसके लिए वह दे सकता है। क्या आप कमिश्नर को सुपर-हाई कोर्ट बनाना चाहते हैं ? मैंटर हाई कोर्ट में पेंडिग हैं, और रेफरेन्स हाई कोर्ट में पेंडिग है उसके लिए स्टे आपका कमिश्नर दे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जुडिशियरी का घोर अपमान है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपमान है; जिनको रिवीज़न के पॉवर्स है, जिनको रेफरेन्स के पॉवर्स हैं, उनका स्टे नहीं मानते हैं। मैंटर उनके सामने पेंडिग है और नीचे का अधिकारी को क्वाज़ी-जुडिशियल ऑफिसर है उसको कहते हैं कि वह स्टे दे दे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि उसको कितने वाइड पॉवर्स दिये गये है, मैं यह पाइन्ट आउट करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट करके एक अधिकारी को पॉवर देना चाहते हैं, तो यह कानून का मजाक है, यह रूल ऑफ लॉ का मजाक है, रूल ऑफ लॉ को ताक में रखने की चेष्टा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल अनकॉन्स्टीट्युशनल प्रोवीज़न एड किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने एडवोकेट जनरल से राय ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पहले कि इस बिल को प्रॉसीड करें एडवोकेट जनरल इस क्लॉज़ के मुतल्लिक इस सदन में अपनी राय जाहिर करें ताकि यह सदन उनकी राय से अवगत हो सके, आया जिस कानून को पास करने के लिए सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्ताव किया है उस कानून को यह सदन पास भी कॉन्स्टीट्यूशन के तहत कर सकता है या नहीं कर सकता !

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ९, ११ - इस एक्ट के द्वारा जो सेक्शन १५ (ए) का नया प्रावधान किया जा रहा है इसके बारे में माननीय श्री मानिकचन्द सुराणा ने जो

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

आपत्ति उठाई है उसमें बहुत कुछ सार है और उप मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया है वह इस एक्ट को गहराई से देखने से निस्सार मालूम होता है। आवश्यकता तो आज इस बात की थी कि हम जुडिशियरी में अपना विचार प्रगट करते और जो एक राजनैतिक दृष्टि से सारे भारतवर्ष में...

श्री अध्यक्ष उस क्लॉज पर बहस नहीं हो रही है। वैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में विचार हो रहा है कि इसे सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान के प्रस्ताव को न लिया जाय!

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जहां देश में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेट करने की बात चल रही है वहां पर इस क्लॉज के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के स्टे एप्लीकेशन सुनने का अधिकार नहीं है और कमिश्नर को सब अधिकार इस राज्य सरकार के द्वारा दिये जा रहे हैं। उसके बाद जो भी अधिकार दिये गये हैं उसकी अपील लाई नहीं करती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाई कोर्ट के अधिकार को छीन कर कलेक्टर को वे अधिकार दिये जा रहे हैं! That is nacked, arbitrary, unlimited and uncontrolled power; जो कमिश्नर पर रेस्टोर की जा रही हैं, ऐसी पॉवर्स कन्स्टीट्यूशन की दी जा रही हैं'। मैं समझता हूं कि संविधान के आधार पर कलेक्टर को ये पॉवर्स नहीं दीये जा सकती और हाई कोर्ट से ये पॉवर्स नहीं छीने जा सकते। हाई कोर्ट के इन-हेरेन्ट जो पॉवर्स हैं उनके अनुसार कोई आदमी उसके पास एप्रोच करे, तो उसको जो स्टे करने का अधिकार है उस अधिकार को कर्ब करने के अधिकार का प्रयोग इस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं और आपसे मैं मांग करता हूं कि माननीय मुराणाजी ने जो आपत्ति उठाई है, इस पर आप अपना निर्णय दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में विशेष जानकारी तो नहीं प्राप्त की, लेकिन दो माननीय सदस्यों ने मेरे पहले अपने विचार प्रगट किये हैं, उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि यदि सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान रखा है कि जिसके द्वारा यदि हाई कोर्ट को कोई रेफरेन्स करना हो ओन इट्स ओन मोशन तो भी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर दिया जाय, तो मेरे ख्याल में यह वैधानिक रूप से अनुचित और नाजायज है। दोयम, यह सामान्य विचार की समस्या है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना ऊंचा कर्मचारी हो, वह अगर कोई व्यवस्था देता है तो जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार वह व्यवस्था उसकी फाइनल डिसीजन के रूप में हो, अपीलेबल नहीं हो, उसके ऊपर कोई अपील ही नहीं हो – तो मेरे ख्याल में यह व्यवस्था अवांछनीय है और वैधानिक दृष्टि से अनुचित है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, इस विषय में वैधानिक आपत्ति मेरे लायक मित्र श्री मुराणा ने उठाई है। उसके अलावा भी हम जब बिल को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि कई वैधानिक आपत्तियां इसमें खड़ी होती हैं और ज्यों ज्यों गहराई के साथ इस बिल को आप पढ़ेंगे तो यह महसूस होगा कि किस तरह से कितने अधिकार हमारे सदन से एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज़ लेना चाहती हैं और क्या उतने अधिकार इसके लिए देना वांछनीय रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो पहला क्लाज मैंने देखा बिजनेस की डेफीनिशन का...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बहस में इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है. यह आप सामान्य डिबेट के समय कह सकते हैं। प्रश्न यह है कि इसे सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं दूसरा कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन आपके समक्ष उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसे पहले स्टेट कर दीजिये, उसके बाद में रीजन दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कॉन्स्टीट्यूशन के आइटम ५४ में, जहां तक मेरा ख्याल है. स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टीट्यूशन के जरिये अधिकार दिया गया है कि वह सेल्स को ही टैक्स कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में ऑथोरिटी है कि अलावा सेल के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जब यह ऑथोरिटी है सुप्रीम कोर्ट की तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सेल की डेफीनिशन बढ़ाना और किसी प्रकार की चीज को सेल में इन्क्लूड करना अल्ट्रा वायर्स है। जो बिजनेस की डेफिनिशन की गई है. बिज़नेस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटीज हैं, जिनमें खास तौर पर इस प्रकार की ऑथोरिटी है उसमें बिज़नेस को यह माना है कि केवल प्रोफिट के लिए जहां बिज़नेस हो वह बिजनेस सेल्स टैक्स के तहत आता है। इसमें क्या किया गया है—कोई भी इन्स्टीट्यूशन हो, कोई भी स्कूल हो–उसमें होने वाली सेल को बिजनेस माना है। मान लीजिये एक क्लब है, वह कोई चीज खरीदता है और उसके ज़रिये मेम्बर्स में वह डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है–उसको भी बिज़नेस के रूप में मान कर सेल्स के रूप में इसमें इन्क्लूड करने की कोशिश की गई है. जो अल्ट्रा वायर्स है और कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर जो प्रोवीज़न है उसके खिलाफ है। इसलिए 'सेल' की डेफीनिशन को इतना वाइडन नहीं किया जा सकता है, उसको सेल्स टैक्स में लेकर अदरवाइज़ टैक्स करने की बात होती है।

दूसरा जो प्रावधान इसमें है .उसमें मैंने एक बात देखी है और वह यह है कि धारा १४ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा रिवीज़न के सम्बन्ध में प्रावधान दिया है। उसमें असेसिंग ऑथोरिटी को अधिकार दिया गया है कि वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसी केस को रिवीज़न के लिए मूव कर सकता है। पहले प्रावधान था कि अगर डीलर को

Page No 44

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हीअर किये हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसीजन नहीं कर सकता। यह राइट हर एक आदमी को है कि लॉ कोर्ट में बगैर उसको हीअर किये फैसला नहीं हो सकता। यह प्रावधान एक फंडामेंटल जस्टिस का इसके जरिये से दिया गया है। दफा १४ का जो प्रावीज़ो है उसमें है :

"that no order shall be passed prejudicial to a dealer without giving him an opportunity to be heard."

यह फंडामेंटल जस्टिस का सवाल है और यह नेचुरल जस्टिस का मामला है कि कोई भी आदमी के खिलाफ अगर कोई ऑर्डर पास करवाता है कोर्ट ऑफ लॉ से तो Board of Revenue is a court.कोर्ट अगर किसी आदमी के खिलाफ राय देती है या किसी आदमी के खिलाफ ऑर्डर देती है तो बगैर हीअर किये हुए नहीं देती है क्योंकि यह फंडामेंटल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और यह हाई कोर्ट में जाकर सेट असाइड को जायगा। यह चीज है जो फैसले के ऊपर रिट और अपील करने से डिबार करती है डीलर को, वह अपने मामले को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने पुट अप नहीं कर सकता और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने जो असेसिंग ऑथोरिटी के द्वारा रिवीज़न के लिए मामला मूव होगा, उस पर वह अपना फैसला दे देगा। यह दूसरी आपत्ति है कि जो अधिकार इन्होंने दिया है उसके प्रतिकूल यह पड़ता है।

तीसरी आपत्ति है वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि इसमें यह कहा गया है :

"Amendment of section 11-In section 11 of the Sales Tax proviso to sub-section (3) shall be omitted .:"

इसमें निवेदन करना यह है, हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो, लेकिन मैंने असेम्बली से सेल्स टैक्स अप टू डेट अमेंडेड लिया है, जिसमें सब अमेंडमेंट शामिल हैं, लेकिन उसमें कोई प्रोवीज़ो नही है, ११ के साथ। यह गल्ती किस तरह से आ गई, यह हो सकता है कि इस किताब में गल्ती हो और मेरा कहना गलत हो। लेकिन पूर्ण रूपेण जब तक इसे नहीं देखें तब तक नहीं कह सकते। तो तीसरी चीज़ यह है कि ऐसे जो मामले हैं जिसमें कॉन्स्टीट्यूशनेलिटी अराइज होती हो उसमें मैं उम्मीद तो यह करता था कि शायद गवर्नमेंट ने एडवोकेट जनरल से राय ले ली होगी और एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद हो इस बिल को पेश किया गया है। लेकिन अगर राय नहीं ली है तो बेहतर होगा कि एडवोकेट जनरल से इस सम्बन्ध में सलाह ली जानी चाहिए।

यदि सदन में एडवोकेट जनरल आकर इस बात को कहे कि ठीक है, यह ठीक होगा तो हमको भी संतोष हो जायगा और हम भी कह सकेंगे अपनी बात उनके सामने और उसको मद्दे नजर रख कर वे अपनी ओपीनियन दे सकेंगे। मैं समझता हूं, यह जो आप प्रावधान कर रहे हैं तीन-चार सेक्शन्स बना रहे हैं वे अवैधानिक हैं और उनको चुनौती दी जायगी और इससे लिटिगेशन बढ़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : माननीय सदस्य ने संकेत किया है कि राजस्थान सैल्स टैक्स एक्ट, १९५४ की धारा ११ में कोई प्रोविज़ो नहीं है। शायद उन्होंने अमेन्डेड एक्ट नहीं देखा होगा। सन् ६४ में जो संशोधन हुआ उसमें इस सेक्शन के नीचे प्रोविज़ो किया है। यह आपका माइनर ऑब्जेक्शन था।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने, जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं, कहा कि हाई कोर्ट में रेफरेन्स हो तो सेक्शन १ के नीचे स्टे का प्रोविज़न कर दिया है, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड हाई कोर्ट में जाने के लिये रिफ्यूज़ कर दे और उस रिफ्यूज़ल के खिलाफ अपील करता है तो स्टे नहीं किया है; उनके कहने का मतलब यह है यदि इस तरह के स्टे का प्रोविज़न नहीं है तो उसका मतलब यह होगा कि हाई कोर्ट सब सेक्शन (२) में स्टे कर सकता है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब-सेक्शन १५ (१) कहता है कि कोई आदमी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले से एग्रीव्ड है, वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दरख्वास्त देगा कि इस केस में रेफरेन्स किया जाय हाई कोर्ट में। इस सेक्शन में आपने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस एप्लीकेशन को सुनेगा तब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई फैसला स्टे करने का नहीं देगा क्योंकि पार्टी के विरुद्ध फैसला तो उसने पहले ही दे दिया है। यदि पार्टी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो पार्टी को अधिकार होगा कि वह हाई कोर्ट में डाइरेक्टली जाय। जब पार्टी डाइरेक्टली हाई कोर्ट में जाकर सेक्शन १५ (२) में दरख्वास्त देती है तो आपकी उप-धारा (७) में भी ऐसे मैटर्स में जब वह खुद एप्रोच करता है तो स्टे करने का प्रावधान नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : है estoppel on the discretionary authority of the highest judicial authority.

श्री परसराम मदेरणा : एक पक्ष की तो बात सुन लीजिये। आपके कहने के अनुसार रेवेन्यू बोर्ड के रिफ्यूजल के बारे में रेफरेन्स किया जाता है वह रेफरेन्स हाई कोर्ट में जायगा; वहां हाई कोर्ट पर पाबन्दी नहीं है कि स्टे कर सके। यदि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद भी रेफरेन्स भेज दे तो इस परिस्थिति में हाई कोर्ट की पॉवर्स फेटर नही होती। उप-धारा (७) जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सुने तब तक रेवेन्यू बोर्ड खुद स्टे नहीं कर सकता, यह रेस्ट्रिक्ट किया है।

इसके लिये उप-धारा (७) को पढ़ना आवश्यक हो गया है। उप-धारा (७) को पढ़ेंगे तो साफ हो जायगा कि स्टे ऑर्डर दे सकता है या नहीं और यदि नहीं तो दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता और यदि रेफरेन्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हाई कोर्ट को किया है तो उस पर लेजिस्लेचर कोई पाबन्दी लगाता है या नहीं, इसका पता सब सेक्शन (७) से लगेगा; इसलिये सब-सेक्शन (७) को पढ़ना जरूरी हो गया है। उसमें लिखा है:—

"The payment of the amount, if any, of tax due in accordance with the order of the Board of

(श्री परसराम मदेरणा)

Revenue in respect of which an application has been made under sub-section (1) shall not be stayed pending the disposal of such application or any reference made in consequence thereof,"

'इन कॉन्सीक्वेन्स देयरऑफ' का मतलब यह होता है कि हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देता है या हाई कोर्ट रिफ्यूज नहीं करता है, रेफरेन्स करता है तो उनसे स्टेटमेन्ट मंगाना कॉन्सीक्वेन्शियल है। "इन कॉन्सीक्वेन्स देयरओफ" यूज किया है, उसका मतलब यह है कि सेक्शन (१) के लिये स्टे के पॉवर्स हैं वे (२) के लिये कॉन्सीक्वेन्शियल कब होते हैं "in consequence thereof" means when the Revenue Board refuses to make a reference to the High court. इसलिये जिस जगह लेजिस्लेचर ने पाबन्दी लगाई है, जब लेजिस्लेचर एक दफा कॉम्पीटेन्ट है तो यह मुद्दा उठाना कि अब कॉम्पीटेन्ट नहीं है, ठीक नहीं है। स्टे ऑर्डर की जब पाबन्दी लगाई है तो यह समझ में नहीं आता कि इस तरह के रेफरेन्स के संबंध में स्टे ऑर्डर जब कभी हाई कोर्ट में किया जायगा; इन्कम टैक्स एक्ट में भी साफ है:-

"Notwithstanding that a reference has been made to the High-court or Supreme Court or an appeal has been preferred to the appellate authority, tax will be payable in accordance with the provisions..."

इस तरह का प्रोविजन दूसरे स्टेच्यूट में भी है इसलिये यह कहना कि इस तरह का प्रावधान कहीं कहीं है या हाई कोर्ट की इनहेरेन्ट पॉवर पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है जिसके लिये सदन कॉम्पिटेन्ट नहीं है, मैं समझता हूं, सदन कॉम्पिटेन्ट है। रेफरेन्स के मामले में दूसरी जगह भी प्रावधान है और जैसा आज करने जा रहे हैं वैसा प्रावधान ऑलरेडी पहले था। एक्ट में नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिये कॉन्स्टीट्यूशनल मुद्दा नहीं है जिसके लिये एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। हमने लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली है। राज्य सरकार की मान्यता है कि ऐसा कानून लाया जा सकता है और जो लाया जा रहा है उसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट कॉम्पिटेन्ट है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या आपका मतलब यह है कि पहले ऑलरेडी प्रावधान था उसको अलग सेक्शन में डाला गया है?

श्री मानिकचन्द सुराणा: माननीय मंत्रीजी की कुल बहस यह है कि धारा १५ (७) में यह अधिकार वर्तमान में हाई कोर्ट को नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह अधिकार नहीं हैं तो इसके लिये यह धारा बनाना १५ (ए) और यह कहना कि हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर का रेफरेन्स नहीं कर सकते, निरर्थक हो जाता है और यदि प्रावधान है और उसका उपयोग होता है तो धारा १५ (ए) की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हाई कोर्ट में अब तक स्टे दिया जाता रहा है और उसके पॉवर फैटर नहीं किये हैं, इसलिए हाई कोर्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के ओब्जेक्शन को मीट करने के लिए धारा १५ (ए) को यूज करना चाहते हैं जिसमें ये वर्डिंग्ज़ यूज़ किये गये है :—

"Notwithstanding that a reference has been made to the High-Court or an appeal preferred to the appellate authority or an application for revision of an order has been preferred to the Board of Revenue, the tax shall be paid in accordance with the order in respect of which reference has been made or against which an appeal or revision has been preferred, as the case may, and the payment of tax shall not be stayed by any of the aforesaid authorities."

यहां हाई कोर्ट की ऑथोरिटी भी पेमेन्ट ऑफ टैक्स को रोक नहीं सकती; तो मेरा मतलब यह है कि आपके कहने के अनुसार पहले से प्रावधान है और अधिकार है तो १५ (ए) की आवश्यकता क्यों पड़ी है? यह तो आप कानूनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एडवोकेट जनरल जो इन्टरप्रिटेशन मंत्रीजी ने दिया है वह दे नहीं सकते। इसमें सरकार का भी विश्वास नहीं है। इसलिए धारा १५ (ए) पेश की है। हाई कोर्ट नहीं कर सकता, यह आपकी दलील गलत है। आप इस पर बहस नहीं करना चाहते, एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय नहीं लेना चाहते। यह राजस्थान की जनता को नहीं दिखाना चाहते कि एक बिल मंत्रीजी ने पेश किया, एडवोकेट जनरल ने आकर उसके विरुद्ध राय दी। तो आप पोलिटिकल बैकग्राउन्ड में एडवोकेट जनरल को नहीं बुलाना चाहते हैं, वर्ना आप उनको बुलाइये, वे बार ऑफ दि हाउस के सामने अपनी राय दें। हाई कोर्ट के पॉवर्स को फैटर करने का इस विधान सभा को पॉवर नहीं है। जो पॉवर कॉन्स्टिट्युशन ने हाई कोर्ट को दी है कि किसी भी मैटर में वह इन्टरफियर कर सकता है, जो उसके सामने लाया जाय उस पॉवर में आप इस बिल के द्वारा इन्टरफियर करना चाहते हैं, यह हमारे लेजिस्लेचर की कॉम्पीटैन्स के विरुद्ध है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो इस एक्ट की धारा १५ के सब सेक्शन (७) को ओमिट करके उसका समावेश नये बिल के क्लाज़ १५ (ए) में किया है उसके बारे में यह कहना कि यदि मान लो कि यह पॉवर आपके पास पहले थी तो आज क्यों डाल रहे हैं, हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो स्टे की प्रोवीजन जितनी भी क्लोजेज़ में जहां जहां पर थीं उनको बैटर ड्राफ्टिंग के लिए यहां पर लाये हैं, यह एक बात। दूसरी बात यह है कि जितने रेफरेन्स चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हों, चाहे रिफ्यूज़ल के बाद एप्लीकेशन के हों उनमें हाई कोर्ट में एक भी स्टे नहीं दिया, रिट में स्टे का अधिकार है, लेकिन रेफरेन्स के मामले में पाबन्दी लगा दें तो न तो पहले प्रोविजन था न आज है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुराणा ने आपत्ति उठाई है और जिसका

(श्री अध्यक्ष)

समर्थन कई माननीय सदस्यों ने किया कि जो विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाही गई है उसके अन्तर्गत हाई कोर्ट को हमारे संविधान में अधिकार दिये गये हैं उनको वापिस लिया जायगा; अत: इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जावे। लेकिन जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि अधिकार जो हाई कोर्ट को हैं वे इसी बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत हैं, वे इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये हैं। अगर इसमें प्रावधान नहीं दिया जावे तो स्वतः हाई कोर्ट को अधिकार नहीं मिलते। संविधान में रिट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वह इससे अलग है; इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है और जो इस विधेयक द्वारा सदन ने अधिकार दिये हैं, कोई भी हो हाई कोर्ट हो या अन्य कोई, इसमें संशोधन करके वापिस भी लिया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि यह संविधान में नहीं है और इसको नहीं लिया जावे, मैं यह आपत्ति स्वीकार नहीं करता। और यह कहना कि हाई कोर्ट को स्टे के ऑर्डर नहीं दिये जावें, इसके लिए माननीय मंत्री ने बताया वह तो औचित्य का प्रश्न हो जाता है, न कि संविधान का। क्या हाई कोर्ट को पॉवर हैं और संविधान में है, इस पर आगे कार्यवाही नहीं करें। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है उसे मैं अस्वीकार करता हूं और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे प्रस्तुत किया हुआ मान कर जो आगे कार्यवाही की जावे ऐसा मान कर आगे बढ़े इसके लिए मैं आज्ञा देता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए या इसको प्रवर समिति में भेजने आदि के लिए सामान्य बहस जो भी इस अवसर पर हो सकती है वह सारी बहस आज समाप्त की जावेगी और सरकार की ओर से कल प्रातः सारी बहस का उत्तर दिया जावेगा और उसके बाद में खंडशः विचार किया जावेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य इस पर अपना विचार करें और बहस करें।

(विराम)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

(१) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा),
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद),
श्री सम्पत्तिलाल वोहरा (मावली),
श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा),
श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा),
श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक),
श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) व
श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ़

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५ को दो माह। एक माह। पन्द्रह दिन। एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर),
श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत),
श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर),
श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम),
श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन सात दिन के अन्दर अन्दर । दस दिन । एक सप्ताह में । तीन मास में । दो माह में । एक माह के भीतर भीतर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अन्दर प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की सूची बाद में दे दी जावेगी) ।]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६५ पर, जो पहले से ही काफी विवादास्पद है और जिसके बारे में जनता काफी जाग उठी है, व्यापारियों की दृष्टि से, बिजनेस कम्यूनिटी की दृष्टि से, बार एसोसियेशन की दृष्टि से, जिसके बारे में काफी शिकायतें मिल चुकी हैं; आज वित्त मंत्री महोदय राजस्थान में जो धांधली चल रही है, राजस्थान में कर वसूली में जिस प्रकार की धांधली की जा रही है इन सारी वसूली की गड़बड़ियों के होते हुए भी यह काला कानून बनाया जा रहा है और जिसके ऊपर सदन की मोहर लगाना चाहते हैं, ताकि वे जनता की खुली लूट कर सकें । आज इस प्रकार की खुली लूट जन-धन की हो रही है, इंडस्ट्री की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है; यानी इस कानून के द्वारा राजस्थान की हर चीज को पीछे ले जाने वाला कार्य किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का एक मौलिक प्रमाण देकर अपनी बात को इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा कि इस कानून के द्वारा हमारे राजस्थान के व्यापारियों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, राजस्थान की जनता को किस प्रकार नुकसान उठाना पड़ रहा है और यही नहीं राजस्थान की इंडस्ट्री को कितना नुकसान इससे पहुंच रहा है । आज हमारे व्यापारियों को, राजस्थान के व्यापारियों को इस सेल्स टैक्स कानून में चोर बनना सिखाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे जितने भी कानून बने हैं और जो यह कानून बनाया जा रहा है वह यह सिद्ध करता है कि राजस्थान के व्यापारियों को यदि राजस्थान में रहना है तो उसे चोर बन कर ही रहना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो सेक्शन २१ (बी) है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यापारी केश मीमो नहीं काटेगा तो उस पर उसका डबल जुर्माना होगा । लेकिन यदि कोई इसका इंटरप्रिटेशन

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

प्रेक्टिकल रूप में करता है तो यह होता है कि यदि कोई व्यापारी ईमानदार है और ईमानदार होने के कारण यदि वह अपनी वहियों में एन्ट्री कर दे, या माल बेचते समय उसका लड़का बिल काटना भूल जाय और और वह शाम को बही में एन्ट्री कर दे और अपनी ईमानदारी से बही में एन्ट्री कर टैक्स पे कर दे तो उसे डबल टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसने बीस रुपये की कीमत का माल बेचा तो उसे उसका डबल यानी चालीस रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह निकला कि अगर वह बिल काटना भूल गया है तो फिर उस आइटम को वही में भी दर्ज नहीं करें क्योंकि अगर वह दर्ज कर देता है तो उसे दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा, तो इस प्रकार आपने व्यापारी को चार बनाने की कोशिश की है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय इतना ही होता तो भी अच्छा होता लेकिन इस कानून के द्वारा जो व्यापारी चोर है उसको कम सजा और जो ईमानदार हैं, जो साहूकार है उसको ज्यादा सजा दी जाती है। ऐसा ही प्रावधान इस बिल में है। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी सेक्शन २१ (बी) को रेफर किया उसके अनुसार अगर कोई बिल नहीं काटता है तो उसको दुगुना जुर्माना देना होगा यानी अगर उसने बीस रुपये का माल बेचा तो उस पर चालीस रुपये जुर्माना होगा लेकिन अगर कोई बिल भी नहीं देता है और उसकी एन्ट्री भी नहीं करता है लेकिन वह पकड़ा जाता है तो उसे टैक्स का दुगुना देना होगा, यानी किसी माल पर एक रुपया टैक्स लगता तो उससे दो रुपया वसूल किया जायेगा। इस तरह जो चोर है जिसने बिल भी नहीं काटा और वहियों में एन्ट्री भी नहीं की उसको तो दो रुपये देना पड़ेगा और जो ईमानदार है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है उसको चालीस रुपये देने पड़ेंगे। यह आपका कानून है, अध्यक्ष महोदय। इसी तरह आज देश में आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजस्थान के व्यापारी, हैं वे राजस्थान के उद्योग को राजस्थान की इण्डस्ट्री को पनपावें, राजस्थान के माल का एक्सपोर्ट हो, लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस कानून में इस तरह का प्रावधान किया है कि अगर तुम राजस्थान के बने माल का एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जायेगी।

होना तो यह चाहिए कि राजस्थान के बने माल को अधिक से अधिक तादाद में बाहर बेचा जाये लेकिन ये कहते हैं कि राजस्थान के बने माल को केवल राजस्थान के अन्दर ही बेच सकते हो और अगर किसी ने भूल से बाहर भेज दिया तो उस पर सवाया टैक्स लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ही होता तो भी अच्छा होता लेकिन यहां तो उस पर डबल जुर्माना भी लगाया जायेगा क्योंकि राजस्थान की आमदनी बढ़ाने के लिए। राजस्थान के माल को उसने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। यह है हमारे टैक्सेशन की हालत। दूसरी स्टेट्स का उदाहरण मैं आपको दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई तेल बनाकर बाहर भेजता है तो उसे ३० पर्सेन्ट कमेशन दिया जायेगा लेकिन दूसरी ओर राजस्थान है कि जहां अपना माल बाहर बेचने पर सवाया टैक्स और दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा यानी चार गुना टैक्स देना

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं आप एग्रीकल्चर की बात ले लीजिए। आज हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर्स यह घोषणा करते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए हम आधी कीमत पर ट्रेक्टर देंगे, आधी कीमत पर इम्प्लीमेंट्स देंगे, कृषि के साज सामान आधी कीमत पर देंगे ताकि खेती की तरक्की हो और आमदनी बढ़े। लेकिन आज राजस्थान में क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हर चीज पर टैक्स है। ट्यूब-टायरों पर जो पहले २ पर्सेन्ट टैक्स था उसको छः पर्सेंट कर दिया। खेती के जो दूसरे उपकरण हैं उन पर टैक्स है, खेती के कीटाणुओं को मारने की दवा पर छः पर्सेन्ट टैक्स है, यही नहीं जो बुलोक कार्ट्स हैं उन पर भी टैक्स है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कृषक के काम में आने वाली हो और उस पर टैक्स न हो। यानी जो भी चीज़ आपके किसान के काम की है, बेलों के खाने के लिए दवा तक पर टैक्स है यानी किसान को किसी प्रकार की राहत इस हमारे टैक्सेशन कानून के द्वारा नहीं मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज की तरफ देखें तो मैंने एक उदाहरण अभी पहले दिया, अब मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान के कानून में किसी प्रकार की स्थिति है। अगर तुम रॉ-मेटिरियल बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं है लेकिन अगर प्रोडक्ट करके बेचोगे तो टैक्स लगेगा। यहां पर मिल्क प्रोडक्ट पर टैक्स लग गया है। इसी तरह जो कपड़े हैं, यहां पे ओढ़णे लूकड़ी आदि बनते हैं जो हिन्दुस्तान में दूर २ तक जाते हैं उन पर टैक्स लगता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उससे मैं यह मानता हूं कि जिन लोगों के हाथों में राजस्थान का भविष्य है वह उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। इन सारी खामियों के कारण ही जब सन् ६२ में हाम चुनाव जीत कर आए थे तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि सैल्स टैक्स कानून की खामियों के कारण ही हम अधिक सीटें नहीं जीत सके। उसके बाद एक कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी ने दो दो बार इन्टेरिम रिपोर्ट दी लेकिन उन सिफारिशों पर कोई अमल नहीं किया गया। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि इस कानून को नया बनाया जाय और अगर उनके अनुसार कार्यवाही की गई होती तो इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने बड़े महत्वपूर्ण कानून को जिसके दूरगामी परिणाम होंगे बिना सोचे समझे नहीं लाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आज प्रजातन्त्र की दृष्टि से जब एक व्यापारी-डैप्यूटेशन जो व्यापारियों का प्रतिनिधि मण्डल होता है उसको कोई बात कही जाय, कुछ आश्वासन दिए जायं तो उसको कार्य रूप में भी परिणत करना चाहिए। १५ जनवरी के राष्ट्रदूत में समाचार छपा है कि टैक्सेशन कमिश्नर से भेंट की गई और उसके उत्तर में मण्डल की तरफ से, उद्योग मण्डल की तरफ से उसमें यह लिखा था कि अगर अंतिम बिन्दु पर टैक्स देकर व्यापारी माल ले आएगा तो उससे दुबारा टैक्स नहीं लिया जायेगा। इस पर ३१ मार्च तक इस आश्वासन को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई चिट्ठियां भी लिखी गई पर कोई जवाब नहीं आता

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

है। इस तरह की इस महकमे की हालत है, अध्यक्ष महोदय। अब जो विधेयक विचारार्थ है यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है इसमें बिजनेस की डेफीनिशन की गई है। राजस्थान में जो बिजनेस की डेफीनिशन की जा रही है उसके बारे में मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल मद्रास की नकल है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, आज जो इस टैक्सेशन जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बहस हो रही है तो माननीय वित्त मंत्रीजी को यहां मौजूद रहना चाहिए, यह आपके देखने की बात है। वित्त मंत्रीजी पॉलिसी ले डाउन करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी का निर्धारण उन्हीं के द्वारा होता है, उनका भी यहां होना जरूरी है।

(१.०० म० प०)

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता पोलिसीज़ को ले डाउन करने में। जो ऑफिसर्स हैं, जो व्यापारियों से काम कराते हैं, वे आपके अन्डर में नहीं है, जो आप कमिट करते हैं वह विदाउट अॉथेरिटी के हैं, वे यहां सदन में बैठे रहें और उनके सामने आप कहें तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि ठीक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मामला है। आप फाइनेन्सेज़ को कन्ट्रोल करते हैं क्या? इस विभाग के पॉलिसी मैटर्स के बारे में तो आप कुछ कहेंगे नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कौन कन्ट्रोल करता है, कौन क्या करता है, यों तो कल आप कह देंगे कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं कमिश्नर, उनको यहां बुलवायेंगे क्या? मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है तो I represent the Government.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह पूछता हूं, आपको रिटन में कोई काम दे रखा है क्या एज़ ए फाइनेन्स मिनिस्टर? जबरदस्ती कानून की बात करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है; पर डिविज़न ऑफ वर्क है उसमें जहां कानून बनाने का सवाल है, नोटिफेकेशन्स का सवाल है, रूल्स बनाने का सवाल है, ये काम मेरे जिम्मे हैं। यह मेरे जिम्मे है तो मैं डाइरेक्टली खुद देखता हूं, इस काम को मैं करता हूं और डिविज़न ऑफ वर्क में भी यह मेरे पास है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उत्तरदायित्व है, जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है; लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो तो फाइनेन्स मिनिस्टर का सदन में होना आवश्यक है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि आपके और उनके बोलचाल भी नहीं हैं, उनके और आपके रसूकात बिगड़े हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, वित्त–मन्त्री सदन से थोड़ी देर के लिये बाहर गये हैं, वे कह कर गये हैं कि काम से जा रहा हूं, अभी आऊंगा। वे अभी आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : विधेयक के बारे में जानकारी करने के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, दूसरे काम के लिये।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन्स परिभाषा के बारे में हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि "बिजनेस" की क्या डेफिनिशन है। चाहे एक्ट में लिखा था या नहीं लिखा था, इस सम्बन्ध में जो इम्पॉर्टेन्ट डिसिजन्स हैं उनकी कुछ लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा :

"The Aligarh Muslim University which maintains dining halls wherein it serves food and refreshments to its resident students, is not liable to sales tax on the fees charged by it from students for covering the expenditure over dining halls. It is also not a dealer within the meaning of section 2 (c)"

यह यूनिवर्सिटी के बारे में है। इसी तरह का एक केस के बारे में है :

" The dining hall service is an integral part of the University for imparting education to the students. It is indissolubly blended with and is in inseparable component of, education of this university. I find it difficult to appreciate the respondents' argument that the dining-hall service of the university should be treated as carrying on the business of buying or selling. In my opinon, the University is not a 'dealer' as defined by the Sales Tax Act."

श्री परसराम मदेरणा : कौन से साल का जजमेंट है ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : १९६५ का है, साहब, लेटेस्ट।

श्री परसराम मदेरणा : हाई कोर्ट इलाहबाद का ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जी हां। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी बतलाऊंगा।

दूसरा जजमेंट इन्डस्ट्रियल पर्चेजिंग और सेलिंग के बारे में बताना चाहूंगा, अम्बिका मिल्स का है, Hindustan Spinning and Weaving company Ltd. :—

"That the frequency, regularity and volume of the transactions will be factors relevant and helpful in determining whether any particular transaction is in the course of business or not, but the mere existence of these factors will not by themselves be sufficient to hold that the particular transaction is a business transction;

Page No 54

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

that although the sale of the old machinery had been an item of serveral such sales effected by the assessee during the preceding four years, the sale could not be said to have been done in the course of its business activity and therefore the assessee would not be a dealer as regards that sale and was not liable to sales tax." इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कोई मशीन बेचे हर साल बेचे, पर सरकार की बिजनेस की डेफिनिशन में आज तक नहीं आता था।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक अम्बिका मिल का है स्टेट ऑफ गुजरात का। इसमें लिखा है :—

"That ordinarlly a person cannot be said to be carrying on business of selling assets of a business, and therefore, sales of such assets when they have become useless or unserviceable either by reason of their having to be substituted by modern machinery or by the usual wear and tear cannot be regarded as business or business activity."

तो जो 'यूज़लेस मशीनरी' है उसके बेचने पर भी बिजनेस नहीं गिना जा सकता।

नेक्सट। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश।

"The expression 'business' in the definition of dealer was used in a commercial sense and therefore there must exist a profit motive in regard to the commodities in respect of which the impost is sought to be levied and therefore where a person bought large quantities of any category of goods for the purpose of consumption or for any other purose unconnected with the business in that commodity he could not be regarded as a business man with in the mischief of rule 5."

नेक्सट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यह भी १९६४ का है :—

"Thee xpression 'business' though extensively used is a word of indefinite import. In taxing statutes it is used in the sense of an occupation or profession which occupies the time, attention and labour of a person, normally with the object of making profit. To regard an activity as business there must be a course of dealings either actually continued or contemplated to be continued with a profit motive, and not for sport or pleasure."

अध्यक्ष महोदय, और है : डिप्टी कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्सेज, मद्रास वर्सेज कैंटीन सदर्न रेल्वे एम्प्लॉईज :—

"A business which has not profit motive as its basis cannot be regarded as a business for the purpose of the Madras General Sales Tax Act, 1959 and a preson who carries on such an activitiy cannot

Page No 55

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

be regarded as a dealer carrying on business."

इसमें एक पैराग्राफ और है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चूंकि मद्रास की इन्होंने नकल की है और मद्रास का जो १९५९ का एक्ट था, उसमें यह डिफाइन्ड भी था उसके बाद में उन्होंने तरमीम की है लेकिन उससे पहले जो डेफीनिशन थी :—

"Mr. Ramanujam for the department draws our attention to the definition of the expression business in the 1959 Act. Business has been defined herein as to include any trade, commerce or manufacture, whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern. He argues that this definition should, therefore, be so construed as to mean that the Legislature had in mind the exclusion of profit motive, so that even a business conducted with a nonprofit motive would yet be a business for the purpose of the sales tax Act. This argument was also advanced before Veeraswami J. in the two cases referred to above and did not win his approval. Nor are we able to see that the wording which has been employed in this particular definition is capable of the construction which the learned Government Pleader see as to place upon it. It is true that even under the old Act where business was not defined, business was always held to mean a course of activity engaged in with a profit motive. What Mr. Ramanujam says is that there was no need to enact any definition of business in the new Act, unless it was the intention of the Legislature of mean that the profit motive was to be excluded. We are unable to agree. We must interpret the words of the statute as they stand and not on the basis of any imagined purpose which the Legislature intended to enact."

श्री परसराम मदेरणा : यह जजमेंट कौनसी कोर्ट और कौन से साल का है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मद्रास हाई कोर्ट, २५ मार्च, १९६३।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बहुत पुराना है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बहुत काम का है। इसके बाद मद्रास जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की डेफीनिशन बदली गई और कुछ शब्द जोड़े गये जिसकी नकल हमारे वित्त मंत्री ने इस बिल में की है और इस डेफीनिशन के आ जाने के बाद जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला हुआ है नवम्बर, १९६४ का, उससे क्या मतलब निकलता है: सेक्शन ९ ऑफ दी अमेंडिंग एक्ट :

"Section 9 of the amending Act 15 of 1964 has validated the levy of tax on the sales effected in 1959-60 in the canteen run by the Southern

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

Railway workshop for its workers on a non-profit basis under the provisions of the Factories Act, 1948.

The expression 'trade or commerce' need not necessarily connote a profit motive, though ordinarily such a motive will exist when a trade is practised as a means of livelihood or gain."

इस लेटेस्ट डेफीनिशन के बाद जो डेफीनेशन हमने इम्पोर्ट की है। मद्रास से उसके बाद लेटेस्ट जजमेंट है।

श्री परसराम मदेरणा : जो लेटेस्ट जजमेंट है उसको जरा एलोबरेट कर देते।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : १९६४ से पहले राजस्थान में, हिन्दुस्तान में, मद्रास में जितनी बिजनेस की डेफीनिशन थी उसमें जो जो मैंने बातें बताई सब टैक्सबल नहीं थीं, यानी एक यूनिवर्सिटी पर, एक कैंटीन पर टैक्स नहीं लेते थे, एक होस्टल पर टैक्स नहीं था, चैरिटेबल संस्थाओं पर नहीं था, कारखानों में जो पुरानी मशीनरी थी उसको बेचने पर नहीं था लेकिन इस डेफीनेशन द्वारा यह होगा कि यूनिवर्सिटी पर, भील छात्रावास पर, किसी भी इंडस्ट्री में यदि स्कैण्ड मशीनरी है उसके बेचने पर टैक्स लगेगा। क्या सरकार चाहती है या विधान सभा के सदस्य चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बनाकर हम इन बातों पर टैक्स लगाएं? आखिर में इस कानून का उद्देश्य क्या है? किस प्रकार की चीजों पर टैक्स लेना चाहते हैं। इसकी डेफीनिशन में लिखा है? कारोबार में :

(१) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण कार्य के प्रकार का कोई उपक्रम या प्रतिष्ठान चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य, उपक्रम या संस्था फायदा या लाभ प्राप्त करने के लिए चलाया जाय अथवा नहीं तथा चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य, उपक्रम या प्रतिष्ठान से लाभ होता हो या नहीं और

(२) उक्त व्यापार, वाणिज्य निर्माण कार्य उपक्रम या संस्था से संबंधित या उसके प्रासंगिक तथा आनुषांगिक कोई लेन-देन सम्मिलित है। इसका सीधा सादा अर्थ है कि जो पुराने जजमेंट्स और लेटेस्ट जजमेंट्स है उनके द्वारा जो डिफरेंस पड़ेगा, किन किन बातों पर टैक्स लगेगा, सारे के सारे शिक्षण संस्थाएं, हॉस्टिल्स, कैंटीन्स, फैक्टरी वर्कर्स द्वारा चलाई हुई कैंटीन और पुरानी मशीनरी के बेचने पर, इंडस्ट्री के कैपीटल गुड्स जो आऊट ऑफ डेट होगा उसको बेचेगा उन पर टैक्स लेना इस एक्ट की मन्शा है। यदि सदन की ऐसी मन्शा बन जाय तो दूसरी बात है लेकिन ऐसा कानून राजस्थान के हित में नहीं है।

इस एक्ट में जितने क्लॉजेज हैं उनमें एक भयंकर क्लॉज है। इस बिल का दूसरा सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन (सी)....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : वित्त मंत्री अभी आये और अंतर ध्यान हो गये ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : "Casual trader' means a person who has whether as principal, agent or in any capacity, occassional transactions of a business nature involving the buying, selling, supply or distribution of such goods as may be specified by the State Government by notification in the official gazette whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration :'

इस डेफिनिशन को पढ़ने के बाद किसी को आपत्ति नहीं होगी । कोई आदमी सोच नहीं सकता कि इसके क्या रिपरक्शन्स होंगे । 'स्पेसिफाइड बाई दी. गवर्नमेंट' यह कह कर जो अजीब पॉवर्स सरकार ने अपने पास रख रखे हैं, मैं आपको २० आइटम इस प्रकार के बता सकता हूं जिन पर कि यह टैक्स लगेगा । ऐसे आइटम्स जैसे बिल्डिंग स्टोन, वेजिटेबल घी, फायर वर्क्स, जिप्सम, वाचेज आदि । इसका सीधा सादा अर्थ यह हुआ कि यदि कोई आदमी इस प्रकार की कोई १) की भी चीज बेचता है तो उस पर टैक्स आयद हो सकता है । आप कहते हैं कि ये गलत कहते होंगे । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं और मैं आपके उन आॅर्डर्स को अपने साथ लाया हूं जिनके अन्तर्गत इस प्रकार की चीजें हुई हैं । इसमें साइकल और साइकल पार्ट्स के लिये कहा है । ६ ए केजुवल ट्रेडर्स का ही है । देहली का एक केस है । भूरान साइकल वर्क्स :

"Shrj Bhuran is present.

The dealer has paid once. He is technically liable for R. C...."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत ये किनसे बात कर रहे हैं ? ट्रेज़री बेन्चेज़ तो बिल्कुल खाली हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा(रायसिंह नगर): ये उस पुस्तक से बात कर रहे हैं जो खुली पड़ी है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह अपना फोटो यहां रखें ।

अध्यक्ष महोदय, It is not a joke, but it is a very serious thing. "He has paid once and is technically liable for R. C. as he deals with casual trade. He gives cycles on hire and also does repairing work. He purchased cycle parts from M/s Bharat Cycle..."

फर्स्ट पॉइन्ट पर टैक्स है । रजिस्टर्ड डीलर से खरीदे तो कोई टैक्स नहीं लगता है । who is registered dealer, I order to get his R.C. यह है साहब इसका नमूना आपके केजुवल ट्रेडर की डेफिनिशन के द्वारा किया हुआ ।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

अध्यक्ष महोदय, केजवल ट्रेडर की और भी बातें हैं। एक छोटासा एग्ज़ाम्पल मैं और देना चाहूंगा। एक कबाड़ी को नोटिस दिया है आपने। आपका उसको यह नोटस जाता है :

"आपको सूचित किया जाता है आपका फैसला जो दिनांक ११-१-६५ को लाइसेंस के लिये २४-७-६३ से लेने के लिये किया गया है उसमें कुछ गलती रह जाने के कारण आज्ञा दी जाती है कि आप लाइसेन्स तो दिनांक २६-४-६३ से लें परन्तु केज़्युअल डीलर के नाते दिनांक २४-७-६२ से २८-४-६३ तक विना लाइसेन्स के अपनी बिक्री पर टैक्स अदा करें और अपने बही खाते ३१-३-६५ को उपस्थित होकर हिसाब करावें क्योंकि आपके मोटर पार्ट्स २४-३-६२ से केज़्युवल कोमोडिटी में आ चुके हैं।

He is hence liable to pay tax.

यह वह आदमी है जो कि एक रुपये का धन्धा करे, राजस्थान का केजुवल ट्रेड हो, राजस्थान सरकार कहती है कि he is liable to be taxed. उसकी हालत क्या होगी यह, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं।

जो ऑर्डर बताया है उसमें यह है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीलर घोषित कर दे। अब यह कहा गया है कि रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं। किसी को रस्ते चलते पकड़ लेते हैं, उससे टैक्स वसूल कर लिया वह टैक्स कहां जावेगा, इसका कुछ पता नहीं। एक दार जिस पर टैक्स लगा दिया है, जिस पर टैक्स लग गया है जैसे साइकल पार्ट्स हैं, टैक्स लागू कर दिया, रजिस्टर्ड डीलर है साइकल या साइकल पार्ट्स बेचता है ६ परसेंट टैक्स ले लिया। रजिस्टर्ड साइकल डीलर ने दूसरे को पार्ट्स वगैरह दे दिये वह रजिस्टर्ड डीलर नहीं है और वह उन चीजों को बेचता है, पार्ट्स बेचता है या साइकल बेचता है तो उससे आप छः परसेन्ट टैक्स वसूल कर लेंगे और जिसने अनरजिस्टर्ड डीलर से पार्ट्स या साइकल खरीदें हैं तो उसको भी ६ परसेन्ट टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज़ पर १८ परसेन्ट टैक्स वसूल किया जायगा। यह है आपका केजुवल ट्रेडर की डेफिनिशन का नमूना। और भी देखिये। मैं आपको और ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आपको हंसी जायगी और आश्चर्य होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ठठेरा का उदाहरण देना चाहता हूं। आपने केजुवल ट्रेडर माना है उसको। इसके माने यह हुए कि आपके लिए बर्तन घड़ने के लिये वह जो चीज़ उसके लिये लाता है उस पर वह छः परसेन्ट राजस्थान सरकार को टैक्स देकर वह उसको खरीदेगा। वह बर्तन बनायेगा और किसी व्योपारी को वह बेचेगा तो छः परसेन्ट टैक्स आप ले लेंगे, इसके बाद भी दूकानदार यह कह कर नहीं बच सकता कि रजिस्टर्ड से खरीदा है, ६ परसेन्ट व्यापारी बेचेगा तो टैक्स ले लेंगे। यानी एक ही चीज़ पर १८ परसेन्ट टैक्स। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी कोटेज इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने की नीति है? यह उनको पनपाने की नीति नहीं है, यह तो उनको बिल्कुल ही नेस्तनाबूद करने की नीति है। आप

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

क्या कानून बना रहे हैं ? आपने सोचा भी है ? कहते हैं कि हम तो राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं। एक छोटा व्यापारी जो पत्थर के दरवाजे बनाता है। उसका भी यही हाल होगा। उसको भी इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। उसपर भी १८ परसेन्ट टैक्स लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको शायद हंसी आये। आपका कानून और देखिये। एक भड़भूंजिया है। जो मूंगफली सेक कर बेचता है, उस पर भी इस कानून से टैक्स लगता है। मदेरणा साहब, नाथूरामजी मिर्धा कहते हैं कि उनके खेत में गेहूं पैदा होते हैं और आप उनसे गेहूं खरीद कर ला रहे हैं, बीच में दो एम. एल. ए. मिल गये और उन्होंने कहा कि थोड़ा हमें गेहूं दे दीजिये, तो you are able to pay tax. आप होली पर पटाखे ला रहे हैं बच्चों के लिये। बीच में निरंजननाथजी आचार्य मिल गये और उन्होंने कहा कि आधे हमको दे दीजिये तो according to this section of casual trader, you are liable to report to the Sales Tax Officer and you are liable to pay tax and in default you are liable to be penalised. यह है आपका कानून। ग्रेन्स के लिए; फायर वर्क्स के लिये, बरतन के लिए यह सब होगा। यह है आपके केजुवल डीलर की डेफिनिशन और आप इस प्रकार का कानून बना कर किस प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार आप गरीब लोगों को न्याय दे रहे हैं, यह आपके देखने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, इससे हमारे व्यापार उद्योग और इन्डस्ट्रीज पर क्या हानि हो रही है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मदेरणाजी ५०) रुपये के पटाखे ले जाये और दूकान खोल कर बेचना शुरू कर दें गली, में तो क्या होगा ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : He is liable to pay the tax. १)रु० के भी हों तो भी टेक्सेबल हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस लाएबिलिटी के हट जाने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सेन्ट्रल ऑफिस में भी कोई रेकॉर्ड नहीं होगा। एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जायगी। रास्ते चलते इन्स्पेक्टर जावेगा and he will demand but it will not be known; कितना अपनी जेब में रखेगा और कितना सैल्स टैक्स में वह जमा करायेगा, इसका कुछ पता नहीं लगेगा। कोई आइडेन्टीफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं। कोई ट्रेडर को धमका कर वसूल कर ले और जैसी कि आज धांधली मचायी जा रही है, अधिक मचायी जावेगी। इस प्रकार के कानून इस विधान सभा के द्वारा बनाये गये हैं इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में पहले बहस हुई सेक्शन ६ और ११ का है। इस सेक्शन द्वारा जो कुछ किया गया उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालूंगा उससे बड़े राज खुलेंगे। आज जो यह कानून लाया गया है दूसरे

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

शब्दों में जुडिशियरी के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव कहा जा सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो अपीलेट ऑथोरिटी है उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव सा है। इस बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बोल्ड स्टेप लिये, जिसके न्याय पूर्ण कार्य से डिपार्टमेन्ट बौखला सा गया है डिपार्टमेन्ट को तकलीफ हुई। किस प्रकार व्यापार को खत्म किया जाय इसके लिए कलम अपने हाथ में रखना चाहता है ताकि नाजायज टैक्स वसूल हो सके, टैक्स वसूल कर लिया जाय, पार्टी को खत्म कर दिया जाय। ये पॉवर्स जो दिये गये हैं उससे व्यापार पर कुठाराघात हुआ है, व्यापार समाप्त हो जायगा। जिस प्रकार के अत्याचार विभाग द्वारा होते हैं उसको अगर नहीं रोकेंगे तो व्यापार समाप्त हो जायगा। इस प्रकार के पॉवर्स आने के बाद अब तक जितने पॉवर्स दिये हैं उसको किस प्रकार से युटिलाइज किया है उसको उस बेक ग्राउन्ड में नहीं देखेंगे तो नहीं सोच सकते कि किस आदमी को कानूनी अधिकार दे रहे हैं। इस बारे में एक हवाला देना चाहता हूं :—

डिप्टी कमिश्नर को अपील के पॉवर थे :

"C. K. Pallanivelu Chetty & Sons Vs. The Dy. Commissioner of Commercial Taxes Madras and others-

The power given to the Deputy Commissioner of Commercial Taxes by the proviso to sub-section (4) of section 33 of the Madras General Sales Tax Act, 1959, to grant stay for collection of tax is for exercise and not for arbitrary refusal. The exercise of the power under the proviso is, however, discretionary power, the discretion must be exercised according to law and reason, and neither arbitrarily nor according to whims."

आगे जजमेन्ट दिया गया है उसमें लिखते हैं :—

"The petitioner states that he furnished security. But there is not a word in the impugned order of the Deputy Commissioner to show that he paid any attention to the security furnished and on what grounds he declined to grant the prayer."

यह एक हाई कोर्ट का जजमेन्ट है मद्रास हाई कोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। राजस्थान ने पॉवर्स दीं लास्ट ईयर। एक किस्सा है, अध्यक्ष महोदय, फाइनेस्ट रेडियो मोती डूंगरी रोड, जयपुर,

"Application under proviso to sub-section (3) of section 11 of the Rajasthan Sales Tax Act from M/s Finest Radios, Jaipur for stay of recovery of the outstanding arrears was received. The comments of the assessing authority were obtained.

After consideration of both, I do not find sufficient grounds in

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

the application to stay the demand. The application is, therefore, rejected."

No reason has been given. This power is not given for refusal.

अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में ऐसी बात होती तो मैं अर्ज करता। उस दिन-२५-३-६५ को डिप्टी कमिश्नर अपील डिसाइड करता है और २५-३-६५ का ही आॅर्डर है :—

"From the perusal of the order, I find that there is some weight in what the appellant contends and for the look of the shop no proper basis has been enunciated.

In view of the above circumstances, I consider this case fit for re-scrutiny and remand. The appeal, is, therefore, accepted as above and the case is remanded for assessment above. The question of penalty may also be looked into at the time of re-assessment."

एक जजमेंट तो यह है, डिप्टी कमिश्नर के पास अपील आती है उसी पर २५-३-६५ को हमारे कमिश्नर साहब असिस्टेंन्ट कमिश्नर साहब का जजमेंट है। No interference is necessary. आप ये पॉवर्स देना चाहते हैं। जिस प्रकार से लड़-झगड़ कर कमिश्नर को स्टे की पॉवर्स देनी चाहिये वह दी गई। उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ उसका यह नमूना पेश किया है, अध्यक्ष महोदय।

यह तो बहुत छोटी बात हुई। एक बहुत बड़ी बात है-डेली रूटिन की बात है। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इसके कारण एक व्यक्ति की तो मृत्यु तक हो गई जिस कारण हुई वह इन्सीडेन्स में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक केस है, अध्यक्ष महोदय, सांभर का घीसाराम मांगीलाल का इनकी ज्यादतियों के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है, वह शोक को बरदाश्त नहीं कर सका। उसको पेशी पर बुलाया गया। वकील ने प्रार्थना-पत्र दिया जिसकी सुनवाई १६-२-६५ को दी गई। १६-२-६५ को उस प्रार्थना-पत्र की सुनवाई होगी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं की गई उसके बजाये जजमेंट सुना दिया गया। क्या किया अध्यक्ष महोदय, ६२-६३ और ६३-६४ दोनों सालों का जजमेंट दे दिया उस पर जो टैक्स लगाये वे इस प्रकार थे :

"६३-६४ ५० हजार टैक्स और २५ हजार पेनेल्टी"

६२-६३ ३५ हजार टैक्स और १७ हजार पेनेल्टी"

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रिटर्न्स देने में कितनी देर हुई ? Returns are late by days only उसके लिए भी मेग्जीमम पेनेल्टी लगाने की है वह १६ (१) में है। पचास परसेन्ट पेनल्टी लगाई गई है। मेटर डिस्प्यूट में है पहले दो सालों की अपील मन्जूर हुई है। इन दो सालों में फर्दर टैक्स इम्पोज किये

Page No 62

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

है। टैक्स के साथ साथ हाफ ऑफ दी पेनल्टी इस पर लगाई गई है।

(१.३५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

उसके लड़के को बुला कर सारा असेसमेन्ट किया। हाई कोर्ट ने स्टे दिया। You should proceed further case of 61-62; फर्दर टैक्स न लगायें। यह २४-२-६५ को हुआ कि ६१-६२ से आगे का टैक्स न लगावें। २५-२-६५ को उसी आइटम पर जिस पर टैक्स लग रहा है फर्दर असेसमेन्ट नहीं किया जाय, यह ऑर्डर ११ बजे हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर के रूप में आता है, टेलीफोन पर उसके वकील को कम्युनिकेट किया जाता है। ११.५० पर असेसिंग ऑथोरिटी को जाकर कहते हैं कि टैक्स को स्टे किया जाय। केवल १.११ बजे तक दिन की मोहलत मांगी कि समय दिया जाय, उसकी एप्लीकेशन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं

It is requested that one day's time may be allowed to file application to enable High Court regarding order 1962-63, 63-64, 64-65 assessments. Affidavit will be filed in the party is coming from outside.

एक दिन का समय मांगा, लेकिन उसको नहीं दिया गया। २५ तारीख को दो साल का असेसमेंट कर दिया गया। हाई कोर्ट कह रहा है कि टैक्स मत लगाओ। २५ के ऑर्डर अभी तक नहीं आ पाये। टैक्स कितना लगाया वह बताता हूं!

"६३-६४ का ५० हजार टैक्स २५ हजार पेनल्टी

६४-६५ का ३४,९९९ टैक्स और १७ हजार पेनेल्टी"

जिस मैटल पर टैक्स नहीं लग सकता उस पर पेनल्टी लग रही है, टैक्स लग रहा है उसके लिए तो कानून से लड़ेगा ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आदमी की रिक्वेस्ट पर जहां स्टे दिया गया, हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त किया गया उस पर कहा गया कि सफीशियेन्ट सिक्योरिटी कोर्ट में पेश करे जिससे असेसिंग ऑथोरिटी सेटिस्फाई हो सके।

हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक असेसिंग ऑथोरिटी को ९-२-६५ को सिक्योरिटी पेश करता है। उसी दिन पेश की जाती है। फिर उनको कहा जाता है फरदर लाएबिलिटी क्रिएट करने के लिये और चाहिए। जिसके लिए वे अजमेर गये दूसरे व्यक्ति को लाये और १० हजार रुपये दिये उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा डिफेक्ट्स रिमूव करके ११ तारीख को सिक्योरिटी पेश की चाहे जितनी सिक्योरिटी पेश करें १२ तारीख को नहीं मानने वाला। ११ तारीख तक नहीं माना सिक्योरिटी को रिजेक्ट किया। कहा जाकर दर्खास्त दे। हाई कोर्ट में जाकर वह इतना घबरा गया कि वहीं पर उसको

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

हार्ट अटैक हुआ । वहां पर कोर्ट में उसको उल्टी हुई और वहां उसको रेस्ट के लिए कहा गया । बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह मृत्यु नहीं उसकी हत्या, हुई, सभापति महोदया ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : प्रूव करना पड़ेगा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह जाहिर है कि यह सारा कुछ इस विभाग की ज्यादती से हुआ । इस प्रकार की एट्रोसिटीज़ ज्यादती इस टेक्सेशन विभाग के लिये कलंक है । अगर हिम्मत है इस विभाग में फेस करने की तो उपमंत्री महोदये अपने मंत्रीजी से कहें कि इसकी जूडिशियल एन्क्वायरी करावें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ये सेठ लोग हिरकणी भी खा जाते हैं ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आपके इस सोने चान्दी के कानून से तो खावेंगे । पर इससे नहीं । इसमें आपके ऑफिसर कहते हैं कि हमें तुमसे टैक्स नहीं चाहिये हमें तो तुम्हारी इज्जत लूटनी है और वह इसी सदमे से भरा है । अन्तिम दम तक उसके दिमाग में यही बात थी और आखिरी दम जब ले रहा था तब भी अपने लड़के को हाई कोर्ट में भेज कर मरा है । मरते समय तक सेल्सटैक्स और सेल्स टैक्स के अधिकारियों की ज्यादती उसके दिमाग में थी ।

आप उप-मंत्री बने हैं । अगर आप पर एक लाख की इस तरह की लाएबिलिटी आ जावे तो आपको भी शायद वहीं प्राणान्त हो जावे ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उनका नहीं होगा, उसके पास तो पांच-दस लाख है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वैसे इसमें नजर आता है क्या आपको ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जिसकी लायेबिलिटी नहीं बनी, डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया कि टैक्स वसूल मत करो इस आइटम पर, डिप्टी कमिश्नर ने टैक्स माफ कर दिया । उस पर एक लाख और कुछ हजार का दो साल में निकाल कर उसको मार डाला । उसका कतल कर दिया । यह है आपके टैक्स वसूल करने के तरीकों का नमूना ।

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन महोदया, यह सदमे की बात कह रहे थे कि सदमा पहुंचा इसलिए उसका प्राणान्त हो गया । उसका तो मुझे खेद है । व्यक्ति को जाना नहीं चाहिये । पर यह किसी के हाथ में नहीं ।

पर यह जो कह रहे हैं कि इस किस्से की वजह से मर गया, सेल्स टैक्स वालों ने कत्ल कर दिया । क्या हमारे डिपार्टमेंट से किसी ने मारा है ? यह कैसे प्रूव करते

(श्री परसराम मदेरणा)

है कि यह डैथ इस वजह से हुई है और नेचुरल नहीं थी। उनको इस तरह से स्टे ऑर्डर हुआ, माना नहीं, सिक्योरिटी ज्यादा मांगी। दे नहीं सके। कोर्ट में गये और वहां उल्टी हो गई और फिर आकर लड़के को हाई कोर्ट में भेज दिया और आखिरी दम तक यह रहा कि स्टे मिल जाना चाहिये था। आप यह बता दीजिये कि इस आदमी के बारे में यह कहा जाता था कि यह आइरन विल का आदमी था। जब आइरन विल का था तो हार्ट उसका कमजोर कैसे पड़ गया ?

मेरे प्राणान्त की बात कही तो मैं कह दूं कि जो जू टाइप के आदमी हैं वे पैसे से लोभ करते हैं, मेरे पास न पैसा है न बैंक अकाउन्ट्स हैं, न अकाउन्ट्स खोले है इसलिए न मुझे कोई टैक्स देने का सवाल है न मेरा इससे प्राणान्त हो सकता है। हां, अगर परवरदिगार की रहम नहीं रही तो फिर तो मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। पर यह मैं कह दूं कि टैक्स और पैसे के मामले में नहीं होने वाला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय सदस्य कह रहे हैं वित्त मंत्रीजी के लिए कि अगर उन पर एक लाख की बकाया निकाल दी जावे तो उनका प्राणान्त हो सकता है, आप पर तो दस लाख का भी हो जावे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप तो देने में समर्थ हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास तो है ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पर हमें खुशी है कि वे अभी सदन में नहीं है और बिल आप पायोलैट कर रहे हैं। और चूंकि आप पायोलैट कर रहे हैं तो कुछ उम्मीद है हमें कि अगर कुछ बुद्धिसंगत बात कही जावेगी तो सरकार के समझ में भी आ सकती है, पर वे अगर होते तो मामला ही सारा गोल था वहां तो। उनका तो कुछ कहना ही नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे चुंगी की चोरी करने लगे थे। अगर उसकी लाए-बिलिटी उन पर कायम कर दे तो हो सकता है उनके नाजुक दिल को चोट पहुंचे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाजुक नहीं है। बड़ा सख्त है वह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने मेयो कॉलेज की जमीन को हड़प लिया। अगर उस पर टैक्स इम्पोज करके बकाया निकाल दे एक लाख की तो पचास हजार तो मोटी बात है उनके पास ३०-३२ हजार भी नहीं मिलेंगे। मोटर मकान सभी भी बिक जावें तो इतना नहीं दे सकेंगे। और इस सदमे से उनकी भी वही हालत हो सकती है।

हां, आप जैसे मस्त मलंगे आदमी के लिये कोई क्या कहे।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : हाईकोर्ट का रूलिंग मैं पढ़ देता हूं :

" Issue notice to the opposite parties Respondent No. 2 be directed not to

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

make any assessment of the petitioner for the sale of Bardana which it was purchased by him from the registered dealer in Rajasthan."

श्री परसराम मदेरणा : किस केस के बारे में यह रूलिंग है ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं इसी केस की बात बता रहा हूं अभी तो । इस पेम्फलेट को पढ़ने के बाद में तो सीधी सादी मांग करता हूं कि आप इसकी जूडीशियल इन्क्वायरी करा लें ।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें यह तो आप मानते हैं कि यह लिखा है इस आदमी के बारे में कि यह इस बात के लिये प्रख्यात था कि वह आइरन विल का आदमी था ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अब वह आइरन आपके जुल्मों की भिट्टी में पिघल गया ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा You are lawyer and not the Doctor. डाक्टर होते तो जान सकते थे कि एक आदमी की विल आइरन हो सकती है पर हार्ट वीक हो सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टैक्सेशन विभाग की फरनेस की हीट इतनी ज्यादा थी कि यह आइरन भी पिघल कर ढेर हो गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आइरन विल होते हुए भी हृदय की गति बन्द हो जाती है । स्टालिन भी आइरन विल का आदमी था, पर उसका भी देहांत हृदय की गी गति बन्द होने से हुआ ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो माननीय सदस्य ने जो बात कही है आइरन विल का होते हुए भी हार्ट फेल हो सकता है तो आप तो इसमें जांच करवाइये कि आपके सेलसटैक्स अधिकारियों ने हाई कोर्ट और ऊपर की अदालत का ऑर्डर आ जाने के बावजूद उन आदेशों को क्यों नहीं माना और जब टेलीफोन से हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया उसके बावजूद स्टे नहीं किया, वकील एक दिन का समय मांग रहा था, वह तक नहीं दिया गया तो इसमें इन्क्वायरी होल्ड करानी चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : जितने फेक्ट्स आवश्यक हैं इस केस के बारे में, मैंने उनको मंगाने के आदेश दे दिये हैं । इस केस के बारे में कल जिक्र करूंगा मैं ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इस केस का लीगल अस्पेक्ट क्या होगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, कितना टैक्स लगेगा, इससे मुझे मतलब नहीं । मैं सिर्फ इसके द्वारा यह एम्फेसिस करना चाहता हूं कि किस प्रकार की ज्यादती आपके टैक्सेशन विभाग के द्वारा आज की जा रही है । मैंने एक लैटर पढ़कर सुनाया था । वकील ने एक दिन की मोहलत मांगी थी । २५ को स्टे मिल गया है ११ बजे हाई कोर्ट से स्टे

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

मिला है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी देने के लिये एक दिन का समय दीजिये। पर आपने वह समय भी नहीं दिया। क्या यही इन्सानियत है आपकी कि कोई असेसमेंट का टाइम वार भी नहीं हो रहा था तब भी इन सबको इग्नोर करके टैक्स भी पूरा का पूरा लगा दिया और पेनल्टी आधी लगा दी उस पूरे टैक्स की। पूरे टैक्स की आधी रकम की पेनल्टी और वह भी सिर्फ इस मुद्दे पर कि आपका अधिकारी मान रहा था कि रिर्टन्स समय पर पेश नहीं किये गये। तो this is sufficient cause for holding a judicial enquiry. यही एक काफी कारण है जिससे आपके विभाग की इनएफीशियेन्सी जाहिर होती है या इससे अधिक शब्द मुझे याद नहीं—

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : टिरेनी कहिये।

श्री सम्पत्तिलाल वोहरा : डिस्क्रीशनरी पॉवर इस विभाग के कमिश्नर के पास देना खतरनाक है। आज तक उसका दुरुपयोग हुआ है और आगे पॉवर जो दे रहे हैं उसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे उससे मैं सावधान कर देना चाहता हूं।

इसके बाद एक नमूना और पेश करना चाहता हूं जो यह है कि उन्होंने क्या किया, सभापति महोदया, कि एक हमारे यहां पर अटैचमेंट की पॉवर भी दी कि कोई रुपया जमा नहीं कराते तो अटैचमेंट करा सकता है, प्रोपर्टी सील कर सकता है। अटैचमेंट के लिये कानून यह है कि अगर कोई नहीं दे सकता है तो इन्स्टालमेंट होना चाहिये, पर अन्त में नहीं दे पावे और भागने वाला हो, राजस्थान छोड़ कर जा रहा हो तो प्रोपर्टी को अटैच करके सील करे। पर यहां क्या किया गया? कमिश्नर साहब ने एक सर्कुलर निकाल दिया। उस सर्कुलर को मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"In order to introduce uniformity and to ensure that all assessing authorities give full required particulars, it has been decided to introduce a standard proforma for sending requisitions to the Commissioner under sections 11 (a) of Rajasthan Sales Tax Act and 11 (2) of Rajasthan Passangers and Goods Taxation Act. A copy of the same is attached herewith. Till printed forms are made available, all assessing authorities are requested to either get them cyclostyled locally or to use typed forms for sending the above requisitions.

Any requisition not received in this proforma will cause unnecessarily correspondence between this office and the assessing authority.

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

अब वह प्रोफोर्मा क्या है...

श्रीमती सभानेत्री : आप कृपया जल्दी समाप्त कर दें, बहुत समय हो गया है।

श्री सम्पत्तिलाल वोहरा : अभी तो शुरू ही किया है। आज का सारा दिन इसके लिए है और जवाब कल है।

Page No 67

श्रीमती सभानेत्री : बोलने वाले बहुत हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अब उस प्रोफॉर्मा में यह है :

"There is a possibility of his closing the business and migrating from the present places of business."

तो, यह प्रोफॉर्मा बना कर भेज दिया कि हर केस में जिसमें अटैचमेंट मांगते हैं उसमें लिख दो कि आदमी राजस्थान के बाहर जा रहा है इसके अलावा कोई और कारण नहीं है । आज तक जितने भी केसेज़ हुए हैं अटैचमेंट के क्या आप इस तरह का एक भी केस बता सकते हैं कि कोई असेसी राजस्थान छोड़ कर भाग गया हो या उसने दूकान बन्द कर दी हो । ये नमूने हैं आपके ।

सभापति महोदया, एक और बात मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्ज का मिस-यूज़ किस प्रकार से होता है । हमने स्टे की एप्लीकेशन दी, कमिश्नर के यहां वह पेन्डिंग है उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और उसके साथ ही साथ अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्ज़ शुरू हो जाती है । हम डी० सी० अपील्स के पास दौड़ते हैं और जब वह अपील सुनता है तो अपीलेट ऑथोरिटी के पास में असेसिंग ऑथोरिटी दरख्वास्त देता है कि पेशी बदल दो और इस प्रकार की कार्यवाही इसलिए करते हैं कि वह कुर्की कर सकें और जब डी० सी० यह कहता है कि जब तक अटैचमेंट लाते हैं तो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी बहुत कुछ कहना है ।

श्रीमती सभानेत्री : एक घंटा हो गया है । आप मुद्दों पर बातें करें ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं यह कह रहा हूं कि डी० सी० को कहा जाता है कि इस केस में पेशी बदल दो ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि आप हाई कोर्ट के सामने प्लीड नहीं कर रहे हैं । यहां तो जो मोटी मोटी प्रिन्सिपल की बातें हैं वे कही जानी चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो कानून में इन्टरप्रिटेशन है उसको तो आप मुझ पर छोड़ दो । बाकी बिल के प्रिन्सिपल्स पर बात कीजिए । यह क्या कि इन्डीविजुअल केसेज़ डिस्कस करने लग गए ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो पॉवर्स दे रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : समय थोड़ा रह गया है और आप इस विषय के कुछ एक्सपर्ट हैं तो आप प्रिन्सिपल्स के ऊपर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रोसीडिंग्ज़ हो रही हैं । ऐसे कितने ही उदाहरण हैं । मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इसके द्वारा जो पॉवर्स आप स्टे की ले

Page No 68

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

रहे हैं क्या आपके पुराने कारनामों को देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते हैं कि आप उसका राइटफुल यूज करेंगे और जितनी मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं उससे सिद्ध होता है आप नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के पॉवर्स आपको नहीं दिये जाने चाहिए।

इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेन्ट मामला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उसके बारे में सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।वह यह है कि राजस्थान में आज दिन तक जिस जिस एक्ट की दुहाई दी है और आपने कहा है कि हमने मद्रास की नकल की है, हैदराबाद की नकल की है आप किसी में भी बता दें कि वहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रावधान नहीं है। हमारे राजस्थान में ११ करोड़ की आमदनी है इस टैक्सेशन से और राजस्थान में व्यापारी जस्टिस के लिए वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां पर भी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल हो। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रोवीजन है उसको भी आप हटा कर सिंगल मेम्बर का प्रोवीजन रख रहे है आज न्याय की दृष्टि से आवश्यक है कि दूसरों के ऊपर अंकुश हो। एक आदमी कोई मैटर डिसाइड करता है तो उसको फियर रहता है इसलिए मेरा सुझाव है कि डबल मेम्बर बेन्च होनी चाहिए। एक मेम्बर को पर्चेज किया जा सकता है लेकिन दो अच्छे आदमी होते हैं यह कभी पर्चेज नहीं किये जा सकते। इसलिए इसमें जो मेरा सुझाव है वह यह है कि रेवेन्यू बोर्ड को जो पॉवर्स थीं वहां रहनी चाहिए। अगर आपको बदलना है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को पॉवर्स हों...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : स्वतन्त्र पार्टी का पूरा टाइम मैं माननीय सदस्य को देने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य को बोलने दिया जाये, क्योंकि इनका यह स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इन्साफ किस चिड़िया को कहते हैं वह तो फूटी आंख नहीं दिखाना चाहते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके ख्याल से इन्साफ एक कबूतर है जिसको मर्जी आया तब उड़ा दिया।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनेगी तब तक निष्पक्ष न्याय नहीं हो सकेगा। सबसे पहली बात यह है कि आज इस कानून के द्वारा जो पॉवर्स दी गई और जो १५ (ए) से सम्बन्धित है जिसके अनुसार रेवेन्यू बोर्ड के फैसले हुए हैं उसके अन्दर कहा है कि गोटा किनारी के ऊपर आप २ पर्सेन्ट टैक्स लो लेकिन कमिश्नर का सक्यूलर निकला और असेसिंग ऑथोरिटी से कहा जाता है कि ६ पर्सेन्ट चार्ज करो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील की है और उसमें कहा है कि यह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यह अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रही है। आप रेवेन्यू बोर्ड भी इसलिए हटाना चाहते है कि राजस्थान के कमिश्नर पर और वित्त मंत्रालय पर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

है। कोर्ट का फैसला जो कि हाइएस्ट ऑथोरिटी होती है राजस्थान में, रेवेन्यू बोर्ड का फैसला कमिश्नर नहीं मानता। उसके जजमेंट में वह लिखते हैं कमिश्नर के इन्सट्रक्शन्स हैं इसलिए इस कारण से फैसले को नहीं मानते हैं। और ६ पर्सेन्ट टैक्स लगाते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका हवाला देता है कि हायर ऑथोरिटीज की इन्सट्रक्शन्स हैं इसको कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं वह केस अभी तक पेन्डिग है। इस प्रकार की वात चल रही है कि रेवेन्यू वोर्ड के जजमेंट को नहीं मानते। तो आज आवश्यकता इस वात की है कि हमारा पूर्ण विश्वास जुडीशियरी में हो और उसके लिए हम चाहते हैं कि एक ट्रिब्यूनल हो और जब तक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था नहीं होगी सिगल और डवल मेम्बर की जो पहले की पद्धति है वही रहनी चाहिए और सिगल मेम्बर को जो अधिकार दिये जा रहे हैं वे नहीं दिये जाने चाहिए। जो अपील सिंगल मेम्बर की डबल मेम्बर को होती थी वह होती रहने दी जानी चाहिए।

इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वह प्रीवियस पब्लिकेशन के रूल्स के बारे में है। अब तक यह होता था कि कोई भी रूल्स आप पब्लिश करते हैं पहले पब्लिश करना आवश्यक होता है ताकि मालूम हो जाये कि कैसे रूल्स बन रहे हैं। लेकिन इसके द्वारा सरकार पॉवर्स ले रही है।

(२. म० प०)

हम बिना प्रीवियस पब्लिकेशन किये ही रूल पब्लिश करा देंगे और आपको मान्य होंगे। और इस बारे में जो हमारे साथ आज बीत रहा है वह यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बिल था यह जो ६ मार्च को विधान सभा में पेश किया गया था वह बिल जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है, लेकिन लोग चिल्ला कर थक गये, लॉ डिपार्टमेन्ट चिल्ला कर थक गया लेकिन वह कब गजट में शाया होता है? वह २६ मार्च को शाया होता है और ऐसी आज हालत प्रि-पब्लिकेशन के सम्बन्ध में है तो प्रि-पब्लिकेशन के पावर्स को हटा लेंगे कि प्रि-पब्लिकेशन आवश्यक नहीं है तो पुरानी डेट्स को पब्लिश करायेंगे और इन्डिविजुअल केस में उसको तंग करने के लिए प्रि-डेट में जो मर्जी चाहे वह पब्लिश करा देंगे और कानून बना कर लोगों पर लागू करके ज्यादतियां करेंगे और इसका नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि वित्त मन्त्री और फाइनेन्स सेक्रेटरी वहां गये पुरानी डेट में पब्लिश कराने के लिए लेकिन उन्होंने इस वात को करना मना कर दिया कि हम पुरानी डेड में पब्लिश नहीं करा सकते हैं। यही नहीं पुरानी डेट में कितने ही सक्यूंलर पब्लिश कर देते हैं और लोगों पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं और लोगों को मालूम नहीं होता है। एक नमूना मैं आपको पेश कर देता हूं। एक नोटिफिकेशन निकला है।

"A question has arisen as to what rate of tax should be levied on the sale of Sunnand whether it is a variety of Jute a declared goods. The matter has been examined and it is hereby clarified that Sunn is quite different from Jute and is thus taxable at 6%."

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

अब यह १९६४ का सक्यूंलर है लेकिन आज दिन तक पता नहीं कि किसी प्रेस में गया हो, किसी भी वकील को, किसी भी बार एसोसियेशन को, किसी व्यापारी को नहीं दिया गया। आज जिस प्रकार से सक्यूंलर निकाले जाते है, जिस प्रकार से पब्लिकेशन की बात को रोकना चाहते हैं तो इसका सीधा सादा इरादा यह होगा कि आप अपने हाथ में एब्सोल्यूट पॉवर्स, अनडिस्क्रिमिनेट्री पॉवर्स लेना चाहते हैं जिससे कि जिस व्यक्ति को चाहें, जिस समय चाहें दवा सकें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हिटलर बनना चाहते हैं ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : हिटलर बनना चाहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के अनुसार।

श्री परसराम मदेरणा : आपके अनुसार नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वे छोटे हिटलर हैं। बड़े हिटलर तो हाउस में आने की कृपा ही नहीं करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जिस सक्यूंलर का जिक्र किया है वह नोटिफिकेशन है क्या ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : यह लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एक्साइज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, नं० २७ आर० एस० सी०। सक्यूंलर है। उदयपुर डेटेड २८-२-६४। २७ नम्बर का सक्यूंलर है नं० एक १०४। एल० पी०। ६४। ५६।

इसके साथ ही एक एमेंडमेंट राजस्थान पैसेन्जर एण्ड गुड्स एक्ट में भी लाया जा रहा है। वह इसी प्रकार का है जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन ११ में लाया जा रहा है। उसके द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि हम किसी टैक्स की रिकवरी के लिए कमिश्नर को सारी पॉवर्स दे दें और कमिश्नर के पॉवर्स की किसी के पास में शिकायत नहीं हो सकती है, किसी के पास अपील नहीं हो सकती है यानी absolute powers in one man......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शेम, शेम।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इसके बारे में जो भी कहा जाय वह उचित है

Absolute powers in one man, This is discriminatory, undemocratic, arbitrary, naked, unrestricted, unchallengeable in a Court of law. इस प्रकार के पॉवर्स आप कमिश्नर को देना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : outrageous.

श्री परसराम मदेरणा : Treason कहां।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जिसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं अन्त में कि आप

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

इस तरह के पॉवर्स देकर प्रजातन्त्र का एक मखौल ही उड़ा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, जिस बिल को आज सदन में पेश किया गया हैं वह बिल बहुत महत्व-पूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि यह सारी बिजनेस कॉम्युनिटी को एफेक्ट करता है, और बिजनेस कॉम्युनिटी को ही एफेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसमें 'बिजनेस' की डेफिनिशन को वाइडन्ड करके सारी संस्थाओं, क्लब्स, एसोसियेशन चाहे वे किसी भी नेचर के हों, चाहे वे फिलेन्थ्रोपिक हों, चाहे वे एज्युकेशनल हों, चाहे वे एक एसो-सियेशन के तरीके के हों, उन सब को रोप इन करने की कोशिश की गई है. इसलिए वह एक बिल महत्व का बिल बन जाता है।

इसके पीछे वास्तव में बैकग्राउन्ड क्या है; इसको लगाने का, इसको समझने की जरू-रत है। हो सकता है कि हमारे सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट को कलेक्शन में डिफिकल्टीज आती हैं, यानी इस सदन में जो बार बार चर्चाएं यहां उठी है कि टैक्स का बहुत रुपया लोगों में बाकी है इससे घबरा कर हमारे वित्त मन्त्रीजी ने अपने आप में इतने अधिकार लेने का प्रयत्न किया गया है। तथ्य यह है कि इन गत सालों में जो कानून हमारे यहां पर बने हैं, हाई कोर्ट में जाकर हर कानून पर अटेक हुआ है और उस तरह की कई रुकावटें आई हैं। पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स एक्ट का वहां पर हाईकोर्ट ने रिट के जरिये अटेक किया उस पर ..

श्रीमती सभानेत्री : कोरम पूरा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सेल्स टैक्स के कई मामलों को लेकर हाईकोर्ट में हमेशा रिटें चलती हैं....

(गण-पूरक घन्टी)

हो सकता है कि इन मुश्किलातों का निवारण करने के लिए एग्जीक्यूटिव ने इस सदन की यह मांग की है कि वह उनको वसीह अख्त्यारात दिये जायं कि सारे पॉवर्स उसके हाथ में रहें किसी भी क्वेश्चन का डिटर्मिन करने का, किसी भी मुद्दे पर फैसला करने का, किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं, या जल्दी से जल्दी वसूल हो सके, या कि किसी भी प्रकार की वसूली के बारे में कोई स्टे नहीं मिल सके, इस सब का प्रावधान करने के लिए और अपने एग्जीक्यूटिव पॉवर्स को बढ़ाने के लिए इस बिल को सदन के अन्दर पेश किया गया है और सदन से यह मांग की गई है कि बिल को पास करके एग्जीक्यूटिव को विशेष अख्त्यारात दे दिये जायं ताकि मनमाने तरीके से लोगों पर वार कर सकें। वैसे ही सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में इस सदन में कई दफा चर्चाएं हुई हैं कि अख्त्यारात का दुरुपयोग उन्होंने किया है। सदन में कई ऐसी मिसालें भी उठी हैं जब कि हरेक आदमी को समस्या सुलझाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज की शरण

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में जाना पड़े, उनके हाथ जोड़ना पड़े, उनकी खुशामद करनी पड़े और बहुत ज्यादा खुशामद हो जाय तब जाकर किसी मसले को लेकर वित्त मन्त्रीजी से फैसला करवाया जाय।

ऐसी स्थिति में ऐसे केसेज कम नहीं हुए हैं जो कि इस सदन के सामने पेश हो चुके हैं। मुझे उस केस का पता है जो नीम के थाने में हुआ था जिसकी चर्चा सदन में आई थी। उसमें एक माननीय सदस्य के रिश्तेदार इन्वोल्व्ड थे। पता नहीं क्या हुआ, शायद वित्त मन्त्री जी की शरण में जाने से महरबानी हो गई। खैर, जो कुछ भी बात है, इस सदन से जितने अख्त्यार मांगे जाते हैं उसमें वास्तव में इस सदन की नीति का प्रश्न है आया यह सदन इतने अधिकार इनको दे दें जिससे न तो जुडिशियरी को इन्टरफियर करने का अधिकार रहे या यों कहिये कि जुडिशियरी के द्वार बन्द कर दिये जायं ताकि आसानी से उनका फैसला जुडिशियरी के जरिये नहीं करा सकें। मैं समझता हूं इस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है तो उद्देश्य बहुत खराब है। हमेशा यह मानकर चलना चाहिये कि टैक्स पेयर आपकी रियाया है और लोगों को उसमें जाना चाहिये न कि सरकार को। इस बारे में यह मानकर चला गया है कि टैक्स पेयर या बिजनेस करने वाले बेईमान हैं इसलिये उन पर ज्यादा से ज्यादा हम प्रभाव रख सकें उतना ही अच्छा। जितने ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनके करटेल कर सकें उतनी ही ज्यादा टैक्सेशन में बढ़ोतरी होगी और उसके माने उन पर ज्यादती करना नहीं होगा, यदि इस अभिप्राय से यह बिल लाया गया है तो वास्तव में यह निन्दनीय अभिप्राय है और इसकी सराहना नहीं हो सकती।

एक डेफिनिशन इसमें इन्ट्रोड्यूस की गई है बिजनेस की। सभापति महोदया, मेरे इतने साल के अनुभव के बाद यद्यपि मैंने सेल्स टैक्स की ज्यादा वकालात नहीं की है फिर भी इतना समझ पाता हूं कि इस एक्ट की तहत बिजनेस की परिभाषा देने की क्या जरूरत थी? क्या सेन्टर से सेल्स टैक्स एक्ट में या किसी स्टेट के सेल्स टैक्स एक्ट में बिजनेस की परिभाषा दी गई है? हम रोजमर्रा डिक्शनेरी से पता लगाते हैं कि "बिजनेस" की परिभाषा क्या है और रोजमर्रा इस शब्द को काम में लेते हैं तो नई परिभाषा देकर अजीब रूप इस बिल में क्यों दिया है और जो रूप दिया गया है वह वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे कान्स्टिट्यूशन के शियड्यूल ७ के आर्टिकल ५४ में लेजिस्लेचर को पॉवर दी है उसके विपरीत करते हैं। एक केस देखने में आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सारा फैसला दिया हुआ था उसमें डिटरमिन किया था, उसमें जो 'सेल्स' की और 'बिजनेस' की डेफिनिशन की गई वह उससे डिफरेन्ट नहीं है जो डिक्शनेरी में दी है। जो परिभाषा दी है उसको हम एक्सटेन्ड नहीं कर सकते सेल में प्रोफिट का मोटिव होता है। वास्तव में सेल है उसको 'बिजनेस' की परिभाषा में लिया है, मैं पढ़कर सुना दूं तो ज्यादा असर होगा :—

" 'Business' includes any trade, commerce or manufacture or any

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit..."

तो फिर जब उसमें प्रोफिट का कोई मोटिव है ही नहीं तो फिर 'बिज़नेस' की परिभाषा में कैसे आ जायेंगे ? आपने लिखा दिया इसलिये ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेन्ट्स में 'बिज़नेस' की तारीफ की है और उसमें प्रोफिट मोटिव को माना है। जिस 'बिज़नेस' में प्रोफिट नहीं होता है तो वह 'बिज़नेस' नहीं होता है। कोशिश यह की गई है कि इसमें ३ अमेन्डटेन्ट चाहे गये हैं, इस 'बिज़नेस' की डेफिनिशन को जब क्लॉज (ए) के साथ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है :—

"Any person, society or club or any firm branch or Department, is a dealer."

तो वहां क्लब्स एसोसियेशन्स, इन्स्टिट्युशन्स इनको बिज़नेस की तारीफ में लाकर इनको भी डीलर बनाया गया है। मतलब कहने का यह है कि यदि कोई आप स्कूल चलाते हैं और लड़कों के लिये किताबें मंगा कर बांटते हैं तो भी आप डीलर हो गये। अभी मैंने उस जजमेन्ट को नहीं देखा लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के सामने मामला आया उसमें किसी स्कूल के बारे में कहा गया कि वह डीलर है क्योंकि किताबें मंगा कर छात्रों में वितरण करते हैं, कीमत लेते हैं तो यदि स्कूल जैसे इन्स्टिट्युशन को बिज़नेस की डेफिनिशन में लेते हैं, दा साहब आज यहां हैं नहीं हैं, हूद्दंडी में किताबें मंगा कर बच्चियों में बांटी जाय तो वह प्रोफिट है और उनको डीलर की हैसियत से रजिस्टर करवाना होगा और सेन्ट जेवीयर को भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डीलर की तरह से उनको अकाउन्ट रखना पड़ेगा। इस परिभाषा को लाने का जो इन्टेशन मालूम पड़ता है तो वास्तव में वह यह है कि उन इन्स्टिट्युशन्स के ऊपर जो माननीय वित्त मंत्रीजी के परव्यू में नहीं आते, उन पर भी इनका प्रभाव रहे। वे चाहते हैं कि वे लोग इनके पास जाकर हाथ पैर जोड़ें, खुदा हमारे वित्त मंत्रीजी नाराज न हों, आप हमें माफ करें तो वे ऑर्डर निकालेंगे :—

"The Government is pleased to exempt such and such institution from payment of sales tax, payment of registration..."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह अधिकार डिप्टी मिनिस्टर को नहीं होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस तरह के इन्स्टिट्युशन्स से कितना टैक्स वास्तव में आता होगा यह देखने की जरूरत नहीं है, उन सब पर अपना रोब रखने के लिये, उन पर हाथ रखने के लिये यह किया गया है यह मंशा जाहिर है। इसको इसमें इन्ट्रोड्यूस करने की साफ मंशा यह है कि जिससे वित्त मंत्रीजी अपने आपको पोपुलर बना सकें और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कह सके कि हमने इतने इन्स्टीट्युशन्स को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया। आपने कहा एग्ज़ेम्प्ट कर दिया एग्जेम्प्ट तो वे पहले ही से थे। डीलर कहां से आ गये? एक मेरे लायक दोस्त जो मेरे पास बैठे हैं वे कह रहे हैं कि तब तो नाथद्वारा टेम्पल को भी एक डीलर रजिस्टर करवाना पड़ेगा क्योंकि जो रकम नाथद्वारा टेम्पल को भेंट करते हैं उसके बदले में प्रसाद दिया जाता है १) रु. भेंट करते हैं तो इतना और २) रु. भेंट करते हैं तो इतना दिया जाता है। चाहे उस टेम्पल का मोटिव व्यापार का नहीं हो, किसी को रजाई भी मिलती है। तो यह चीज है कि इस बिजनेस की जो तारीफ की गई है, एक बिल्कुल डेफिनिट केस मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह केस रिपोर्टेड है ए. आई. आर. १९६३ पेज १८७३ पर उसमें क्या बिजनेस है क्या नहीं, इस परिभाषा की आवश्यकता इस रूलिंग के बाद नहीं रहती है। दूसरी डेफिनिशन कहीं डिक्शनेरी में नहीं मिल सकती। इस सुप्रीम कोर्ट की ओथोरिटी को वित्त मंत्रीजी ओवररूल कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि यह बिजनेस की डेफीनिशन इस एक्ट में रखना मेलाफाइड मोटिव के साथ है तब तो ठीक है यदि बोनाफाइड है तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, डिप्टी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप अखबार पढ़ रही हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने नहीं कहा। मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता, वह तो ये ही कर सकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : जी नहीं। जो सदन में चित्र रखे गये थे मंडोर के बारे में, वे देख रही हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि यदि आपका मोटिव बोनाफाइड है तब तो इस डेफिनिशन की जरूरत नहीं है और यदि मोटिव मेलाफाइड है तो सारे इन्स्टिट्युशन्स, क्लब्स, टेम्पल्स पर लागू करना चाहते हैं तब तो डेफिनिटली इन्टेन्शन मेलाफाइड है और उनको अलाऊ नहीं करना चाहिये इस बिल को लाने के लिये।

इसके बाद ताज्जुब की बात है कि आज तक सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट के जो कमिश्नर हैं वे सेल्स टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर तो अपना प्रभाव आउटसाइड एक्ट डालते रहे हैं। उनको डाइरेक्शन देते रहे हैं जब कि एक्ट में उस प्रकार का प्रावधान नहीं है। हमने कई सर्क्यूलर पढ़ कर सुनाये और भी सर्क्यूलर हमारे सामने आये जिनमें सेल्स टैक्स के डिस्क्रीशन को बिल्कुल अफेक्ट किया गया है और उस पर असर डाला गया है कि तुम फलां तौर पर अमुक मामले का फैसला दो। जब एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है तो फिर ऐसी चीज क्यों इसके अन्दर ला रहे हैं? जो चीज है उसको अब रेगुलेराइज करने के लिए बाकायदा डिटरमिनेशन का अधिकार कमिश्नर महोदय को देना चाहते हैं। साथ में यह भी है कि वह डिटरमिनेशन फाइनल है चाहे वह किसी तरह से हो किसी मामले में हो, वह डिटर्मिनेशन हो गया। यह आप दफा १३ में इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं :

श्री बृजसुन्दर शर्मा)

"If any question arises otherwise than in the proceedings before a court and proceedings under section 9, 10 and 12:"

कोर्ट की तो बात छोड़िये, सैल्स टैक्स के केसेज़ रिट पर फैसला देने हेतु और रेफरेन्स के सिलसिले में जीते हैं। तो कहा है कि रेवेन्यू बोर्ड को सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट के रूप में नहीं मानता है, रेवेन्यू बोर्ड का जो फैसला है उसको दूसरे केस में नहीं मानते हैं। वे लिखते हैं, "Revenue Board is not a court. This was an important question placed before the court."

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री-गृह) : Was it advanced by the lawyer on behalf of the State ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : Yes.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): It was advanced by a lawyer on behalf of the State.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Not a Law Graduate.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा :It was said.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : In the matter of sales tax, it was said and argued that the Board is not a court.

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेवेन्यू बोर्ड के सामने इस तरह के आर्गूमेंट, मेरी समझ में नहीं आता, कैसे हो सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : The Minister may make enquiry.

I say under instructions of the members of the bar.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a constitutional issue.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मनोवृत्ति जिस तरह की बन गई है, और सैल्स टैक्स ऑफिसर और सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट की मनोवृत्ति है, वास्तव में यह उनका कुसूर नहीं है। कुसूर जो कुछ बनता है और जिस प्रकार की भावनायें हैं या जिस प्रकार का वातावरण चलता है वह ऊपर से चलता है। एक पेम्फलेट मेरे पढ़ने में आया। मुझे यह पता नहीं है कि इसमें सत्यता कहां तक है, सत्य है या नहीं है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इसे सदन के अन्दर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं. इससे मेरे दिल को और मैं समझता हूं जो इस प्रोफेशन को करने वाले लोग हैं उनके दिल को चोट पहुंचेगी और इसका पूरा अफेक्ट दूसरे लोगों पर होगा जब यह दूसरे एडवोकेट्स के पास चीज़ जायगी और वह न जाने किस रूप में इस चीज को लेंगे। इस पेम्फलेट में बताया गया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है, जो फाइनेन्स मिनिस्टर हमारे हैं उन्होंने यह कहा बताते हैं :

"It will not be out of place to recall here that it was the Finance Minister himself who had in a most unsociable manner lacking in courtesy and diplomacy issued all pretences and letting loose his contempt to the noble profession of advocates...temptation of calling names and mudslinging in his message to the August and noble Assembly of the profession in April 1964 attended by no less dignity than the Hon'ble Chief Justice of the Supreme Court. He said ;

"Assistance of Tax Consultants was mainly sought by the tax-payer to circumvent and evade taxes by the manipulation of accounts."

श्री निरंजननाथ आचार्य : We challenge the version.

यह बहुत रिजिड और सख्त अंग्रेजी है । इस तरह की अंग्रेजी वे लिखते नहीं हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इसका ओरीजिनल पेश कर दीजिये, जो आपके पास है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह उनके भाषण का अंश है । मैं इतना सत्य मानता हूं कि चाहे उन्होंने नहीं लिखा हो, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने या फाइनेन्स सेक्रेटरी ने स्पीच लिख कर दे दी हो । यह ठीक बात है कि उनको ऐसी अंग्रेजी लिखना नहीं आता हो ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको तब तो क्षमा किया जा सकता है, अगर उन्होंने बगैर समझे हुए भाषण दे दिया हो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय मंत्रीजी....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय उप-मंत्रीजी इस पर भरोसा नहीं करें तो मेरे पास १९६४ का एक सोवेनिअर है जिसमें बी. के. कौल का सन्देश छपा है । एक चीज मैं इसमें से पढ़ दूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रिलेवेन्ट नहीं है इस इश्यू पर !

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बहुत रिलेवेन्ट है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रिलेवेन्ट नहीं हैं

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप एजूकेशन के डिप्टी मिनिस्टर हैं तो क्या हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर का इम्तहान ले चुके हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस पर उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, यह कन्ट्रीब्यूटेड है । यह हो सकता है कि उन्होंने खुद ने नहीं लिखा हो !

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सरल अंग्रेजी है !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि वे खुद यहां पर बैठे हुए होते तो इस बात को साफ कर सकते थे। यह हो सकता है कि उनको ऐसी अंग्रेजी लिखना नहीं आता हो, हो सकता है कि यह उनकी अंग्रेजी नहीं हो लेकिन जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनके जरिये यह लिखवा लिया गया हो क्योंकि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी काफी काबिल आदमी हैं और अच्छी अंग्रेजी लिखने वाले हैं। उन्होंने यह लिखा हो और उन्होंने दस्तखत कर दिये हों। हम मानते हैं कि जो भावना इस स्पीच के जरिये से जाहिर होती है वह यह है कि वह वकील, एडवोकेट्स और जो इस प्रोफेशन में लगे हैं उनके प्रति इतनी कन्टेम्प्चुअस निगाह रखते हों और इतने कन्टेम्प्चुअस निगाह से देखते हैं। यहां पर जो दोनों उप-मंत्री बैठे हैं, जो डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए हैं दोनों इस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं और आपके वित्त मंत्रीजी घृणित निगाह से उनको देखते हैं जो वकालत का पेशा करते हैं। अच्छा हो कि आपकी राय आ जाय, लेकिन मुश्किल है कि आपकी राय आयेगी नहीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, नहीं। ऐसी राय नहीं रख सकते। यह अनऑनरेबल प्रोफेशन है–ऐसी राय उनकी नहीं हो सकती।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आंथोरिटी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस ऑथोरिटी को मैं चैलेंज करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप इन्क्वायरी करवा कर देखें, इन्क्वायरी करायें तो उनकी करायें। यह नहीं कि आप चैलेंज करते हैं। यहां ओरीजिनल कागज रखा जा रहा है और आप कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसकी आप जांच करायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्क्वायरी का सवाल नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उन्होंने लिख कर दिया है वह सर्टीफिकेट बता दिया। आप वकील की तरह कह रहे हैं कि सर्टीफिकेट बताओ। सर्टीफिकेट बता दिया तो एक्सेप्टेड नहीं है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें यह प्रश्न आता है कि यह फ्रेज कैसे आता है, क्या संदर्भ हैं; what is the context ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You accept the version of your colleague.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह समस्या इस सदन के सामने है कि यह कौल साहब ने ऐसा कहा या नहीं कहा। इस सम्बन्ध में सारी जानकारी दे दें। अगर नहीं कहा तो अच्छी बात है। और अगर कहा तो गलती से कह दिया या उनकी मंशा ऐसी नहीं थी–यह साबित हो जाय तो बात दूसरी है। वैसे यह सरकार के लिए बहुत जिम्मेदारी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के साथ गौर करने की चीज़ है। ज्योंही यह चीज़ मेम्बर्स ऑफ बार के सामने आयेगी, धीरे धीरे करके, जोधपुर में जायेगी, और जगह जायेगी...

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहुंच गई है। सब जगह पहुंच गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी क्या पोजीशन रहेगी जब इसका जवाब वे देंगे या उनकी तरफ से जो जवाब देने के लिए आयेंगे उनकी क्या पोजीशन होगी ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : वकीलों से पोजीशन नहीं बनती है, जनता से बनती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कहता हूं कि जो मुद्दा और जो उद्देश्य इस बिल का है, वह यह है कि इस तरह की भावना रखते हैं कि किसी प्रकार वह चाहते हैं, किसी प्रकार से जनता को जुडिशियरी के सामने जाने का ज्यादा से ज्यादा ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : वकील लोग सौतेला व्यवहार रखते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कम मौका दिया जाय, इस व्यवहार को कम किया जाय To approach the Court of Law is a fundamental right of litigant.

किसी भी व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपने मसले को किसी अदालत के सामने जाकर फैसल करवाये। इसलिए अदालत का रास्ता रोका जाना, यह उसके अधिकार का हनन करना है। और अगर यह किया जाता है तो इसका मोटिव बोनाफाइड नहीं है, इसका मेलाफाइड मोटिव है। इसलिए आपने १२ ए के तहत सारे डिर्टमिनेशन् के मामले रखे हैं, किस के ऊपर टैक्स लगेगा, कौन रिटर्न देगा, टैक्स फिक्स कैसे होगा-ये सारे डिटरमिनेशन के अधिकार कमिश्नर के पास हैं। That determination is final. सेल्स टैक्स कमिश्नर के डिर्टमिशन करने के बाद कोई फैसला किसी को करने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से वे आगे कहते है :

"The Commissioner shall make an order determining; such question, the commissioner may direct. The determination shall not affect the liability of any person under this Act. If any such position arises on any order already passed under this Act- no such question shall be···"

इसके बाद सभापति महोदया, आगे चल कर आती है धारा १४ का अमेंडमेंट, इस धारा १४ में है क्या ? सदन के सामने ओरीजिनल धारा क्या है, यह तो रखी नहीं गई और बड़ा इनोसेन्टली कह दिया, हालांकि जब कभी बिल आता है तो ओरीजिनल एक्ट होता है वह भी साथ में रखा जाता है ताकि वहीं का वहीं रेफर किया जा सके। लेकिन यह बिल हमारे सामने आया ६ मार्च को, इसमें ओरीजिनल एक्ट की धाराओं को लक्ष में नहीं रखा गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साथ में रखा गया है ।

श्री परसराम मदेरणा : जो हाउस में दिया गया है उसमें ओरीजिनल भी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास आया नहीं । मेरे पास जो आया उसमें तो नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : एक माननीय सदस्य को मिला है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास आया उसमें तो देखने को आया नहीं । आपने दिया है तो मेरे देखने में नहीं आया । इसलिये माफी चाहता हूं ।

आपने क्लॉज़ १४ में दो तरह के रिवीज़न के प्रावधान रखे हैं । एक तो एसेसिंग ऑथोरेरिटी खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिविज़न करती है :

" Sub-section (1) : The Board of Revenue may, on being moved by the assessing authority, calls for and examine the record under any proceedings of this Act and if it is considered that the order is erroneous and illegal, he may pass an order provided that no order shall be passed prejudicial to a dealer without giving him an opportunity of being heard.

इस रिविज़न में जिसको एसेसिंग ऑथोरिटी पेश करती है उसमें यह है कि डीलर को विना सुने कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे । मगर प्रोविज़न २ में आप इस तरह से डरते हैं, आप इसमें इस तरह से दर्ज करते हैं कि :

"The first proviso to sub-section (I) shall be omitted.

हद हो गई । आपने सारे प्रिन्सिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ताक में रख दिया और आप एक आदमी को बिना सुने कन्डेम करते हैं । मैं समझता हूं कि उप मंत्री जो इस बिल को सदन में पाइलोट करते हैं वे तो कम से कम कानून के जानने वाले हैं । वित्त मंत्री तो कानून नहीं जानते, मगर वे तो इस बात को फील करेंगे कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इन्टरप्ट कर रहे हैं, वह कहां तक ठीक है । आप आगे चलिये । सारे बिल में गड्ढे ही गड्ढे है ।

After sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely so and so. formerly it was

श्री परसराम मदेरणा : आप कौनसा क्लॉज़ पढ़ रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : After sub-section (2) you want to add (3) " Any member of the Board of Revenue sitting alone shall have the power to hear and dispose of an application for revision under this section. ,,

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आपके यहां के प्रोसीजर के रूल्स बनाने का अधिकार है । हाई कोर्ट में भी रूल्स हैं कि सिंगल

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बेंच में और डिविज़न बेंच में कौनसे केसेज जावेंगे मगर आप यहां पर कहते हैं कि रिविज़न तो एक सिंगल मेम्बर सुनेगा और अगर एक मेम्बर सुनता है तो with the leave of that judge वह डी. बी. में रखा जा सकता है। आगे कहते हैं कि वे under this Section:—

" order in such cases shall be subject to provisions of section 15 be final and no appeal shall lie therefrom to any other bench of Board of Revenue, notwithstanding anything contained in section 10 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956."

तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक जज ने फैसला दिया वह बिल्कुल खुदा की लकीर हो गई। एक बोर्ड के सदस्य ने जजमेंट दे दिया वह खुदा की लकीर हो जावेगी और उसकी कोई अपील नहीं होगी। मैं यह सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि रोज हाईकोर्ट में इसके बारे में फैसले होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलग निर्णय होते हैं। अगर एक बोर्ड के मेम्बर ने फैसला दे दिया तो वह दूसरे के पास नहीं जा सकता और वह निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो किस प्रकार से जनता के प्रति जिम्मेदार होंगे। हमको जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए यहां पर भेजा है चुन कर और हमारा यह फर्ज है कि उनके हितों का हनन नहीं होने दें और उनकी रक्षा करें। अगर हमने सारे पॉवर्स एग्जिक्यूटिव को दे दिये तो फिर तो सारा काम हो गया, जनता के हितों की रक्षा हो चुकी! फिर तो हो गया इन्साफ। मैं यह कहूंगा कि फिर तो आप कॉन्स्टीट्यूशन को भी खत्म कर दीजिये, आराम से जो कुछ आपको करना है बैठ कर करें।

एक बात बड़े ताज्जुब की है। मैंने मेरे २५ वर्ष की कानून की जिन्दगी में ऐसी बन्दिश नहीं देखी। आप क्या बंदिश करते हैं? एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। वह आदमी जिसको आपने एसेस किया है और उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे एप्लीकेशन दी है कि वह हाई कोर्ट में जाएगा, स्टे किया जाए और आप पेशियां हो पेशियां बदलते रहें कोई एप्लीकेशन पर एक्शन नहीं लें और यह कहें कि इतने समय बाद वह रद्द समझी जावेगी। आपने इलेक्शन लॉ में रिप्रेज़न्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में यह नियम बनाया कि ६ महीनों में फैसला हो जावेगा। आप बतावें आपके दो-दो, तीन-तीन वर्ष लगते हैं। आप यह कहते हैं कि उसको रिजेक्शन मान लिया जावे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें उनका क्या कसूर है? आपका बोर्ड डिसाइड नहीं करता है। समझ में नहीं आता कि आप कहां का दकियानूसी कानून बनाते हैं। आज के युग में आप ऐसा दकियानूसी कानून बनाते हैं और यह कहते हैं कि उसको रिजेक्शन माना जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गलती का नुक्सान उनको क्यों उठाना चाहिये? आपने इस प्रकार का कानून बनाया। हद हो गई सूझ बूझ की। मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार आप हमको जनता में बोलने के लायक नहीं रखेंगे। हम जनता के सामने क्या जवाब देंगे जब वे हमसे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कहेंगे कि आपने ऐसा कानून पास करा दिया और हमारे गले पर छुरी फेर दी। मगर हमारे पास सिवाय आपको कहने के कोई चारा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो लिमिटेशन रखी है वह उनके हक में रखी हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप यह मत कहिये कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड का कुछ नहीं होगा. उनको नुकसान होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप यह क्यों नहीं करते कि इतने दिन के बाद टैक्स पेअर के हित में हो जावेगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप यह कह दें कि १२० दिन में फैसला नहीं करेंगे तो टैक्स देने वाला है उसके फेवर में माना जावेगा तो हमको संतोष हो जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : फैसला तो वे नहीं करें और टैक्स पेअर रेफरेन्स करें, टैक्स पेअर घाटे में जावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कैसे कहते हैं यह कि....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप इस बात का मुलाहिजा करिये :

"If the reference is not made within time prescribed, therefore, in sub-section (1), the application shall be deemed to have been refused."

अगर फैसला बोर्ड नहीं दे और एरर एपेरेन्ट है और उसको ठीक कराना चाहते हैं, मैं यह कहता हूं कि जो कुछ बोनाफाइड मिस्टेक है, रहती है उसको ठीक कर दिया जावे That is all malafide. It cannot be said that it is all bonafide. This is against fundamental right

उसके बाद आप देखिये कि स्टे के बारे में बड़ा अजीब सवाल है। जिस अदालत के पास अपील होती है, जिसका जुरिस्डिक्शन है, वह अगर मुनासिब समझे तो स्टे दे सकता . . . In proper cases, stay is granted.लेकिन इसमें आप कहते हैं कि किसी को स्टे ग्रान्ट करने का अधिकार नहीं है। अभी हाई कोर्ट में स्टे की बहस हो रही थी, मैंने सुना, मनमाने तरीके से सेल्स टैक्स में असेस कर लिया था, हाई कोर्ट ने माना कि मनमाने तरीके से असेस कर लिया। सब लोग जानते हैं, आपके अधिकारियों की प्रवृति यह है. जहां जायेंगे यही सुनने को मिलेगा, कोई इसकी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा, लोग परेशान हैं. असेस कर देते हैं मनमाने तरीके से और आप कहते हैं कमिश्नर के अलावा कोई स्टे ग्रान्ट नहीं कर सकता, डिप्टी कमिश्नर तो है अपीलेट ऑथोरिटी, उसका रिविजन जाता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है रेवेन्यू बोर्ड में। उदयपुर जायगा कमिश्नर साहब से स्टे लेवे तब तक वे सारा का सारा कुर्क करा देंगे....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री वित्त) : उदयपुर से यहां आ गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उदयपुर वाले को तो यहां आना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेवेन्यू बोर्ड तो अजमेर में है, तो इस तरह की चीजें क्यों करते हैं कि उलझनें हों और इस प्रकार का वातावरण बने जिसका कि आप मुकाबला नहीं कर सकें।

इसी के तहत चार और अमेंडमेंट्स कर दिये, एन्टरटेनमेन्ट एक्ट में कर दिया है। मैंने एन्टरटेनमेन्ट की एक धारा को पढ़ा, चालान करके ५००) रुपया तक जुर्माना करने का प्रावधान रख दिया है।

मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जमाने में सारे सिद्धान्तों को समझ कर न्याय की दृष्टि से न्याय-संगत काम करना है, हमें इतने अख्त्यारात लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिये जिनका कि दुरुपयोग हो। इस कानून के बन जाने के बाद, वैसे ही यह डिपार्टमेंट बदनाम तो है ही, इसमें फिर करप्शन का बोलबाला हो जायगा, दूसरे पक्षपात का बोलबाला हो जायगा और तीसरे यह है कि वित्त मन्त्री महोदय की हम खुशामद करने लग जायेंगे, उनकी महरबानी के ऊपर हम जिंदा रहेंगे, यह उनके हक में बहुत अच्छा है कि हम उनकी महरबानी पर जिंदा रहें.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : (उप-मंत्री गृह) ऐसी उनकी आकांक्षा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रकार की नीति आज चल नहीं सकती। करप्शन का जहां तक सवाल है, इस बिल के पास होने के बाद चार गुना करप्शन बढ़ेगा, चार गुना करप्शन नहीं हो जाय तो इस सदन के सामने मुझे जिम्मेदार ठहरायें। इसलिये इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिये। एडवोकेट जनरल की राय लीजिये, एक्सपर्ट्स की राय लीजिये, खाली लॉ डिपार्टमेंट की राय मंगा ली, मैं जानता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट किस तरह चलता है और कितना अच्छा कानून बना कर रख सकता है, तभी तो लॉ डिपार्टमेंट द्वारा ड्राफ्ट किये हुए कानून रिट में जाते हैं। इसलिये इस बारे में विचार करना चाहिये। हो सकता है डिफिकल्टीज हुई हों एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने का भी कहा है; एक की क्या, इससे कइयों की मौतें हो जायेंगी, लोगों के साथ हार्डशिप्स करते हैं, जेलों में लोगों को डाला जाता है।

सब्स्टीट्यूट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आप भी कानूनदां हैं, जो खामियां हैं उनको समझें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सम्पूर्ण है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, इस विधेयक के बारे में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी....

(उप-मंत्री, गृह को उद्दिष्ट करते हुए)

जरा इधर गौर करिये, आज सारी गवर्नमेंट आप में आकर इकट्ठी हो गई हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को किस प्रकार कन्टेम्पचुअस ढंग से ट्रेजरी बेंचेज लेती हैं, राजस्थान की सारी जनता को इफेक्ट करने वाला कानून आता है, उसकी किस तरह कन्टेम्प्ट हो सकता है, इसका नमूना यह है कि ट्रेजरी बेंचेज की ओर केवल एक आप बैठे हुए हैं, जिनका कि कोई ताल्लुक नहीं इस कानून से।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह कानून का प्रश्न है. सभापति महोदया, इसलिये कोई कन्टेम्प्ट का प्रश्न पैदा नहीं होता। कानून को जिसने सोचा हो, समझदार हो, वह एक हो या दो हो, कोई फर्क नहीं, इसलिये सबका बैठे रहना जरूरी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जनतंत्र को कंकाल कर दिया है, जिस तरह ट्रेजरी ब्रेंचेज ट्रपल कर रही हों, इस तरह का उपयोग हो रहा है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बुद्धि का बहुत मांस दिया है जनता को।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सोचती हूं यदि वित्त मंत्री यहां, हों यहां बैठें तो अच्छा होगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आपके आदेश हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्पीकर साहब ने पहले ही कह दिया था कि ज्वालाप्रसादजी बोलेंगे तो यहां वित्त मंत्री बैठेंगे। लेकिन उनके आदेशों का भी पालन नहीं किया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसे आदेश का तो हमें पता नहीं, ऐसा प्रिविलेज तो शायद ही आपको दिया होगा।

श्रीज्वालाप्रसाद शर्मा : पधार जायेंगे यह कहा, फिर भी नहीं पधारते तो मैं प्रारम्भ करता हूं।

इस विधेयक के बारे में यदि "आज मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह बिल रोलेट बिल की तरह है। रोलेट बिल लाया गया था जो चीज़ हो गई थी उसको दोहराने के लिये, जिसको ऑपोज़ किया था सारी नेशनलिस्ट ताकतों ने। मैं समझता हूं आज के दिन यह विधेयक रोलेट बिल की तरह है, जो गवर्नमेंट को चलाने में टैक्स देते हैं, उनके ऊपर उसी तरह का है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। इस प्रकार के कानून से आज आपके जरिये टैक्स लेने वाले ले रहे हैं, मुझे एतराज नहीं, टैक्स इवेज़न को मैं अच्छा नहीं समझता, पर मनुष्य का आत्म-सम्मान छीन कर करें, इसमें एतराज है। डेमोक्रेसी को किसलिये पसंद करते हैं ? इसलिये कि इसमें कानून का राज्य है, व्यक्ति का राज्य नहीं है, अधिनायकवाद नहीं है। टैक्स लेना है तो कानून से लीजिये, व्यक्तियों में ताकत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

देकर, उनको अधिनायक बना कर, हिटलर बना कर राजस्थान की जनता और बिजनैसमेन को अपने कांटे से कुरेदना चाहते हैं, यह चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती, ऐसा मैं एक कांग्रेस मैन की हैसियत से कहता हूं।

सभापति महोदया, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके आदेश के बावजूद भी वित्त मंत्रीजी अभी तक नहीं आये हैं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फोन किया गया है, इतना क्या असंतोष है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां हमें आदेश दे देकर बैठाते हैं और उनको फोन किया जाता है, यहां बैठते नहीं है, आपके दिमाग में फोड़ा हो गया, वह फोड़ा फूटेगा....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order, Sir...

यह तो एक्स्पन्ज किया जाना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फोड़ा कैसा होता है ? फोड़ा नहीं होता आदमी के। इसमें गाली दे दी क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है।

श्रीमती सभानेत्री : एक्स्पन्ज करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्स्पन्ज तो आपके शब्दों का करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब भी बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप न चेयर की और न प्रोप्राइटी की बात मान कर चलते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को कहने का अधिकार है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं निवेदन कर रहा था इस सिलसिले में कि एक रोलेट बिल आया था आज उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको संज्ञा मैं उस रोलेट बिल से देता हूं जिसमें अपरिमित ताकतें व्यक्ति को दे दी गई हैं। हो सकता है कुछ व्यक्ति ईमानदार हों, मैं जानता हूं जो व्यक्ति ईमानदार हैं। लेकिन कानून में बदनाम व्यक्ति भी उस जगह जाकर बैठ सकता है उस दिन करप्शन का क्या हाल होगा ? यह कानून आप हमसे पास करायें और यह लागू हो और उस व्यक्ति का ठिकाना न हो जो इसको लगाने वाला है, उसमें ताकत न हो और जिसको आप चाहें उसको आप अपनी नजरें इनायत से बदल सकते हैं, उसके हाथ में हम यह कानून देने के लिये तैयार नहीं है।

आपने बिजनेस की परिभाषा की। एक ठाकुर का आदमी था। उस ठाकुर का केटल था। वह आदमी उसको चराने जाया करता था। चराने में ऊंट खो गया।

Page No 85

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऊंट खो गया तो वह भागा मालिक को खबर देने के लिये। लेकिन वह ऊंट का नाम भूल गया। उसने कहा, खो गया। मालिक ने पूछा क्या खो गया ? उसने कहा, खो गया। पूछा कि क्या खो गया। नोकर पढ़ा लिखा था लेकिन नाम भूल गया। कुछ टेढ़ा, कुछ लम्बा लम्बा। पूछा नाम तो बोल। नाम इससे कुछ नहीं निकला। उसकी लीद निकाल कर, गुठली निकाल बतायी; उसने बताई तब समझ में आया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गुठली नहीं मींगणी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप १७ वर्ष के बाद ऊंट की मींगणी निकाल कर दिखा रहे हो कि बिज़नेस किसे कहते हैं। १७ वर्ष के बाद तुम्हारी निगाहें खुलीं तुम्हारे दिमाग में अहलाम आया। खड़े मत होओ बैठ जाओ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं अपना स्थान इधर से उधर बदल रहा था...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री - Is it a point of order !

(व्यवधान-शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज़।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा पोइन्ट ऑफ ओर्डर यह है कि इन माननीय सदस्य को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि बैठ जाओ। चेयर का काम है आदेश देने का, इनका नहीं है।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक): चेयर के आदेश का उप - मंत्रीमहोदय उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आदर देता हूं। आपको फिर भी मैं कहूंगा कि बैठ जाओ। आप आदेश नहीं देती हैं तो जिस प्रकार उनको कहने का हक है कि बैठ जाओ मैं भी कहूंगा कि बैठ जाओ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपको बैठ जाओ थोड़े ही कहा है, इन्होंने तो ऊंट को बैठ जाओ कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको इस डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर लाइटली ले रहे हैं लेकिन मेरी कोई यह इच्छा नहीं है। मैं तो जवाब चाहता हूं। १७ वर्ष के बाद, गुजरात और दूसरी जगह रिवोल्ट किये गये, विकास के लिए जितना रुपया इकट्ठा हुआ, पब्लिक की कितनी खून और कुर्बानियों के बाद यह टैक्स लगा है। १७ वर्ष के बाद बिज़नेस की डेफिनिशन, । बिजनेस की डेफिनिशन किसलिये कर रहे हैं ? साफ ओब्जेक्ट में दिया हुआ है। किसलिये कर रहे हैं ? आज आपने देखे पंचायत के इलेक्शन्स, म्युनिसिपैलिटी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के इलेक्शन्स । आप जानते हैं इस बात को कि अजमेर क्यों सफर कर रहा है आज ? क्या तकलीफ है ? आपको कोई परवाह नहीं । हर एक कोई इस डिपार्टमेंट का आदमी जाकर चाहे जिसको जाकर जैरामजी की कर ले । वह आदमी उसकी किताबे उठा कर ले जाता है । हमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन खुशामद का माद्दा नीचे की नौकरियों में पैदा हो गया है; वे किसी तरह आपको पोलिटिकली ओब्लाइज करना चाहते हैं और इसलिए वे हर व्यापारी को कोअॉर्स कर रहे हैं । आप समझते होंगे कि इससे कांग्रेस की ताकत बढ़ती है या किसी की ताकत बढ़ती है । मैं कहता हूं कि यह गलत हैं । इससे तो उन व्यापारियों में एक नफरत पैदा हो रही है । उन व्यापारियों में एक आपके प्रति हिकारत पैदा हो रही है, वे अपनी मजबूरियों से दबे हुए हैं वे बेबस महसूस करते हैं, नीचे का एक तबका पोलिटिकली आपको ओब्लाइज करना चाहता है, इस हुक्मबाजी में चाहे सीकर का नाम ले लूं, चाहे अजमेर का नाम ले लूं, आज मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं आप अपने उन एल्डर्स के पास ये नहीं पहुंचा सकेंगे इस बात को; इसलिए मैं कहना चाहता था कि वे यहा होते, मैं यह भी कह दूं कि इसके जरिये आप कोई विशेष ताकत मिल जावेगी । आप यह समझते हों कि इससे कोई विशेष ताकत बढ़ जावेगी, वह नहीं है ।

ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में भी आपने देखा होगा कि सब ताकतें विरोध करने के लिए एक हो गई थीं । उसके खिलाफ बगावत करने के लिए सब ताकतें नेशनलिज्म के साथ गईं । सब कांग्रेस के साथ हो गईं । दमन-शाही भी साथ हो गये । यह बिज़नेस क्लास की डेफिनिशन कर रहे हैं । सोचें जरा, अक्ल से काम लें । इसको खोदना बन्द करें । इससे जनता पीड़ित होगी । एक हिकारत की स्थिति पैदा हो रही है । हर आदमी टैक्स देता है । उसको दिक् करना, हैरान करना, यह कांग्रेस पार्टी, यह कांग्रेस सरकार अपने हाथ काट कर सोच-समझ कर दे पॉवर्स उन लोगों को, क्योंकि इसका अन्जाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, आप और हम को भुगतना पड़ेगा । और इस सर्विस क्लास का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है । ये हालात आप पैदा कर देंगे । बिजनेस आज तक डिफाइन नहीं किया । आज आपको जरूरत पड़ गयी । इसलिए कि आपके टच में नहीं आ रहे थे । जो तबका आजाद था, जो चेरिटे-बल सोसाइटीज़ हैं, जो मंदिर हैं उनके अन्दर घुसने के लिये आपको जगह नहीं मिल रही थी, आपके डिपार्टमेंट का परकोलेशन नहीं था, उन लोगों के ऊपर आपका अंकुश नहीं था, उनके रिकार्ड्स पर आपका अंकुश नहीं था, उनको लेने के लिये जितनी इन्स्टीट्यु-शन्स है, जो लोग कन्स्ट्रक्शन कराते हैं, जो कुए बनाते हैं जो आपकी तरफ से जिला बोर्ड या दूसरी इन्स्टीट्युशन्स हैं, जो सेवा का काम करती हैं, जैसे मारवाड़ रिलीफ सोसा-इटी है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं, जो सेवा का काम करती हैं उन सब को हैरेस करने के लिये यह बिजनेस की डेफिनिशन करने की आवश्यकता आपको हुई । डेफिनिशन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भी क्या चीज़ हैं ? आपने गौर से देखा हो तो तीन सेन्टेन्सेज़ में तीन दफा इन्क्ल्यूड करके, तीन दफा नक्ल करके जिसको आप बिज़नेस कह दें वह बिज़नेस हो गया। मैं यह कहूंगा कि आप आज इन्कार कर दोगे, मैं आज कह सकता हूं कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है और फिर प्रसाद मिलता है उस पर भी आप चाहो तो इस प्रावधान से टैक्स लगा सकते हो। आज आप उसको भी टैक्स करना चाहते हैं। बिज़नेस में साफ डेफिनिशन है। प्रोफिट एन्ड लोस न हो, एक्सचेन्स न हो, तब तक सेल्स टैक्स के अधिकारी नहीं। इसलिए आपको इस डेफिनिशन को बदलना पड़ेगा। बदलना चाहिये भी।

१७ वर्ष तक काम चल गया। सेल्स टैक्स कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। बजट के समय आप बताते कुछ हैं और फिर अधिक वसूल करके आप अपनी एफिशियेन्सी बताते हैं। आप बिजनेस की डेफीनिशन करके, परवर्डिंग पैदा कर रहे हैं, कॉम्प्लीकेशन्स पैदा कर रहे हैं। ऐसी सेवक संस्थाओं को, और लोगों को, जैसे रामकृष्ण सोसाइटी या और दूसरी जितनी सोसाइटीज़ हैं जो समाज की सेवा करती हैं, अपना कोई बिजनेस नहीं करती हैं, उनमें आप इस करप्शन के ऊंट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक आपका काम कहीं रुका ? बताइये ? किन असेसी से इवेज़न हुआ और इसलिये इन सारों को इन्क्लूड करना चाहते हैं ? लेकिन आप उनका नाम नहीं लेना चाहते, क्लबों का नाम नहीं लेना चाहते और इसमें इसलिए संशोधन करना चाहते हैं कि राजस्थान में ये जो बची-खुची संस्थायें जनता की सेवा कर रही हैं आपके अपवित्र पैरों के निशान उन पर नहीं

(३.०० म० प०)

पड़ते हैं। आपको तो दर्द नहीं होगा। जिस ढंग पर हैं वही पर रहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दर्द न आपको है और न मुझ को, अपन अभी बाहर चल कर चाय पीयेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लीडरी का दम्भ है। यह टिनोपोल की सफेदी लग गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिफीनिशन का दर्द है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पर गुजरी नहीं है जब आप इसके नीचे आयेंगे तब पता चलेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : न आप नीचे आने वाले है और न मैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिस दिन वकालत पर सेल्स टैक्स लगेगा उस दिन पता चलेगा। उसके लिये तो कहेंगे, यह तो ओनरबल प्रोफेशन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो फिर वकीलों की वकालत कर रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके इस ओनरेबल प्रोफेशन को भी वित्त मन्त्री ने बेईमानी का पेशा माना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका कोनट्राडिक्शन कर दिया है। वे हमारे पर अटेक नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अटेक किया है एक रेस्पोन्सिबल आदमी पब्लिक में यदि किसी प्रकार का स्टेटमेंट देता है कि वकीलों का पेशा गन्दा है तो मैं यह समझता हूं, अब आप वकील का पेशा नहीं करेंगे चाहे आपको मिनिस्टरी से निकाल भी दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बृजसुन्दर जी इसका संकेत ले लेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे लें या आप लें, मेरी बला से।

इस बिजनेस टर्म की जरूरत नहीं, अन कालड फोर है। आप यह चाहते हैं कि जो तबका बच गया उनकी गर्दन नापी जाय, जिसने कभी टैक्स का नुकसान नहीं किया जहां बिजनेस का सवाल नहीं।

आप मोटर वालों पर टैक्स लगायें जो जनता को लूट रहे हैं। बैंकों में जमा करा रहे हैं उनके लिये कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आ सकता। अमेन्डमेन्ट तो इस तरह का करेंगे कि कोई भला आदमी है, कोई इन्स्टीट्यूशन चलाता है, ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स जो बच्चों की भलाई के लिये काम करता है उसकी गर्दन नापी जाय। लड़कियों के बीच में और मास्टरनियों के पास जाकर के हिसाब लेने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप पुलिस की तरह लड़कियों की इन्स्टीट्यूशन्स को मत बनाइये। लड़कियों को इन्स्पेक्टर की जगह पर रखेंगे तभी हम जाने देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो दूसरी बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। मुझसे आप मत कहलवाइये।

मैं आपको बतलाता हूं यह डिपार्टमेन्ट कैसे चलता है। कॉन्स्टीट्यूशन और कानून की इज्जत होती है डेमोक्रेसी में, यह डेमोक्रेसी की जान होती है। हमारा समाज किसी रूल और कानून के मातहत चलता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि एक अपीलेट ओथोरिटी के पास न्याय पाने का तरीका है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि एक छपा हुआ कागज दे दिया, कोई आदमी है, गरीब है वह चाहता है कि उसका असेसमेन्ट गलत है उसको कम कर दिया जाय या नहीं लगाया जाय तो नीचे की ऑथोरिटी, जिसको आप रावण बनाना चाहते हैं, उसके लिये आपके यहां का यह सर्यूलर है। आपका कहना है कि कोई भी आदमी तुम्हारे पास आ जाय कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या अपीलेट ऑथोरिटी सब के सब घर के आदमी हैं तुम क्या फैसला दो उसके लिये यह फॉर्म छपवा कर भेज दिया है, सब जगह वे कहते हैं, आप यह ओब्जेक्शन कर दो। वकील को तो वित्त मंत्री ने बेईमान मान लिया। अतः उसको तो वे मानते नहीं छपा हुआ फॉर्म पेश करो, there is a possibility of the dealer assessee closing his business and migrating from the present place of business.

अपीलेट ऑथोरिटी को मिसगाइड करे, एग्जीक्यूटिव इस तरह का फॉर्म छपवा ले।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इस फॉर्म को भर कर ओब्जेक्शन को रोक दे। जहां पर उसको यह अधिकार था कि सर्कम्सटान्सेज बता कर अपीलेट ऑथोरिटी में जा सकता था इस तरह से फॉर्म द्वारा उसके साथ ज्यादती हो रही है। आप इस तरह से बिजनेस और बिजनेसमैन को बरबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर किसी कानून के आपने सेल्स टैक्स ऑफिसर को अधिकार दे रखा है कि तुम इस प्रकार लिख दो कि यह आदमी भाग जायगा और इस तरह से हमारा सेल्स टैक्स खत्म हो जायगा। यह अहसास हो रहा है उनको कि यह आदमी भाग कर चला जायगा और साथ में सारा बिजनेस ले जायगा। आप इस तरह से कानून चलाना चाहते हैं और इनके हाथ में पॉवर्स देना चाहते हैं। डिपार्टमेन्ट इनवोल्व्ड हो, यह जो सक्यूलर्स हैं उस ऑथोरिटी को साफ चेलेन्ज किया जाता है। इन आल-केसेज में अपीलेट ऑथोरिटी को लीगली अपील का प्रोवीजन है, हर नागरिक को अधिकार है कि किसी भी आर्बीट्रेरी पॉवर्स का वह शिकार न हो। कानूनी अधिकार दिया हुआ है कि अपीलेट ऑथोरिटी में जाता है। डिक्टेटोरियल पॉवर्स जो इस सक्यूलर द्वारा दिये हैं:-"In some cases, it has been reported that the assessees are approaching the Deputy Commissioner (Appeals) regarding interpretation of their orders entertaining the appeals without payment or a part payment on demand and in response to such application, some interpretations of their orders have been given by the Deputy Commissioners implying stay of payment. As these interpretations and clarifications are not given under any particular section of the Act and are not part of the orders in appeal, the assessing authority may apply to the Deputy Commissioner concerned seeking clarification of the legal fact, such clarification etc etc."

इसके इन्टरप्रिटेशन के जो शिकार हैं वे मरे जाते हैं। जब हाई कोर्ट से स्टे हो गया अपीलेट ऑथोरिटी ने स्टे दे दिया, तुम यह कहो...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : यह जो पोर्शन आपने पढ़ा है असेसिंग ऑथोरिटी किसी कानून के तहत अपीलेट ऑथोरिटी के पास जाता है उसके अन्दर वह स्टे करता है, उसमें यह पूछना कि कानून का कौनसा सेक्शन है, यह पूछना क्या गलत बात है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हुजूर, आपके लाडले की बात अब कहता हूं।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप रहने दो न। आपकी वकालत हो गई, सब हो गई।

कोई पिट कर आ जावे और कहे कि बस मैंने उसके मुंह पर तमाचा नहीं मारा और इसलिए अब अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। जब वहां केस चल रहा था, तब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप वहां अपनी बात यह जो बाद में आप कहने जा रहे हैं, पोइन्ट आउट कर सकते थे। तब आप नहीं कर सकते थे ? अपनी वहां जो जिम्मेदारी थी, उससे शर्क किया। अब वहां से पिट कर निकलने के बाद दूसरों को बर्बाद करने के लिए उसका इन्टरेप्रिटेशन निकालने की बात बोलते हो। सरकम्वेन्ट करने के लिए। जब अपील में गये तब आप ने वह बात वहां क्यों नहीं कही। आप अब सक्यूंलर निकालते हैं तुमने यह गलती की। एक लैटर निकाल कर कह दिया कि इन्टरप्रिटेशन यह है इसका। कुर्की निकाल दो अब। वह जयपुर अजमेर मारा मारा फिरे। तो मैं कहता हूं आप अपने दिमाग की यह दीवार बीच में से खोल दीजिये, निकाल दीजिये यह दीवार। फिर आपकी समझ में सारा मामला आ जावेगा। अगर आप ही फंस गये तो फिर क्या हाल होगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो पैरेग्राफ पढ़ा उससे मैं यह समझ पाया। आप कूल माइन्डेड होकर सुनें। आप गर्मी में न कहें !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): कोका कोला पीकर कहें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो समझ पाया वह यह है कि कमिश्नर ने इस तरह से असेसिंग आॅथोरिटी सेल्स टैक्स आॅफीसर को कहा है कि ये कानूनी मुद्दे डिप्टी कमिश्नर अपील के सामने रेज करना चाहिए। उससे समझ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर अपील डिसाइड करने के लिए कमिश्नर हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट होते हुए भी जुडीशियरी स्टेटस है उसका तो अगर उसने ऐसा कहा तो कौनसी गलत बात की है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इस बारे में मैं जाहिर करना चाहता हूं कि इस केस में डिप्टी कमिश्नर ने स्टे दिया है जो पुराने कानून के अनुसार था। सैक्शन १३ में और इसमें यह था, डिप्टी कमिश्नर अपील सारी लेकर या पार्टली लेकर सुन सकता था। उस सैक्शन में लिखा है। उसके अन्तर्गत बहुत से केसेज में करीब करीब सभी केसेज में डिप्टी कमिश्नर ने किसी में सारा लेकर किसी में पार्टली लेकर फैसले किये हैं। पर इसमें स्टे आॅर्डर में फैसला करने की कोशिश की। अगर इसमें ऐतराज था तो अपील करते उसकी। अब जब उसने एक फैसला कर दिया तो उससे कहना करना कानून के खिलाफ है, सामान्य कानून के भी यह खिलाफ है। गलत है या सही है उसकी रेमेडी है कि आप हाई-कोर्ट में जाकर अपील करते। पर यह नहीं करते। सरकूलर निकाल कर चैलेंज करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अब आपकी समझ में आ गया है। यह जो कह रहे हैं जो आॅर्डर सक्यूंलर निकला आगे केस ऐसे आवें तो यह हो, यह तो है इसमें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप मत मानें। उसमें यह कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : It is for the assessing authority to raise this point before the Deputy commissioner (Appeals) whenever such question arises. That is the whole thing.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : After giving the order, Deputy commissioner has given the order of stay. मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं प्रिज़म्प्टिव हो गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी बात तो रहने दो। मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हाइपोथेटिकल कहने का तो मेरे पास जवाब नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इतने बड़े अन्याय को इस तरह से व्हाइट वाश नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा इस सिलसिले में सिर्फ यह कहना है उसकी यहां से अपील गई और अपीलेट ऑथोरिटी ने सोचा, किसके साथ ज्यादती हुई है तो स्टे दे दिया। पर फिर उससे यह जवाब लेना कि कौनसे सेक्शन में यह स्टे दिया तो यह आपका कौनसा तरीका है ?

सिटी मजिस्ट्रेट अगर फैसला कर देता है तो उससे कोई यह पूछने वाला पैदा नहीं होता कि आपका यह फैसला किस कानून के तहत है ? आई. पी. सी. में किस कानून में यह दिया है ? अगर आपको उस फैसले में ऐतराज है तो ऊपर की ऑथोरिटी पर जाना चाहिये। तो यह सक्यूंलर आपका इस में बाधा डालता है। आप अपने मातहत को इस सक्यूंलर से डराना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं तुम्हारा अफसर नाराज हो गया है। वह सोचता है मेरा आका नाराज हो गया है तो फैसला देने में दबता है। तो इस तरह से आप व्हाइट वाश क्यों करते हैं ? अगर आपको कुछ करना है तो एक ट्रिब्यूनल बनाइये। एक तरफ आप पुलिस और जुडीशियरी को अलग करने जा रहे हैं पर टैक्सेज़ के मामले में जुडीशियरी के सभी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं है जुडीशियरी में। अगर कानून के जरिये सब रेगुलेट करना चाहते है तो क्यों नहीं जैसे इन्कमटैक्स में ट्रिब्यूनल है वैसा यहां बनाते ? आप तो रेवेन्यू बोर्ड पर भी हमला करते हैं जिसको हमारी सरकार इतना बड़ा मानती है। हर मामले में रेवेन्यू बोर्ड को सरकार महत्व देती है। चाहे झुंझुनू का झगड़ा हो, हरलालसिंहजी भूख हड़ताल करें, तो वहां रेवेन्यू बोर्ड आता है। उसका फैसला सब मानने को तैयार रहते हैं। इतनी बड़ी चीज, जिसका इतना बड़ा गौरव। बड़े बड़े अफसर, सीनियर अफसर जिनकी ईमानदारी की धाक हो और उसके लिए आपकी क्या ओपीनियन है इस डिपार्टमेंट की ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार से कि यह सरकार उन पर भी कानून लाकर यह बताना चाहती है कि वह न्याय नहीं देना चाहते पर यह भी बताना चाहती है कि वे इनकॉम्पीटेन्ट भी हैं। यह रेवन्यू बोर्ड काम नहीं कर सकता यह रेवेन्यू बोर्ड इस लायक नहीं है कि उसे सेल्सटैक्स का काम न्याय के लिए सौंपा जाय। वे न्याय नहीं चाहते, वे तो चाहते हैं कि ये क्यों नहीं उनकी मशीनरी में फिट होते, एग्ज़ीक्यूटिव की तरह उनके हुक्मफरमाबरदार बनते। ये रिट हमारे ही खिलाफ क्यों दे देते हैं ? इसलिए उनके परव्यू से ये सेल्स टैक्स को निकालना चाहते हैं और कतई निकालना चाहते हैं। आप फरमाते है कि १२० दिन किसी चीज को पहुंचे हो जाये तो फिर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

असेस सरकार करेगी। उनका तो एक्सेप्ट हो गया, ऐसा माना जावेगा और उसको अगर ऐतराज है तो वह जावे हाई कोर्ट में। यह कोई न्याय की बात है ? कोई राम तुम में रहा या नहीं, यह बतला दो ?

श्री परसराम मदेरणा : राम नहीं रहा है, यह पढ़ा ही नहीं आपने; १२० दिन हो जावेंगे तो सुओ मोटो हाई कोर्ट में जाने का प्रोविज़न रखा है। यह तो असेसी के हक में है कि अगर १२० दिन के बाद अगर बोर्ड रेफरेन्स नहीं करता है तो वह खुद जाकर रेफरेन्स कर सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जरा सुनिये आप। आपको तो जैसी उन अफसर लोगों ने फूंक मारी बस कह देते हो यहां। वहां जा जाकर क्या पूछ पूछ कर आते हो ?

श्री परसराम मदेरणा : यह फूंक मेरे में किसी ने नहीं भरी है, खुद में ही भरी हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सम्माननीय सदस्य कानून के ज्ञाता हैं, मैं तो उस तरह का दावा नहीं करता। उन्होंने खुद ने यह रखा और रखने के बाद, मैं यह भी कहूंगा कि आप इसको इक्विटेबल क्यों नहीं करते ? आप खुद क्यों नहीं जाते अपील में ? मोटर मालिकों में लाखों रुपया आपका टैक्स का बकाया है। उनसे तो वह वसूल नहीं करते, टैक्नीकल पोइन्ट का बहाना बनाकर टाल रहे हो। यह टैक्निकल पोइन्ट पर है यह कह कर तीन तीन साल से चला रहे हो और वहां पूछा गया तो यहां एक्सप्लेनेशन यह दिया है कि टैक्निकल पोइन्ट पर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। एक ख्वामख्वाह के टैक्निकल पोइन्ट का बहाना लेकर उसकी आड़ में उनके नचाये नाचते चले जा रहे हो। उस टैक्निकल मामले पर मोटर मालिकों को आप छूट दे सकते हैं, पर आप छूट नहीं दे सकते इन छोटे बिज़नेसमैन को और उसमें लगाते हैं कि अगर १२० दिन में निर्णय नहीं हुआ तो हमारे फेवर में वह हुआ वह मान जाओ। आपके फेवर में क्यों मान जावें ? आप भी जा सकते है हाई कोर्ट में। आप मेरे से बहस करना चाहते हैं। गरीबों को खाना चाहते हैं। उनको दबाकर रखना चाहते हैं। आपके पास आपके नौकर हैं, स्टाफ है, कई हैं। आप क्यों नहीं अपील में चले जाओ ? अगर वे १२० दिन में नहीं पेश करेंगे तो वह असेसी के फेवर में माना जावेगा और आपको छूट है कि आप हाई कोर्ट में जाओ। गवर्नमेंट जिसको पैसा लेना है वह क्यों नहीं आती अपील में ? आप नहीं जावेंगे जो हर तरह से साधन सम्पन्न हैं, बेचारे इन्डिविजुअल को मजबूर करते हैं। क्या आपका यह कहना न्यायपूर्ण है कि वह जावे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को मैं निवेदन करूं कि न मामला अपील का है, न रेफर का है। केवल रेफरेन्स करने का है। कानून में डिस्प्यूट हो तो हाई कोर्ट में फेयर करते हैं। अब अगर बोर्ड नहीं भी करता है तो उसके बाद में इन्डिविजुअल को १२० दिन के बाद करने का प्रावधान रखा है।

Page No 93

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : इसके लिए तो फिर उसको बोर्ड में पहले एप्ली-केशन देनी पड़ेगी उसकी मन्जूरी के वह सीधा अपील में हाई कोर्ट को स्वयं रेफर करने में भी खुला नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : १२० दिन के बाद में एप्लीकेन्ट को रेफरेन्स करने का अधिकार होगा।

श्री बृजसुन्द शर्मा : दो रेमेडीज हैं, अगर रिफ्यूज कर दे तो ? बोर्ड ने तो फैसला दिया नहीं। पहले कानून में क्या रखा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आप भुगत लेना।

तो, सभापति महोदय, इसमें एक बात और रखी है। इसमें पहले यह था कि अगर एक बोर्ड का मेम्बर ने फैसला कर दिया तो उसके बाद वह बेंच को रेफर कर सकता था कानूनी पोइन्ट पर। पर आप अब कहते हैं, नहीं अब वह बेंच के पास नहीं जा सकता, स्पेशल अपील नहीं करने दी जावेगी, अब स्पेशल अपील नहीं हो सकती।

मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ? आपने यह प्रोविजन क्यों डाला है आखिर नेचुरल जस्टिस भी है कोई ?

मैं अन्त में यह कहता हूं कि इसके कमिश्नर को सारे अधिकार दिये गये हैं। कमिश्नर हाई कोर्ट से ऊंचा है ? और उसकी भी क्या बात है ? कमिश्नर के ऊपर जब मैंने मांग की कि फोरिन लिकर की शोप्स दी गई हैं उनमें करप्शन है, मैंने जब कहा कि रामचन्द्रजी मिनिस्टर थे उनकी लिस्ट को काटकर जिस समय मैंने करप्शन का चार्ज लगाया कि लिस्ट को बदला वह फाइल यहां पर रखें लेकिन वह फाइल यहां पर नहीं रखी गई....

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन महोदय, शराब से इस कमिश्नर का क्या ताल्लुक है ? यह जो बिल के लिए कमिश्नर है वे कमर्शियल टैक्सेज के हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह बता रहा हूं कि किस तरह से....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उनका कहना है कि शराब पीकर कानून बनाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्टेचुटरी पॉवर्स का उपयोग किया जाता है। उसको किसलिए दी है ? जहां एब्सोल्यूट पॉवर्स कमिश्नर को दी गई वहां पर कमिश्नर से नहीं करवायेंगे। खुद मिनिस्टर ने उस पर साइन कर दिये और साइन करने के बाद में कमिश्नर को वह मानना पड़ा। कमिश्नर को जब स्टेचुटरी पॉवर्स हैं, उस फाइल को आज तक नहीं दिखाते, कमिश्नर के नाम से आप ज्यादतियां करते हैं। इस तरह से कमिश्नर को आप बनाना चाहते हैं। सारी ताकतें उसके नाम पर ले लेते हैं और जो कमिश्नर हैं उनसे एक-दो काम इस तरह के करा कर उसको व्हाइट डोग की तरह से सारी बिजनेस कॉम्युनिटी की तरफ छोड़ना चाहते हो, उसको हिड़काये कुत्ते की तरह से करना चाहते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : सभापति महोदय, ये कन्टेम्पचुअस वर्ड्स हैं और....

श्रीमती सभानेत्री : आप "कुत्ता" शब्द का इस्तेमाल न करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो रीजन्स चलें, जो रीजन्स से स्टेण्ड करके टैक्स को करे तो वे रीजन्स वाले किसी कोर्ट से नहीं घबरायेंगे। जो सही प्रसेस करेगा उसको डर क्या है? लेकिन इस तरह की ताकतें लेकर कार्यवाही की जाती है तो मैं कह सकता हूं कि आपको उस चीज से प्यार नहीं है तो बेलगाम कर दिया गया है, यह भी गलत है क्या? अब मैं एन्टरटेमेन्ट टैक्स की बात करूंगा। मैं कहूंगा कि इन्होंने सेल्स टैक्स की छूट रखी है। जो ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन्स का स्टेटमेन्ट है उसमें सरकार ने कहा है कि यह हम छोड़ना चाहते हैं। एक्साइज ड्यूटी ओन इलेक्ट्रिसिटी और यह किन पर छोड़ना चाहेंगे स्ट्रीट लाइटनिंग यानी म्युनिसिपेलिटी पर। लेकिन कानून में वहां पर इन्डस्ट्रीज भी लिखा है, और चीजें लिखी हैं। आप बड़े बड़े आदमियों को एक्साइज से छूट देना चाहते हैं जहां अमेन्डमेंट किया है वहां पर आप क्या करना चाहते हैं? आपने स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में साफ नहीं बताया है और न साफ बताना चाहते हैं कि आप किन किन को यह एक्साइज ऑन इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना चाहते हैं? आप किन किन के लिए पॉवर्स लेना चाहते हैं? जो सेठ बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज चलाते हैं उन पर आप यह एक्साइज ड्यूटी छोड़ना चाहते हैं। वे बेचारे गरीब जो मिट्टी का तेल नहीं जलाते हैं और थोड़ी सी बिजली का उपयोग करते हैं उनसे आप यह ड्यूटी लेते हैं। आप देखिये, आपने किस किस में यह एक्साइज ड्यूटी छोड़ी है :

"Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may, by notification in the official gazette, reduce or remit--

(a) the electricity duty on the energy consumed-

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;"

तो आप यह अधिकार किसके लिए लेना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं? जब कानून बन गया, आपने कन्सेशन्स सबको दे दिये, उन कन्सेशन्स के बाद चहेते बेटों को किस किस चीज की जरूरत है? इन चहेतों को किसकी जरूरत है कि वे एक्साइज ड्यूटी छुड़ाये। जहां १५ पैसे और १६ पैसे यूनिट पड़ता है वहां पर आप एक्साइज ड्यूटी को माफ करने के लिए पता नहीं डी० सी० एम०, जे० के० और न जाने क्या क्या नाम हैं उनको यह छोड़ना चाहते हैं। यह हम पर इफेक्ट हो जाये, लेकिन ये इन्डस्ट्रीज वाले कौन हैं...

श्री परसराम मदेरणा : इन्डस्ट्रीज वाले कोई नहीं हैं। यह इन्डस्ट्रीज शब्द पहले ही था। जब री-ड्राफ्टिंग किया उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

इण्डस्ट्रीज लिखा है। यह कोई नया कन्सेशन देने की बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहता हूं कि इनका कोई तुक नहीं मिलता है। आपको अधिकार नहीं है ऐसा रखने का। आप कहते हैं कि यह तो हम करेंगे। क्यों करेंगे ? खुद मे अक्ल नहीं और मानते किसी की नहीं, तो फिर क्या हाल होगा ? वही होगा जो हो रहा है। जो इण्डस्ट्रीज वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजा-महाराजा है उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आती है तो उनको शेयर होल्डर बनना चाहिए। हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं विकास के लिए और यह नहीं है कि उस विकास के लिए हम दें और बड़े बड़े लोगों को छूट देने के लिए कानून में गलियां रखें। अब मैं आपको मिसाल देता हूं एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की। आपने दो मर्तबा एडवर्टाइज़मेन्ट लगाया। हम से पास करवाया और पास करवाने के बाद वे कौनसी ताकतें थीं जो आपको सर-वाइव कर गईं और जो आपने थूका था उसको चटवाया और कहा कि हम नहीं लगवाना चाहते है। जो कानून हम पास करें और पास करने के बाद में आप कहें कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो; एक मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा आपने सीट्स के ऊपर लगाया, ये कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने सीट से उठवा लिया ? आज एन्टरटेनमेन्ट टैक्स गरीबों पर लगाया। टिकट पर लगाया। हमसे तो यह डिक्लेयर किया है कि हम ३५ पर्सेन्ट लगायेंगे, २५ पर्सेन्ट लगायेंगे लेकिन छूट आप दे रहे हैं ७० पर्सेन्ट की। यह एक नोटिफिकेशन से चाहे जब उड़ाते रहेंगे। जो आज आपने कानून रखा है उसकी माफिक क्यों नहीं बढ़ते। आप मर गए, हम मर गए या रोजे घट गए। आप कुछ कह कर कुछ टैक्सेज़ दिखाना चाहते हैं, उसके बाद में आप हमसे डिस्क्रीशनरी पॉवर्स ७० पर्सेन्ट तक ले रहे हैं। हम आपको गुडफेथ में दे दें, उसके बाद में आप नोटिफिकेशन निकाल कर आप यहां आने की जरूरत नहीं समझें। चाहे जब लगाते रहें। यह डेमोक्रेटिक बात नहीं है। आप जब भी डिस्क्रीशनरी पॉवर्स को काम में लाये हैं तब तब सारी जनता को शुबहा पैदा हो रहा है। जो चंगुल भर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जिनके पास पैसा है वे थोड़े से लोग अपनी बात समझा सकते हैं इस गवर्नमेन्ट को। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि वे रोटी खाते वक्त समझा सकते हैं, खेलते वक्त समझा सकते हैं, सिनेमा दिखा कर समझा सकते हैं, लेकिन हम गरीब कहां जाये ? हमारे लिए, हमारी जनता और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बड़े बड़े घरों के दरवाजे बन्द हैं। आज जनता के लिए यही जगह है कि हम आपको यहां समझायें और हम कहेंगे कि आपने जो टैक्स लगाया वह इन्सर्ट कीजिए। यह जनरल तरीके की ताकत हम नहीं देना चाहते हैं। हमारे दिमाग साफ होने चाहिए कि आप क्या लाना चाहते हैं ?

अब मैं एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में मेरी यह मान्यता है कि इस सिनेमा के जरिये वह कौन सी ताकत थी, वह कौन सी हकीकत थी जिससे इस 'हकीकत' के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ऊपर सैल्स टैक्स (एन्टरटेनमेंट टैक्स) माफ किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि आनन्द-सिंह कछावा जो इसके अन्दर हैं उन्होंने कहा, इससे ६ लाख का प्रोसीडिंग्स का टैक्स आने वाला है। एक दिन गये, भाग के गये अज-मेर और एक दिन में उसके अन्दर टैक्स फ्री कर दिया। मैं टैक्स फ्री के खिलाफ और पक्ष की बात नहीं करता। इधर चल रही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि फिल्म इस कानून के मुताबिक नहीं है। कानून तो कानून के मुताबिक है। यह फर्माया कि इसकी ३ रीलें ३५ एम० एम० की पब्लिक रिलेशन्स को दे दीं; it is a practice. इस मोरल पर आप चलना चाहते हैं? हम कभी भी इस छोटी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सौदेबाजी करने के अधिकारी इस कानून के अन्दर नहीं रखे हैं कि ३५ एम० एम० की फिल्में हमें दे दीं और हम प्रचार करेंगे और हम टैक्स फ्री करते हैं। अगर टैक्स फ्री करते है तो वह मैरिट पर होना चाहिए। मैरिट की बात इसमें नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैंने दावे के साथ कहा था कि कोई देखने चले मेरे साथ, मैं उसको पैसा दे दूंगा वगैर एन्टरटेनमेंट टैक्स के दे दूंगा और जाकर फिल्म को देखें। मेरे पास नसीराबाद के दो गवाह बैठे हुए थे। उन्होंने इस फिल्म को देखते हुए गालियां दीं कि मरवा दिया इन कायरों ने, उनकी बीवियों के चेहरों को देखिये, उनके एरोटिक फेसेज दिखाये गये हैं। वगैर सामान के भागे आ रहे थे। जो चित्रण किया है वह चित्रण इस तरह का है कि जो मिलिट्री में जाना चाहते है वे जाने के लिए कोई सोच नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस फिल्म को यह कंसेशन कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं मेम्बरों से कहना चाहता हूं कि आप जाकर देखिये और फिर समझने की कोशिश करिये। एन्टरटेनमेंट टैक्स के अन्दर वह कौन सा राइट है, कौन सी ताकत है कि एक आदमी जाकर देखे और कह दे कि एन्टरटेनमेंट टैक्स से फ्री कर दिया। कौन सा मैरिट है? कौन सी हमारी खराब बात इसमें नहीं दिखाई है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर कहा जाय कि हमारे देश के नौजवान देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): मैं, सभापति महोदया, इस फिल्म को कल इसी कारण से देखने गया था। मैं समझता हूं कि अगर मैरिट पर एक्ज़ेम्प्शन दिया गया है तो वह गलत है; it does not deserve exemption at all.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: I shall make it more mysterious. It is an All-India conspiracy, under which some groups are working with political motives.

१५ लाख पंजाब ने दिया बनाने के लिए। उसके बाद सारे राजस्थान को छांटा गया इस बात का प्रचार करने के लिए कि इस फिल्म पर टैक्स छोड़ दें और सारे हिन्दुस्तान में इसके बहाने से छोड़ दें। और कोई वित्त मन्त्री ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी एक कलम से ऐसा कर दे। इतना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फॉरवर्ड कोई मिनिस्टर नहीं है। इसलिए यह पहली मिसाल होनी चाहिए कि इतने लाख एन्टरटेनमेंट टॅक्स के छोड़े हुए हैं और हिम्मत से छोड़ यह कह कर कि इतने बच्चे देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसके अन्दर उनको जोश बढ़ेगा, मैंने देखा है और यह देखा है। यह बात कह दी कि आपके बच्चे देखेंगे मैं यह कहना चाहता हूं कि वह सचमुच सीन खींच आया है जो लड़ाई के वक्त हाल हुआ है। उस जलालत की याद दिलाई गई है जिसको कि कोई सिपाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि हम चाहे अंग्रेजों की तरफ से लड़ें, लेकिन हमने पीठ नहीं दिखाई थी। लेकिन एक मौका आया कि एक दरिन्दे ने अचानक हम पर हमला कर दिया और जो हालत हुई चीन के सामने उसका चित्र दिखाया है, हमारी हार का चित्र दिखाया है। जिस बात को याद नहीं करना चाहिए उसका इसमें प्रदर्शन करके हमको कायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं कन्डेम करता हूं इस पिक्चर के मामले को।

दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि एक प्रकाशचन्द्र, आर्टिस्ट को कलेक्टर ने कह कर एक्जीबिशन लगवाई कि तुम्हारी आर्ट की जो चीजें हैं उनका प्रदर्शन करो। वह खुद ने लगवाई और उसके लगाने से जो आमदनी हुई है उसको कलेक्टर ने खुद ने डिफेन्स फण्ड में दे दी। उसके घर से १२०) रु० का एन्टरटेनमेंट टॅक्स वसूल किया गया है उस गरीब से जिसने कि प्रदर्शनी की, कलेक्टर ने पैसा इकट्ठा करके डिफेन्स फण्ड में दिया। उससे आप १२०) रु० ले सकते हैं, लेकिन यह एन्टरटेनमेंट टॅक्स छोड़ सकते हैं जो कि ३ लाख का है। उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते जिसने कि लड़ाई जब चल रही थी तब ५००) रु० इकट्ठा करके दिया था। कलेक्टर से इस बारे में पूछा जाय, उसके बाद कुर्की निकाल कर उससे १२०) रु० वसूल करें। यह चीज है। एक दिन जहां यह कहा गया कि देखिये, तो कहा कि हम एक दिन नहीं जायेंगे, लेकिन इसके लिए जाकर वहां पर देख कर अपने अड़मचियों-भड़मचियों के साथ वहां देख सकते हैं और यह तय कर देते हैं कि इसको टॅक्स से मुक्त किया गया है। कोई समझदार लोगों का बोर्ड बनाइये जो देखे कि यह बच्चों के हित में है और जो सही तौर से रिकमण्ड करे। आप जो हैं राइट्स एण्ड डिस्क्रशन को इनडिस्क्रीशनरी बनाना चाहते हैं। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज उन लोगों की आंखें आपको भर भर कर देख रही है। आपके करम उन लोगों की निगाह में आपको ऊंचा उठाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के सिद्धान्त अच्छे हैं, उसका प्रोग्राम अच्छा है, उसकी पॉलिसी अच्छी है, उस पर चलना चाहिए। आपको ईमानदार दुनिया आपके ईमानदारी के हमलों से समझे, ऐसा आपको करना है तो आप उन लोगों का बोर्ड बनायें जिसमें इस काम को समझने वाले लोग हों। आपने देखा कि उस रोज बड़ी पुअर पर्फोर्मेन्स थी कि यह अपोजिशन दब गया जिस रोज कि विनियोग विधेयक पास किया गया और जिस दिन जवाब दिया गया।

इस एनोमोली पर कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल सका। वे एरिथमेटिक

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

नहीं समझ सके कि १७ पर्सेन्ट कितना होता है तो जिनकी प्रतिभा का, जिनकी बुद्धिमत्ता का नमूना तो उस दिन सामने आ गया, वे क्या जज करेंगे कि एन्टरटेनमेंट टॅक्स किस पर छोड़ना चाहिए। वह इसके लायक है कि उसमें लिटरेरी व कल्चरल बात भी है और वह हमारे मकसद को और हमारी देश भक्ति को जिसकी हमें जरूरत है इस एमर्जेन्सी में उसको बढ़ावा दे सकेगा। वह दे सकेगी क्या "हकीकत" फिल्म जिसको कि एन्टरटेनमेंट टॅक्स से मुक्त किया है। जो दो एक बातों की छूट इस कानून के जरिये देना चाहते हैं वह दे सकेगा क्या? एनटरटेनमेंट टॅक्स से किसी को मुक्ति देने का सवाल नहीं। इस बिल में जो है वह हिस्ट्री के अन्दर बात जायेगी कि इसके लिए कोई बिल नहीं लाया, मद्रास नहीं लाया। अगर लाये हों तो सही बात यह है कि इसके साथ कॉपी लगा कर भेजें कि सारे हिन्दुस्तान में यह हो रहा है। सारे हिन्दुस्तान के कानूनों, यदि एकता की जाती है तो हमारी समझ में आयेगा। आप जो हैं हमें बतलाइये कि जितने भी प्रॉविन्सेज हैं उनमें जो कांग्रेस की हुकूमतें हैं वे यह कर रही हैं, यह पार्टी पॉलिसी का सवाल है, तो हम भी उसको पास करेंगे, लेकिन जो आप पहल करेंगे, आप जो अनाचारी कदम बच्चों की छाती पर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जनता के ऊपर से ऐसे कदमों को उठायें और रीज़नेबली डेमोक्रेसी में इज्जत से जी सकें। हम पर कानून से राज्य किया जा रहा है इस तरह की हमारी धारणा न बन सके, इस लायक इस कानून को बनायें। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गौर करे, पार्टी गौर करे और सब लोग गौर करेंगे इस बात को।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अभी मेरे से पूर्व नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य और मावली से आने वाले माननीय सदस्य सभी इस बिल के प्रावधानों पर काफी अपने विचार जाहिर कर चुके हैं।

सभापति महोदया, इस बिल के संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह बिल जिस शक्ल में इस सदन के सामने आया है यदि उसी शक्ल में इसको हम पारित कर दें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के व्यापारियों पर सन् ६४ में तो वित्त मन्त्रीजी ने सिर्फ स्वोर्ड ऑफ डेमोस्क्लीज लटकाई, थी लेकिन सन् ६५ में जो बिल आप लाये हैं उससे उस स्वोर्ड ऑफ डेमोस्क्लीज को सारे व्यापारियों के सिर को छूने वाली बना रहे हैं और यदि यह बिल पास हो जाता है तो इस बिल में कोई धारा ऐसी नहीं होगी जिसके द्वारा उस स्वोर्ड ऑफ डेमास्क्लीज में उन व्यापारियों के सिर काट डाले जायं। यह सिर्फ व्यापारियों पर ही हमला नहीं है, बल्कि व्यापारियों से भी ज्यादा राजस्थान की जुडिशियरी पर हमला है, राजस्थान हाई कोर्ट पर हमला है और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर कुठाराघात किया गया है। इस बिल की सारी भावना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह कहने में है कि राजस्थान में टैक्स रियेलाइजेशन का जो प्रश्न है उसमें जुडिशियरी का इन्टरप्रिटेशन नही हो, उसका कोई मुआयना नहीं हो, जुडिशियरी को ताक पर रख दिया जाय और उसकी कोई इज्जत नहीं की जाय: इस बिल में राजस्थान सरकार कहना चाहती है कि राजस्थान हाई कोर्ट में और राजस्थान के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और सिविल कोर्ट्स में और अदालतों में उसका कोई भरोसा बाकी नहीं रह गया है। सरकार यदि किसी में भरोसा कर सकती है तो सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर है जिस पर भरोसा किया जाय और उसी को सारे अधिकार दिये जायं। कोई मामला चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड में हो, कोई निगरानी चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो लेकिन राजस्थान सरकार कहना चाहती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निगरानी में कोई आदेश स्टे का जारी नहीं कर सकता। कोई आदेश नीचे की अदालत ने जारी किया है तो उस आदेश को थोड़ी देर के लिये स्थगित करने का आदेश नहीं दे सकता। एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि हाई कोर्ट के सामने रेफरेन्स के लिये जायगा तो मामला हाई कोर्ट के सामने जायगा रेफरेन्स के लिये लेकिन हाई कोर्ट यह नहीं कर सकता कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करे तब तब टैक्स वसूल नहीं कर सकते। टैक्स की वसूली पहले होगी। यदि कोई टैक्स की वसूली रोक सकता है तो कमिश्नर टैक्सेशन रोक सकेगा और इस आशय का आदेश दे सकेगा।

मैं, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को सरकार प्रतिपादित करना चाहती है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रूल ऑफ लॉ को बलाये ताक पर रख दिया है या सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि रूल आफ लॉ को नहीं चलने दिया जायगा? एग्ज़ीक्यूटिव और गवर्नमेंट सरवेंन्ट्स उनके कन्ट्रोल में हैं उन पर पाबन्दी लगाने के अलावा दूसरा सस्ता साधन कोई नहीं होगा। उनके अदेश से राजस्थान के सारे व्यापारियों का फैसला किया जायगा, यह क्या राजस्थान सरकार फैसला कर चुकी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत खतरनाक सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है। यदि इसको नहीं रोका गया, समय रहते पुर्नविचार नहीं किया, वापिस विद्ड्राँ नहीं किया तो राजस्थान में डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी, राजस्थान का व्यापार और उद्योग चौपट हो जायगा और राजस्थान के उद्योग में क्रान्ति लाने का स्वप्न लेना चाहते हैं वे सारे स्वप्न खत्म हो जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर राजस्थान सरकार 'व्यापार' की परिभाषा देना चाहती है। जैसा कि नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने कहा 'व्यापार' की परिभाषा दे रहे हैं कि व्यापार क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं 'व्यापार' की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई फैसलों में की है और उस परिभाषा को दूसरे प्रान्तों की सारी सरकारें मानती हैं लेकिन राजस्थान ने, १५ प्रान्तों में से एक प्रान्त ने की व्यापार की परिभाषा एडॉप्ट कर ली जाय तो राजस्थान सरकार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

भद्दी नकल करने को तैयार हैं। पता नहीं कहां से नकल कर ली ? किसी प्रांत ने बिजनेस की परिभाषा नहीं दी है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में बिक्री कर लिया जाता है और बिक्री कर उस पर लिया जायगा जो बिक्री की तारीफ में आता है, बिक्री की तारीफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो भारत सरकार ने पास किया है उसमें दी है कि बिक्री किसको समझा जायगा, जो उसमें दिया है उसको समझ कर उस पर बिक्री कर लिया जायगा। लेकिन आपको उसमें सन्तोष नहीं है। सन्तोष क्यों नहीं है ? क्योंकि आपकी; और आपके अधिकारियों की बुरी नीयत है इसलिये कि आप चाहते हैं कि राजस्थान की स्कूलें किताबें मगा कर बेचती हैं, अपने विद्यार्थियों को देती हैं तो आप चाहते हैं कि स्कूलों को बिजनेस माना जाय, वे डीलर बनें और आपकी व्यापार की परिभाषा में आवें। सहकारी समितियां जिन पर पाबन्दी है कि वे अपने मेम्बर से डीलिंग करें, बेचें; आज वे आपकी सेल्स टैक्स की परिभाषा में और व्यापार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। वित्त मन्त्रीजी चाहते हैं कि ऐसी सहकारी समितियां जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उनको भी उनकी सीमा में लाया जाय। आज क्लब्स जितने हैं, टेम्पल्स, मंदिर, मसजिदें उनकी परिभाषा में नहीं आते; लेकिन आज आप क्या करना चाहते हैं ? आज आप उनको बताना चाहते हैं कि बिजनेस के अन्दर कोई भी एडवेन्चर और कोई भी चीज़ चाहे, बिजनेस उसमें हो न हो, बिजनेस की नेचर हो न हो, लेकिन कोई भी कन्सर्न है उसको बिजनेस समझा जायगा। नतीजा क्या होगा ? मेरे पास जजमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। इस गवर्नमेंट ने सोफिया स्कूल को नोटिस दिया कि आप अपने बच्चों को किताबें बेचते हैं इसलिये आपको डीलर बनना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसला दिया कि सोफिया स्कूल एकेडेमिक इन्स्टीट्युशन है, उसका धंधा व्यापार करना नहीं है, पुस्तकें बच्चों को मंगा कर देती है, तो अपने एकेडेमिक ओब्जेक्ट को पूरा करने के लिये देती है, इसलिये उन्होंने होल्ड किया कि सोफिया स्कूल से कोई सेल्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। लेकिन आपने परिभाषा में क्या परिवर्तन किया ? यह परिवर्तन किया कि सोफिया स्कूल हो या युनिवर्सिटी हो, राजस्थान में क्लब्स, मंदिर, मसजिद जितने भी हैं जिनका एडवान्चर और नेचर व्यापार हित का हो, न हो; लेकिन आप उनको अपनी परिभाषा में लाना चाहते हैं इसलिये आपने यह बिजनेस परिभाषा बढाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिभाषा आपने बढ़ाई है वह गलत बढ़ाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देता हूं जो सेल्स टैक्स के बारे में ए. आई. आर. ६४, पेज ६४७ पर रिपोर्ट किया है; उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओब्जर्वेशन किया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस प्रकार है :

"Business though extensively used is a word of indefinite import in taxing statutes. It is used in the sense of occupation or profession, which occupies the time attention and labour of persons, normally with the object of making proftit. To call an activity as business there must be course of dealing

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

either actually continued or contemplated to be contiuned with the profit motive."

एक परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी सभापति महोदया, लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया कि सेल क्या होगी, बिक्री क्या होगी, उसकी परिभाषा करना विधान सभा के पर्व्यू में नहीं आता। उसने जो जजमेंट दिया उसका रेफरेंस देना चाहता हूं। १ जनवरी, ६५ सेल्स टैक्स केसेज पेज ३८ पर जो दिया है उसमें से केवल तीन लाइनें पढ़ना चाहूंगा, जिसमें कहा है:

"The provisions will be ultra vires of the State Legislature, a power to enact a law with respect to tax on the sale of goods under entry 54, must be intra vires. (b) one relating in effect to sale of goods and accordingly the State legislature cannot in the purporting exercise of its powers to tax sales, tax transactions which are not sales by merely enacting that they shall be deemed to be sale."

यह विधान सभा यह कहने की अधिकारी नहीं है कि ये ये चीजें सेल्स में समझी जायेंगी। इसी तरह विधान सभा को कहने का अधिकार नहीं है कि जिसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की तहत माना जाता है, उन चीजों पर विधान सभा बिक्री कर लगा सके। इसलिए माननीय मंत्रीजी से मैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह भी मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें। सोफिया गर्ल्स स्कूल को ही क्यों छांटा गया? कोई उदयपुर का या बाबू का क्यों नहीं लिया? यह पर्सनल बिकरिंग की बात है, जिसकी वजह से असेम्बली को दिक किया जा रहा है। मैं यहां तक कहता हूं। सोफिया गर्ल्स स्कूल को ही क्यों लिया गया और कोई कहीं नहीं थे क्या चार–छः?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): और है कोई?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: इस तरह यह करवाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): यह सोफिया गर्ल्स स्कूल कहां है?

श्री मानिकचन्द सुराणा: सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर का है। हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह होल्ड किया है कि:

"Sophia school is not commercial and the object does not become commercial because it is to be achieved by the normal business means;"

और आगे हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने होल्ड किया है:

"Before any person is called upon to pay tax under the Rajasthan Sales Tax Act, it is to be established that the so-called person is a dealer as defined in clause (5) of section 2 of the Act. The word 'business' shall connote some commercial activity"

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

व्यापार का मतलब यह है कि वह कोई कॉमर्शियल एक्टीविटी को इन्डीकेट करता हो :

"Every human activity cannot be termed 'business"

प्रत्येक माननीय क्रिया को बिजनेस नहीं कहा जा सकता, for the purpose of clause (f), section 2 और बाकी की धारा २ (एफ) के नीचे प्रत्येक मानवीय क्रिया को बिजनेस की तारीफ में नहीं लिया जा सकता। इस जजमेंट के कारण, क्योंकि यह जजमेंट बहुत हाल ही में हुआ है, आपके गवर्नमेंट एडवोकेट ने कन्सीड किया है हाई कोर्ट के सामने कि सोफिया स्कूल डीलर की तारीफ में नहीं आ सकता और उस पर कोई कर आयद नहीं किया जा सकता। यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जजमेंट के अन्दर है और चूंकि उस वक्त डीलर की परिभाषा में सोफिया स्कूल नहीं आ सकता था, इसलिए मेरा चार्ज है कि इस तरह की इन्स्टीट्यूशन्स को, स्कूलों को, मंदिरों को और मस्जिदों को, और इसके साथ ही कोई एडवेंचर हो तो उसको अपने परव्यू में लेने के लिए डीलर की परिभाषा में तरमीम की है। मुझे ताज्जुब हुआ सुन कर कि राजस्थान का सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस देता है। क्या नोटिस देता है ? यह नोटिस देता है कि आप जो फॉर्म बेचते हैं, आप नौकरी के लिए फार्म बेचते हैं, इस पर आपको बिक्री कर देना होगा। ताज्जुब की बात है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ, सभापति महोदया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने जवाब भेज दिया कि हम फॉर्म नहीं बेचेंगे, हम लोगों को मुफ्त में दे देंगे। हमारे घर में कौनसा पैसा आता है कि हम हजारों फॉर्मों का रिकॉर्ड रखें और उसके लिए क्लर्क रखें और उसको बिक्री कर के छोटे से अधिकारी के पास भेजें। उन्होंने कह दिया कि हम मुफ्त में लोगों को फॉर्म देंगे, अगर पैसा जायगा तो वह सरकार का पैसा जायगा। इससे हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने कह दिया कि कोई फार्म नहीं बेचेंगे। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, पोस्ट मास्टर जनरल को राजस्थान के सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस दिया गया, क्योंकि आप स्टाम्प बेचते हैं इसलिए उन पर बिक्री कर दीजिये। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस को नोटिस दिया गया कि आप छपाई करते हैं, इस पर बिक्री कर दीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं से बिक्री कर की वसूली करने की, मैं समझता हूं, इस विधान सभा की कोई मन्शा नहीं है। इसलिए व्यापार की परिभाषा को जो आप विस्तृत बना रहे हैं इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफीनिशन बिजनेस की दे दी है उससे ही वह संतुष्ट रहे, क्योंकि इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए दूसरे प्रान्तों के कानूनों में ९० पर्सेन्ट कैसेज़ में बिजनेस की कोई डेफीनिशन नहीं दी गई है। उसके बिना भी बिक्री कर कानून चल रहे हैं और बिक्री कर की वसूली हो रही है। इसलिए मैं

Page No 103

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यापार की परिभाषा बढ़ाई है, वह आपने गलत बढ़ाई है और इसको डिलीट करने का आप खुद एक मोशन लेकर आयें।

सभापति महोदया, मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरा बहुत बड़ा हमला इस बिल के प्रावधानों के द्वारा किया जा रहा है; वह है जुडीशियरी पर....

श्री परसराम मदेरणा : एँ ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जुडीशियरी पर !

जुडीशियरी के लिए, समापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास ये दो कैसेज हैं जिन केसेज के अन्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश के बावजूद सेल्स टैक्स अधिकारियों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म को नहीं माना; और हुक्म को नहीं माना, इतना ही नहीं है बल्कि बूंदी से आने वाले जो सज्जन हैं, जो इस बिधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने बहुत दबी जवान के साथ बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने यह बहस की गई कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जिस एडवोकेट के द्वारा बहस की गई है वह किसी मामूली एडवोकेट के द्वारा नहीं की गई है बल्कि एडवोकेट जनरल ने रेवेन्यू बोर्ड के सामने एपिअर होकर बहस की कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट नहीं है। उन्होंने बहस की है आगे इसके लिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हुक्म नहीं मानना कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तारीफ में नहीं आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यदि कोर्ट नहीं है और उसके हुक्म को न मानना कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तारीफ में नहीं आता है तो फिर राजस्थान में जुडिशियरी है या नहीं—यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है। इसके साथ ही सभापति महोदया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश को इनका सेल्स टैक्स अधिकारी नहीं मानता और नहीं मानता इसलिए वह एक फैसले में लिख कर दे देता है कि वह आदेश इसलिए नहीं मानता है क्योंकि कमिश्नर का यह आदेश है कि वह आदेश नहीं मानना है क्योंकि एक केस में जो फैसला दिया गया है वह उसी केस में लागू हो सकता है और वह फैसला जनरल नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिख कर कह दिया कि हमने आदेश नहीं माना है, क्योंकि कमिश्नर ने आदेश दिया है।

मैं आपके सामने एक केस का जिक्र करने से पहले उसके नाम बताना चाहूंगा। वह केस है चांदमल वैद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस केस में जजमेंट हुआ वह अजमेर का है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वह जजमेंट दिया है। जो उन्होंने फैसले में लिखा है, जो सैल्स टैक्स अधिकारी ने केस पर लिखा है वह सुनिये:—

"The dealer has calculated his tax at the rate of 2% on the sale of gota and kinari on the basis of the Revenue Board judgement iu the case of M/s Kasidas Hiralal vs. State of Rajasthan, where it has been considered as an

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

article made of silver and gold. This is finding of the Revenue Board, but this a particular case and has no general applicability as clarified by the higher authorities of the Department, where this has no general applicability and as the authorities of this Department instruct that the commodity is taxable at the general rate, hence the commodity gota and kinari shall be taxed at the appropriate general rate."

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि नहीं, गोटा और किनारी को गोल्ड और सिल्वर के व्यापार में माना जायगा और उस पर दो पर्सेन्ट सेल्स टैक्स होगा। यह फैसला किया जाता है जो छपा हुआ है। लेकिन सेल्स टैक्स अधिकारी कहता है कि नहीं, हायर ऑथोरिटी ने कहा कि नहीं, इस पर जनरल टैक्स छः पर्सेन्ट का लगेगा क्योंकि एक केस पर जो फैसला हुआ है उसका जनरल एप्लीकेशन नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि क्या कमिश्नर का यह डाइरेक्टिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कन्टेम्प्ट नहीं है और क्या इस तरह के डाइरेक्टिव को टोलरेट किया जा सकता है? आपके अधिकारी इस तरह के डाइरेक्टिव जारी करें और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो फैसला दे उसके लिए कह दें कि इसका जनरल एप्लीकेशन नहीं होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक गोटा और किनारी के व्यापारी को प्रेस करना चाहते हैं कि वे भी अपील करें और प्रत्येक केस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जजमेंट करायें? यह कौनसा कायदा है, कौनसा रूल ऑफ लॉ है? कायदा यह है, रूल ऑफ लॉ यह है कि एक केस में जो फैसला किया जाय उसका जनरल एप्लीकेशन किया जाय अन्यथा उस फैसले का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह के जो कमिश्नर साहब के कारनामे सामने आ रहे हैं उनमें वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फ्लाउट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कन्टेम्प्ट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज़ तो चले ही लेकिन सरकार को भी, जिन अधिकारियों ने कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ स्ट्रोंग से स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए। और वह एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके भयंकर परिणाम होंगे। मंत्री महोदय आपको वे भयंकर परिणाम बताने से पहले मैं एक क्लासिकल केस बताना चाहता हूं जो बहुत ही क्लासिकल केस है इस विषय में शुरू से आखिर तक। एक सेल्फ टैक्स अधिकारी जो हैं उनके द्वारा शुरू से आखिर तक एक केस के अन्दर बराबर फ्लाउट किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को। इस केस का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं यह एक गणेशलाल गेंदालाल कोटा का केस है। सभापति महोदया, इस केस के सम्बन्ध में मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि ९-३-६४ को डिप्टी कमिश्नर ने यह ऑर्डर दिया, डिप्टी कमिश्नर परमानन्द उपायुक्त आबकारी और कर, जयपुर ने ऑर्डर दिया, सेल्स टैक्स ऑफिसर कोटा को ऑर्डर दिया गया, सभापति महोदया, कि अपील श्रवण के बिना कर की वसूली करना अनुचित प्रतीत होता है, अतः अपील बिना कर जमा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कराये अमल दर्ज की जावे। मामला यह हुआ कि आपके डिप्टी कमिश्नर ने बिना टैक्स जमा कराये हुए अपील को एन्टरटेन कर लिया और इसका नतीजा क्या हुआ; इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि कोई वसूली रोक दी गई हो बल्कि आपके सेल्स टैक्स अधिकारी ने तारीख १२ को जब उनके सामने ये सारे कागजात गये, डिप्टी कमिश्नर का हुक्म गया तो वह क्या लिखते हैं कि यह जो आर्डर आया है, इसको मैं स्टे ऑर्डर ट्रीट नहीं करता हूं। वह यह कह रहे हैं जब कि डिप्टी कमिश्नर का आदेश है कि बिना कर जमा कराये अपील सुन ली जाय। वह यह आदेश देता है, लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर अपनी रिकवरी चालू रखता है। १२ मार्च को उन्होंने लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता। इतना ही नहीं बल्कि यह लिखा जो आप सुनिये। आपके अधिकारी लिखते हैं :

"Section 13 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954: To enter an appeal without payment of the amount of tax or of proof of payment of smaller amount, does not amount to or imply any stay of the recovery of the due tax and any part thereof. Under the circumstances, the recovery proceedings cannot be stayed.

(४. म. प,)

१६ मार्च, ६४ को आपके सेल्स टैक्स अधिकारी ने यह रिकवरी स्टोप नहीं की और इसका कारण क्या है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने कि ६ जुलाई, ६४ को आपके कमिश्नर ने ओर्डर जारी किया कि कोई भी आदेश डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किये जावें रिकवरी स्टोप आदि के, उसकी इत्तला सेल्स टैक्स अधिकारी को दे दी जावे। यह आदेश आपके कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को दिये। लेकिन इस ऑर्डर को ६ नवम्बर को विद्ड्रा कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस कमिश्नर ने ६ जुलाई, ६४ को डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिये कि जो सेल्स टैक्स के सम्बन्धी करों को रोकने के बारे में आदेश दिये जावें उसकी इत्तला सेल्स टैक्स अधिकारियों को दे दी जाये ताकि वहां रिकवरी रोक दी जावेगी, उस ऑर्डर को किस कानून के प्रावधान के आदेश के अनुसार विद्ड्रॉ किया ? मेरे पास आपके सर्क्यूलर्स हैं, उनकी कोपीज़ मैं आपको दूंगा। आप अन्दाजा लगाइये, मेरे पास सारी फाइल है, वह मैं आपको दे दूंगा। इस आदेश के बाद दुबारा डिप्टी कमिश्नर को एप्रोच किया और उनसे कहा गया कि आपके आदेशों को सेल्स टैक्स ऑफिसर मानते नहीं तो फिर डिप्टी कमिश्नर ने लिखा कि आपने हमारे आदेश को नहीं माना, बड़े शर्म की बात है आपके आदेशों को फ्लाउट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का लिख कर भेजा और यह लिख कर भेजा कि आपने हमारे आदेशों के बावजूद कुड़कियां कर दी हैं उनको रिलीज़ कर दिया जावे। सिक्योरिटी ले लीजिये; उन्होंने इस पर भी नहीं सुना और कहा कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेता। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया कि सिक्योरिटी या बैंक गारन्टी पर माल छोड़ दिया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जावे। फिर भी आपके सेल्स टैक्स अधिकारी ने माल नहीं छोडा और कलेक्टर को चिट्ठी लिख दी कि इसकी पी. डी. आर. में रिकवरी की जावे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिप्टी कमिश्नर ने तीन बार लिखा सेल्स टैक्स अधिकारी को और तीन बार ही आपके सेल्स टैक्स अधिकारी ने उसके आदेशों को नहीं माना, उनके आदेशों को फ्लाउट किया और करता रहा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं जो आपके रूल्स, लॉ के खिलाफ चल रहे हैं, आपके आदेशों को उसको मानना चाहिये और लॉ की स्पिरिट को मानना चाहिये। जब वह बराबर डिप्टी कमिश्नर के लिखने को नहीं मानता और उसके आदेशों को फ्लाउट करता है और अपनी मनमानी करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपको रूल ऑफ लॉ को लाना चलाना है तो फौरन छुट्टी दे दीजिये। उसका फौरन डिसमिसल कर दिया जाए। मैं तो यह कहूंगा कि आप को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जो आपके आदेशों का पालन नहीं करता है डिसमिस कर दिया जाए। अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसादजी ने बताया कि सांभर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने अधिकारी को लिखा कि टू योर सेटिस्फेक्शन सिक्योरिटी ले लीजिये और एक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करता है; उसमें सेल्स टैक्स ऑफिसर एतराज करता है और उसके एतराज की पूर्ति की उसके बाद भी...

श्री परसराम मदेरणा : एतराज की पूर्ति नहीं की और इस पोइन्ट पर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे कागजात मंगा कर देख लीजिये। उनके बाद अजमेर के एक रिलेटिव की सिक्योरिटी वहां के मजिस्ट्रेट से तस्दीक करा कर दी। मगर वह भी नहीं ली। हाई कोर्ट यह कहती है कि फलां तारीख तक सिक्योरिटी दे तो ले लीजिये। तो किस तरह की सिक्योरिटी आप नामंजूर करें। आप उनके रिश्तेदारों की सिक्योरिटी न लें। आप एतराज करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं; तो भी नहीं लें। हाई कोर्ट के फैसले की स्पिरिट को आप...

श्री परसराम मदेरणा : हाई कोर्ट का फैसला इस पॉइन्ट पर हो गया है। एतराज हुआ था और वह सेटिस्फाइ नहीं हुआ और उसको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिये। हाई कोर्ट ने रिजेक्शन को सही माना।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आपने कोई इसके लिये फॉर्म प्रेस्काइब किया है क्या कि वह इस फॉर्म में होगा?

श्री परसराम मदेरणा : मैं रिलेवेन्ट पोइन्ट पर कह रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पोइन्ट यह नहीं है। यह कानून की जगह नहीं है, यह मनुष्यता की जगह है। आपकी आत्मा बोलती है, मेरी आत्मा बोलती है। मैं सेटिसफाई हूं, आप सेटिसफाई होते है। कानून तो किसी की गर्दन काटता है। मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह कहूंगा कि जिस आदमी की चार दफा सिक्योरिटी देने पर भी नहीं ली। ठीक है हाई कोर्ट ने, आप कहते है कि उसके रिजेक्शन को सही माना, लेकिन उस प्रकार की अवहेलना से आप जज नहीं करते कि उसका मकसद क्या था और फिर आप उसको प्रोटेक्शन देते है और उसको एप्रीशियेट करते हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : एप्रीशियेट क्या करता हूं। मैं इस बात का जवाब दे रहा था कि एतराज पर जो बातें हो रही है कि सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता। वह एतराज ठीक था। जो एक्सट्रा मेटीरियल आपके पास हों कहें। इसके बारे में जो बातें कहने की है कल कहूंगा। यह बात थी जिसकी इन्फोर्मेशन देना जरूरी था। दे रहा हूं।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** : आपकी इन्फोर्मेशन के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टालमटोल किया गया सिक्योरिटी के लिए, सरकार यह कह दे या कोई दूसरा अधिकारी यह कह दे कि सिक्योरिटी को इस प्रकार टाली गई वह सही टाली गई...

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : जो सिक्योरिटी थी, हाई कोर्ट ने कहा कि उसी फोर्म में देनी चाहियें। उसको एडवोकेट जनरल ने फोर्म बनाया और उस पर सिग्नेचर किये और उसको सिक्योरिटी आफिसर के पास की। क्या आप बता सकते हैं कि आपने उसको मंजूर कर लिया ? आज हाई कोर्ट का समय खत्म हो गया और फिर भी रिकवरी की गई...

श्री **परसराम मदेरणा** : आप मुझे यह पूछते है कि बता दीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सेल्स टैक्स का केस हाई कोर्ट में होने वाला है उसके बारे में मैं एक दम आपको क्या बता दूंगा। मैं कैसे बता सकता हूं। मैं उसकी जांच करूंगा कि आया वह सही है या नहीं। आप पर्टीकुलर प्रश्न पूछते है। आप ही बताइये कि यह क्या संभव है ?

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : आप यह जानकारी कर लीजिये कि सिक्योरिटी एक्सेप्ट हुई या नहीं ?

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : खेर, इस सांभर लेक के केस में तो आप जानकारी करें, मुझे भी बाद में जो फेक्ट्स मालूम होंगे, मैं निवेदन करूंगा लेकिन मैं इस कोटा के केस को रखता हूं। गणेशलाल गेंदालाल का कोटा का केस है, इसमें श्री परमानन्द, डिप्टी कमिश्नर एक्साईज एण्ड टैक्सेशन के जजमेंट का हवाला दे रहा हूं, ११-८-६४ को यह लिखा सेल्स टैक्स अधिकारी को कि :

"I fail to understand the difficulty in implementing the directions of the appellate authority and releasing the goods on surety bond particular when the surety is a registered dealer and stand full responsibility for any loss or eventuality that might arise in such release of the goods to the appellant.

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

The learned Sales-Tax officer may, therefore, be requested again to avoi such unnecessary delay and respectd the spirit of the order of the undersigned. It is in no way desirable to cause delay and harassment to the party.

Order announced.

Sd. Parmanand
Dy. Commlssioner E. &. T."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के पहले तीन-चार इन्हीं डिप्टी कमिश्नर साहब ने सेल्स टैक्स अधिकारी को ऑर्डर दिये, पर उसने इनके ऑर्डर्स की अवहेलना की, रिफ्यूट किया और बावजूद इस ऑर्डर के तहसीलदार को, कलेक्टर को भेज दिया कि रिकवरी की जाय। मैं कहता हूं कि क्या फायदा है डिप्टी कमिश्नर के यहां अपील रखने का, जब कि सेल्स टैक्स ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को नहीं माना। कितना खर्चा लिटिगेशन में व्यापारी का हुआ होगा और डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के बावजूद कुड़कियां करवाई गई, इससे जनता के दिलों में, व्यापारियों के दिलों में राजस्थान सरकार के प्रति कौनसी रेस्पेक्ट पैदा हुई होगी ?

मैं निवेदन करूंगा कि यह कन्टेम्प्ट की प्रवृति सेल्स टैक्स ऑफिसर और छोटे छोटे अधिकारी के दिल में पैदा हो रही है क्योंकि आज सरकार भी हाई कोर्ट की रेस्पेक्ट नहीं करती, इसलिये नीचे के अधिकारियों में यह प्रवृत्ति पैदा हो रही है। यही प्रवृत्ति राजस्थान के अन्दर और दूसरे प्रान्तों में पैदा हुई, जिससे कि जुडीशियरी की रेस्पेक्ट कम हुई तो मैं कहूंगा कि जनतन्त्र हिन्दुस्तान में बिल्कुल समाप्त हो जायगा। यह कानून बनाने का ढांचा सिर्फ मन्त्रियों के लिये ही नहीं, राजनीतिज्ञों के लिये ही नहीं, अफसरों और अधिकारियों के लिये ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों के लिये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारियों के लिये भी है। कानून ने सरकार को और अधिकारियों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी अधिकार दिये हैं कि वे अपील करें कानून ने यह भी अधिकार दिया है अपीलेंट ऑथोरिटी को कि यदि अपीलेंट ओथोरिटी चाहती है तो टैक्स की रिकवरी को रोक दे। इस प्रकार अपीलेंट ओथेरिटी द्वारा टैक्स की रिकवरी को रोकने के आदेश देने के बावबूद भी रिकवरी को नहीं रोका जाय, उसके ऑर्डर की इस प्रकार अवहेलना की जाय और जुडीशियरी के ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूटिव ने इस प्रकार नहीं माना तो हिन्दुस्तान में क्या हालत पैदा होगी, इसका अन्दाज लगाइये, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, १९५६ पेज ८२३ में दिया है :

"There is a big difference between Investing a judicial authority with such powers and other non-judicial bodies because judges must act in accordance with a recognised procedure and obey the laws of natural justice unless there is express indication to the contrary in the statute."

मतलब यह है कि विधान के अन्दर, कानून के अन्दर जिस अधिकारियों को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अधिकार देते हैं उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे कानून के अनुसार काम करेंगे जब तक कि उन्हें यह नहीं कह दिया जाय कि आप कानून के बिना भी काम करें। इसके आगे और भी कहा है :

"I am clear that the constitution is not for the exclusive benefit of the Government and States..."

यह संविधान कानून राज्य के लिये ही नहीं, राज्य के अधिकारियों के लिये ही नहीं है, it is not only for lawyers and politicians and officials and those highly placed, it also exists for the common man, for the poor and the humble, for those who have business at stake for the butcher, the baker and the cadlesstick maker. It lays down for this land a rule of law as understood in the free democracies of the world. It constitutes India into a Sovereign Democratic Republic and guarantees in every page rights and freedom to the individual side by side and consistent with the overriding power of the State to act for the common good of all.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्वाज़ी–जुडीशियल बोडीज़ को यह समझना है, सेल्स टैक्स ऑफिसर क्वाज़ी जुडीशियल ऑफिसर हैं, इनको भी यह समझना है कि विधान ने, कानून ने व्यापारियों को, व्यक्तियों को अधिकार दिये हैं और दोनों के अधिकारों की रक्षा करना उन लोगों का काम है। पर सेल्स टैक्स ऑफिसर यह काम बिलकुल नहीं कर रहे हैं। इसलिये सभापति महोदया, जहां तक क्वाज़ी–जुडीशियल अफसरों के द्वारा जुडीशियरी के हुक्मों को रिफ्यूट करने का सवाल है, मैंने वे कुछ टैस्ट केसेज़ रखे हैं, इन टैस्ट केसेज़ को मन्त्रीजी देखेंगे तो पता चल जायगा कि किस तरह से फंक्शनिंग हो रहा है, रेवेन्यू बोर्ड ऊपर बैठा है, हाई कोर्ट ऊपर बैठा है, स्टे हो सकती है, तब भी आपके अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं, इतना ऊपर का अंकुश होते हुए भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, पर आप तो यह कानून बना रहे हैं कि हाई कोर्ट स्टे नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिविज़न में स्टे नहीं हो सकता, सारे पॉवर्स कमिश्नर को दे रहे हैं, जिनके आदेश यह हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो जाय तो हो जाय, उसका जनरल एप्लीकेशन नहीं होगा, एक ही केस में वह लागू होगा, कोई भी पोइन्ट ऑफ लॉ उस फैसले में डिसाइड हो जाय तो उसका जनरल एप्लीकेशन नहीं हो सकता। मैं व्यक्तिगत नहीं कहता, ऐसे कमिश्नर फंक्शन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यह वृहद् अधिकार राजस्थान के लिये अच्छा भविष्य नहीं ला सकते। तो इस प्रकार के अधिकार कमिश्नर को दे रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

१५ ए. में क्या अधिकार दिये हैं, इसमें रखा है, कमिश्नर इस तरह की सिक्योरिटी लेगा जो उनकी इच्छा केई अनुसार होगी, जिसमें कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया है, अपने सन्तोष की सिक्योरिटी लेगा और ब्याज के लिये ऐसे आदेश दे देगा जो उनके

Page No 110

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

द्वारा उचित समझे जायेंगे । आपका टैक्स १० हजार का है, आपको कमिश्नर ऑर्डर दे सकता है कि इस पर ८ परसेन्ट ब्याज होगा, दूसरे केस में ऑर्डर दे सकते हैं कि १० परसेन्ट ब्याज होगा और तीसरे केस में ऑर्डर दे सकता है कि १२ परसेन्ट ब्याज होगा । क्यों नहीं कानून के द्वारा निर्धारित कर देते कि इस प्रकार के आदेश ब्याज के लिये कमिश्नर देगा, यदि किसी व्यापारी में रकम बाकी रहती है तो इतना परसेन्ट ब्याज कमिश्नर व्यापारी से वसूल करेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रावधान का मिस्यूज किया जायगा । एक मित्र कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में सरकारी अधिकारी पैसा खाते थे तो ऐसा काम करने का पैसा खाते थे, जिसको करने का उनको अधिकार नहीं पर आज हमारे अधिकारी पैसा उस बात में खाते हैं जो उनको करने का अधिकार हैं, क्योंकि उनके आर्बीट्रेरी अधिकार हैं । कमिश्नर को अधिकार दे रहे हैं कि १२ परसेन्ट ब्याज ले सकता है, यदि किसी व्यापारी को १२ हजार रुपये देना पड़े तो वह दो हजार रुपया घूंस दे कर ३ परसेन्ट ब्याज क्यों नहीं मुकर्रर करवा सकता और उस हालत में कमिश्नर को कैसे पकड़ सकते हैं कि तुमने घूंस खा ली? ३ परसेन्ट या १२ परसेन्ट जो उसकी इच्छा हो वह ब्याज लगाये, वह डिस्क्रिशन यूज करने का उनको अधिकार है । आज करप्शन के वेज बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो गये हैं, जो नये तरीके से यह करप्शन हो रहा है उस सम्बन्ध में यह सरकार सजग नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये आरबीट्रेरी पॉवर्स कमिश्नर को दिये हैं उनको खत्म किया जाय । राजस्थान के बाहर भी कोई बात करेगा कि राजस्थान ऐसे कानून पास करता है, कोई मामला हाई कोर्ट में जाय तो कमिश्नर स्टे कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता ।

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टे नहीं की है, कमिश्नर स्टे कर सकता है । आपके रेवेन्यू बोर्ड की मजाक होगी, आपके हाई कोर्ट की मजाक होगी और इन विधायकों की मजाक होगी जिन्होंने ऐसे एब्सर्ड प्रावधानों को कानून में डाला है । यदि हाई कोर्ट के जजेज की कुर्सी की इज्जत, जो आज जनता के अन्दर बनी हुई है, उस इज्जत को, जनता के दिमाग से हटाना है और उनको यदि घूम फिर कर कमिश्नर के पास आकर उसके सामने उसको भिखारी के रूप में आना पड़े इस प्रकार के प्रावधानों से तो आप इसको रखिये, वर्ना आप यदि चाहते हैं कि हाई कोर्ट के जजेज की इज्जत और जो जुडिशियरी की इज्जत है वह कायम रहे तो आप त्रिदुड़ां करिये उन पॉवर्स को जो आपने कमिश्नर को दिये हैं । आप कानून के मूल सिद्धान्त की ही अवेहलना कर रहे हैं । अपील और निगरानी क्या, सारे मामले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के सामने फैसल हुए हैं, कमिश्नर किस आधार पर फैसला करेगा ? एक कॉपी दे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, एक कॉपी दे कमिश्नर के पास; कमिश्नर अपना दिमाग बनायेगा कि इसको स्टे दूं या नहीं । हाई कोर्ट में कॉपी जावेगी और फिर आपका कमिश्नर अपना माइन्ड एप्लाई करेगा कि इस तरह दूं या नहीं । आप इन प्रावधानों के जरिये से हाई कोर्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं उनको छीन रहे हैं, यह कानून संगत नहीं कहा जा सकता । अपील का मतलब अपील से है ।

आप यह कहना चाहते हैं कि सेशन्स जज हुक्म दे सकता है फांसी का, लेकिन सेशन्स जज यह तय नहीं कर सकता कि उसकी जमानत ली जाय या नहीं । जमानत तो हमारा एस.पी. लेगा । यह एनेलोगसप्ली है जो मैं दे रहा हूं । सेशन्स जज फांसी की सजा दे सकता है, लेकिन जमानत एस०पी० लेगा । यही स्थिति जहां हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार हैं आप कहते हैं कि कमिश्नर ही अपना विचार बनायेगा और फैसला देगा, उसी प्रकार जिस प्रकार फांसी की सजा सेशन जज देगा लेकिन जमानत एस० पी० के हाथ में होगी, ले या नहीं । मेरे पास प्रमाण हैं । आपके सेल्स टैक्स अधिकारी जिनका काम टैक्स वसूल करने का है । टैक्स वसूली तो बाद में करते हैं लेकिन यदि आपके फाइनेन्स मिनिस्टर बाहर चले जांय तो वे उनकी अकोमोडेशन का इन्तजाम करते है । फाइनेन्स मिनिस्टर की या और किसी मन्त्री के लिए अकोमो-डेशन का अरेन्ज करने का काम क्लेक्टर या स्थानीय अधिकारियों का है आपके सेल्स टैक्स अधिकारी का क्या ताल्लुक है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आपके फाइनेन्स मिनिस्टर का टेलीफोन किसी सेल्स टैक्स अधिकारी के पास चला जाय तो क्यों नहीं वह उनको ओब्लाइज करेगा ? क्यों नहीं वह अधिकारी उनको फेवर करेगा जब कि एक अधिकारी उनके अकोमोडेशन के लिए व्यवस्था कर सकता है तो यह क्यों नहीं करेगा ? मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप उनको चेलेन्ज करें तो मैं उनको पेश कर सकता हूं । पेश कर देने में ही फायदा है । यह आपके सेल्स टैक्स अधिकारी की चिट्ठी है । उन्होंने मैनेजर सरकिट हाउस, जोधपुर को लिखी है । २९ मार्च की चिट्ठी है । नम्बर एस. डी. । ४६४ । उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्रीजी आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए जगह का इन्तजाम करिये । इस प्रकार क्वाजी जुडिशियल ओफिसर एक वित्त मंत्री के ठहरने की व्यवस्था करता है । ऐसे सेल्स टैक्स अधिकार में जनता का विश्वास नहीं हो सकता कि वह फेवरेटिज्म नहीं करेगा । मैं इस कागज को सदन की मेज पर रखना चाहता हूं । ये उनके ओरीजिनल कागज हैं यदि मंत्री महोदय इसको चेलेन्ज करना चाहते हैं तो यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

(सदन की मेज पर रखा गया)

मैं यह नहीं कहना चाहता कि वित्त मंत्री महोदय के ३१ मार्च को जोधपुर जाने का क्या विशेष महत्व हो सकता है ? जब फाइनेन्शियल ईयर क्लोज होता है वह जाते हैं । दो दिन ठहरते हैं । मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता और कानून तक ही महदूद रहना चाहता हूं ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों में सेल्स टैक्स की जुडिशियरी इस प्रकार फंक्शन कर रही है । इस प्रकार के अधिकार जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है उसके द्वारा कमिश्नर को अधिकार न दिये

Page No 112

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जायं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सैल्स टैक्स के प्रावधानों में और कुछ अमेन्डमेंट्स किये हैं उन सारे प्रावधानों में जो आपने महत्वपूर्ण अमेन्डमेंट किये हैं उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अमेन्डमेंट एक यह है कि अब जो केजुवल ट्रेडर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि केजुवल ट्रेडर्स को छूट दी गई है कि केजुवल ट्रेडर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पांच हजार से नीचे जिनका ट्रेड है वे केजुवल ट्रेडर्स माने गये हैं और उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके इम्प्लीकेशन्स मंत्री महोदय यह है, सारे सैल्स टैक्स के एडवोकेट्स एक मत हैं, केजुवल ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डबल टैक्सेशन ऐसे ट्रेडर्स को देना पड़ेगा। कोटा की मसूरिया बहुत प्रसिद्ध हैं। एक चिट्ठी मेरे पास आयी है। मैं समझ नहीं सका। सैल्स टैक्स के एडवोकेट कहते हैं कि डबल टैक्स देना होगा। इसका नतीजा क्या होगा कि लोई बनती है, मसूरिया बनती हैं, ये जो छोटे २ ट्रेडर्स हैं, बुन कर हैं, अपना बुनकर का काम करते हैं और जो पांच हजार वार्षिक आय नहीं कर सकते, एक करधा लगा रखा है, उनको जो सहूलियतें रजिस्ट्रेशन के जरिये से मिलती हैं, किसी चीज के उत्पादन के लिए यदि वह कोई चीज खरीदता है एक पर्सेन्ट सैल्स टैक्स देकर वह खरीद लेता है, उसको भी सैल्स टैक्स पूरा देना पड़ेगा। उसको कुछ चीजों में ६ पर्सेन्ट और कुछ चीजों में दस पर्सेन्ट सैल्स टैक्स देना पड़ेगा। चूंकि वह रजिस्टर्ड नहीं है उसको टैक्स देना पड़ेगा। जिसके हाथ में चीज है उत्पादन के लिए उससे लेने पर टैक्स देना पड़ेगा; ६ पर्सेन्ट और चीज बना कर रजिस्टर्ड डीलर को दिया जावेगा तो ६ पर्सेन्ट और उस पर लग जावेगा। इससे होगा क्या ? यह होगा कि जो छोटे बुनकर हैं, छोटे २ ट्रेडर्स हैं उनको डबल टैक्स देना पड़ेगा। किस प्रकार ये अपने धन्धे का रख सकेंगे ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इसमें डबल नहीं ट्रिबल लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : १८ पर्सेन्ट उन्होंने बता दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सम्पत्तिलालजी पधारे हैं और उन्होंने व्याख्या की है। मैं उनकी व्याख्या को मान लेता हूं क्योंकि वे एक्सपर्ट हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन छोटे २ व्यापारियों पर, इन छोटे २ बुनकरों पर और उत्पादन करके वाले हैं ये जो छोटे व्यापारी उन पर थोड़ी कृपा करिये, आप रजिस्ट्रेशन कायम रहने दीजिये और उसके लिए आप कोई फीस लेना चाहें, वह ले लीजिये लेकिन डि-रजिस्ट्रेशन करके उनके ट्रेड को बर्बाद मत करिये।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में जो रिविजन जाता है, आपने यह प्रावधान कर दिया है कि एक जज ही बैठ कर सुन लेगा और उसका फैसला फाइनल होगा। मैं यह निवे निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्पेशल अपील होती है लैंड रेवेन्यू एक्टके तहत।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्पेशल अपील के लिये ग्राउन्ड्स हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास निगरानी होती है, रिवीजन की प्रोसीडिंग की कार्यवाही होती है उसके सिलसिले में स्पेशल अपील जरूरी होती है। एक जज सुन ले उसके बाद भी लॉ पोइन्ट रिवीज़न में इन्वोल्व्ड रहता है तो वह डिवीज़न बेन्च के सामने जाता है। डिवीज़न बेन्च के हटाने का नतीजा यह होगा कि कानून में जो कमियां रह जायं या फैसले में कमी रह जाय तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। यह लिटीगेशन कम होने वाला नहीं। रेवेन्यू बोर्ड में स्पेशल अपील नहीं होगी तो रिट होगी हाई कोर्ट में मामला जायगा, आपका इन्टेन्शन है वह रोक देंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्पेशल अपील का प्रावधान है वह उचित है। सारा लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत है। रिवीजन एक जज सुनता है, डिवीज़न बेन्च में अपील होती है इसलिये सेल्स टेक्स कानून में रद्दोबद्दल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इन प्रावधानों का विरोध करना चाहता हूं।

सबसे ताज्जुब की बात जो मैं देखता हूं इस सारे बिल में सरकार द्वारा कोई टेक्स नहीं बढ़ाया गया है, जो मौजूदा रेट है उसको नहीं बढ़ाया गया है; लेकिन प्रोसीजर बदल दिया है। यह कानून पास हो जाय जैसा कि आपको यह प्रोसीजरल लगता है, इसके अन्तर्गत कमिश्नर साहब को सारे पॉवर्स दे दिये गये हैं, कमिश्नर को सर्व शक्तिमान बना दिया गया है, बिजनेस की परिभाषा बदल दी है। सारा प्रोसीजर का नतीजा यह होने वाला है कि जुडिशियरी को कमजोर किया जाय और कमिश्नर को मजबूत किया जाय, उसको सर्व शक्तिमान बनाया जाय। अब तो कोई डिस्प्युटेड पोइन्ट आ जाय कि टैक्स की दर क्या हो, तो उसके लिये फाइनल फैसला कमिश्नर का होगा। कानून द्वारा रेट्स मुकर्रर कर दीं; किस प्रकार और कितना सेल्स टैक्स लगेगा उस पर कमिश्नर का फाइनल फैसला है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह क्यों न जाने दिया जाय, जब कि विधान सभा को यह अधिकार दिया है कि किस किस चीज पर क्या टैक्सेशन होगा, कमिश्नर महोदय को अधिकार नहीं। कमिश्नर महोदय तो हमने जो लॉ बनाया है उसके अनुसार उसका पालन करते हैं। रेट क्या होगी इसका फैसला तो हम करने वाले हैं। अब तो कमिश्नर जो भी फैसला दे वह फाइनल होगा। ऐसे प्रावधानों को लेकर एक रूलिंग है जिसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार के जो आर्बीट्रेरी पॉवर्स है कानून के अनुसार नहीं दिये जा सकते यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एग्ज़ीक्युटिव को ये प्रावधान दे दिये जायं तो वे कानूनी शरण ले सकते हैं; जिस प्रकार प्रत्येक आॅर्डर के लिये कानूनी शरण ली जाती है आर्बीट्रेरी प्रोवीजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ीक्यूटिव को जो अधिकार दिये थे उसके बारे में कहा गया। कोल कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत यू० पी० सरकार ने मनमाने अधिकार दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इस प्रकार आर्बीट्रेरी पॉवर्स जो दिये जाते हैं उससे सारा कानून गलत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ८०३ १९५४ में रिपोर्ट किया है :

"A law or order which confers arbitrary and uncontro-lled power

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

upon the executive in the matter of regulating trade or business in normally available commodities must be held to be unreasonable, under cl. 4 (3) of the U. P. Coal Control order, 1953. licensing authority has been given absolute power to grant or refuse to grant, renew or refuse to renew suspend, revoke, cancel or modify any licence under this order and the only thing he has to do is to record reasons for the action he takes. Not only so, the power could be exercised by any person to whom the State Coal controller may choose to delegate the same and the choice can be mape in favour of any and every person. Such provisions cannot be held to be reasonable."

मैं निवेदन करना चहूंगा । जिस प्रकार के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किये हैं उसी प्रकार के प्रावधान कमिश्नर के मामले में आप इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे पॉवर्स दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं, कानून के सिद्धान्त के खिलाफ, विधान सभा की मंशा के खिलाफ अधिकार दे रहे हैं। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूं । आप सेल्स टैक्स एक्ट को एक ही लाइन में समाप्त कर सकते हैं। उसमें आप एक लाइन में यह अधिकार दे दीजिये कि कमिश्नर जिस प्रकार की रेट मुकर्रर करेगा, जो उसके आदेश होंगे वे विधान सभा द्वारा दिये हुए हुक्म माने जायेंगे । बस इससे हमारे कमिश्नर शासन के सुप्रीम आथोरिटी बन जायेंगे, यह सबसे उचित प्रावधान होगा ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेल्स टैक्स का डिपार्टमेन्ट इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं। कमिश्नर हैं, दो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कितने ही असिस्टेन्ट कमिश्नर्स हैं, एक एडीनल कमिश्नर है। धारा १२० में जो अधिकार लिये थे चार साल की बजाय आठ साल के पुराने सेल्स टैक्स के मामले खोल सकते हैं उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नोटिस दे दिया जाय । पुरानी लाएबिलिटी को वसूल करने के लिये प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा में नोटिस देना पड़ेगा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट पांच साल में इसने क्या किया, कमिश्नर जैसे अधिकारियों ने जो इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट लेकर चल रहे हैं क्या इसके प्रोफोर्मा मुकर्रर किया है। मेरे पास ओथोरिटी है हाई कोर्ट की कि जिसमें सेल्स टैक्स अधिकारी ने पुराने सेल्स टैक्स के मामले में बिना प्रोफोर्मा दिये नोटिस दे दिया उसको हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जब तक प्रेसक्राइब्ड प्रोमोर्फा में नोटिस नहीं दें यानी प्रोफोर्मा कानून में निर्धारित रूल्स में निर्धारित न कर दिया जाय कोई भी लाएबेलिटी वसूल नहीं की जा सकती, नोटिस नहीं दिया जा सकता ।

पांच साल हो गये इस कानून को बने, अभी तक प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा क्यों नहीं बना दिया गया ? इतना बड़ा विभाग है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो रूल्स डेलीगेट करवा लेते हैं प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा में पुराने टैक्स वसूल करेंगे पांच साल हो

Page No 115

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गये प्रोफोर्मा प्रेसक्राइब क्या नहीं किया गया ? हाई कोर्ट ने फैसला आपके खिलाफ दे दिया । तब जाकर आप यह सोचने लगे हैं कि प्रेसक्राइब्ड प्रोफोर्मा के बारे में जो आब्जर्वेशन हाई कोर्ट के हैं वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"In providing for a notice in the prescribed form, it was the intention of the legislature that the assessing authority should furnish the requisite information to the dealer to enable him to show the cause for not proceeding under sec. 12 and it is with that view that an imperative duty was cast on tne sales-tax officer to serve the assessee with a notice in the prescribed form. In our opinion, the assessing authorities cannot proceed to take action under section 12 unless a notice in terms of the provisions of sec. 12 is prescribed by a rule making authority and the notice in that form is served upon the assessee. In these circumstances, it was absolutely necessary for the rule making authority to have prescribed a form under sec 12 for the use of the sales-Tax officer."

मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे मेटर्स में जिसमें एक लाएबेलिटी कमिश्नर महोदय पर है। रूल मेकिंग आॅथोरिटी सजेस्ट करेंगे। मेरा यह चार्ज है कि जो लाइबेलिटी इस कानून ने कमिश्नर को आयद की उसको कमिश्नर ने पूरा नहीं किया। पांच साल हो गये कानून को बने हुए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की और अगर कोई की है तो वह गैर कानूनी थी, इल्लीगल थी, अल्ट्रावायर्स थी। इसलिये कानून तो हम बना दें और कमिश्नर साहब उस कानून को लेकर सो जायं, उनको आप और सर्व शक्तिमान बना रहे हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कमिश्नर महोदय जो कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करें, डेलीगेट लेजिस्लेशन तक का निर्माण नहीं कर सकें ऐसे अधिकारियों को सर्वशक्तिमान बनाना बहुत खतरनाक है। इसलिए इनकी सारी पॉवर्स आपने बढ़ाई हैं इस कानून के द्वारा, मैं उनका मूलतः विरोध करना चाहता हूं। इसके साथ ही सभापति महोदया, जहां तक दूसरे छोटे मोटे सवालों का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैल्स टैक्स के द्वारा जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उदाहरण के तौर पर पान के व्यापारी हैं, वे जो पान लगाते हैं उनको मेन्यूफेक्चरार की डेफीनेशन में लिया है। पान पर चूना और कत्था लगाना आपके विभाग के द्वारा मेन्यूफेक्चरार की डेफीनिशन में लिया गया है। इसके लिए वे लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने कहा कि वह मेन्यूफेक्चरार की डेफीनिशन में नहीं लिए जा सकते और उन पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी वे लोग परेशानी में हैं और आखिर कानून में संशोधन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता। आज छोटे छोटे व्यापारियों को सैल्स टैक्स अधिकारी परेशान करते हैं। मैं आपको एक बनेड़ा का उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा)

बनेड़ा के केस में क्या हुआ कि आपके सेल्स टैक्स ऑफिसर जिस चीज पर खुद लिखते हैं कि इस पर बिक्री कर चुकाया हुआ है। बिक्री कर के लिए आपने तो प्रावधान कर दिया कि एक बार वसूल करेंगे। एक बार जब सेल्स टैक्स अधिकारी ने ऑर्डर में लिखा है कि इस पर बिक्री कर चुका दिया है तो भी उसी ऑर्डर में दुबारा बिक्री कर असेस कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियरी का और प्रान्त में कानून का साफ तौर से उल्लंघन हो रहा है। उसकी खुद आप रेस्पेक्ट कम कर रहे हैं। ज्युडिशियरी की रेस्पेक्ट तब होगी जब कि आप कानून के अनुसार चलेंगे और टैक्स ज्यादा वसूल हो जाये। इस नीयत से जनता को परेशान करना चाहेंगे तो उससे तो जुडिशियरी की रेस्पेक्ट नहीं बढ़ सकती। सेल्स टैक्स ऑफिसर की दो जिम्मेदारियां हैं एक तो कानून का उल्लंघन न हो, स्टेट के इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसके साथ ही साथ इन्डीविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना सेल्स टैक्स ऑफिसर का काम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जजमेंट जिनमें कि डबल टैक्सेशन किया गया है और इस तरह के ऑर्डर्स की कापी दिखाऊंगा जिनमें एक बार तो लिखा गया है कि इसमें बिक्री कर चुकाया हुआ है और दुबारा उसी पर बिक्रीकर असेस कर दिया है। आप देखेंगे कि ऐसे मामलों में एक केस का नाम सोहनलाल चांदकरण बनेड़ा, तहसील मांडल जिसमें सेल्स टैक्स ऑफिसर ने हुक्म दिया है...

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): ऐसे केसेज एक नहीं हैं। आपका हर डिपार्टमेन्ट में, हर असेसी की फाइल में इसका उदाहरण मिलेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इस तरह के हजारों केसेज हैं। मैंने एक केस पेश करके तो डिपार्टमेंट की जो जनरल प्रवृत्ति है उसकी ओर इशारा किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल आप लाये हैं, जिस तरीके से लाये हैं, जो प्रावधान आपने इसमें डाले हैं यह बहुत खतरनाक हैं। यह हमारे संविधान के प्रतिकूल हैं और जहां तक आपके सेल्स टैक्स, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के द्वारा आप व्यापारियों पर चाहे जितना सख्त प्रावधान ले आयें कि जो भी कानून की अवहेलना करेगा उनका प्रॉसीक्यूट किया जायेगा, उनके खिलाफ मुकदमे बनाये जायेंगे, उनको ६ महीने की सजा और जुर्माना किया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रवृत्ति है कि आप हर एक कानून के उल्लंघन पर प्रोसीक्यूशन और धमकी इस बात की कि क्रिमिनल कोर्ट में चालान कर दिया जायेगा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है। आपका व्यापारी जो कि टैक्सपेयर है, आप हर व्यापारी को, हर टैक्सपेयर को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं तब तो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जिस देश में प्रत्येक टैक्सपेयर क्रिमिनल की तारीफ में आता है वह देश कभी इज्जत करने वाला देश नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आप टैक्स की लाएबिलिटी स्ट्रॉंग से स्ट्रॉंग कीजिए और हमने बहुत बार सुझाव दिया कि जहां तक आपके पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्स का प्रश्न है आपयें टिकट छपाये और वह टिकट आप बेचिये। वह टिकट या तो टिकट पर लगे हुए हों क्योंकि बस में बैठने वालों को टिकट दिये जा सकें और आपके पैसे का भी पूरी तरह से रियलाइज़ेशन हो सके। अगर ऐसा किया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी बकाया दूसरे लोगों में बाकी रहे। सिनेमा में जो टिकट दिये जाते हैं उनके लिए भी मुझे निवेदन करना है कि आपका टिकट उनके टिकट के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए और वही बिके। इस तरह का आप प्रावधान करें ताकि आपकी वसूली हो जाये और जिसको टैक्स चुकाना है उनको यह विचार न हो कि हम तो गये जेल में और जुर्माना हुआ और सरकार उसके लिए प्रोसिक्यूशन करेगी, ऐसा उनको हमेशा डर लगा रहता है। सरकार कौन है? आप हैं। यदि दस व्यापारी आपके मिलने वाले हैं आप उनको प्रोसीक्यूशन नहीं करेंगे। यदि कोई व्यापारी विरोधी दल का आपका सामना करता है तो आप उसका प्रोसीक्यूशन कर देंगे। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो डिस्क्रिशन है यह आप अपने हाथों में ले रहे हैं यह भी आप नये आने वाले चुनावों के लिए और उनको दृष्टि में रखते हुए ले रहे हैं। मर्जी आये जिसको प्रोसीक्यूट करें; मर्जी आये जिसको नहीं करें...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं एक बात साफ कर दूं, आप भी उसको साफ कर दें कि जो व्यापारी ग्राहक से सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है और सरकार को जमा नहीं कराता है सरकार उसको यों ही छोड़ दे, यही आपका मतलब है। क्योंकि वह आपका साथ देता है इसलिए उसको छोड़ दे।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि सिद्धान्त स्वीकार करते हैं तो यह कहें कि प्रत्येक उल्लंघन पर प्रोसीक्यूशन लाजिमी होगा और उसमें कोई सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आपने उल्लंघन किया, आपका प्रासिक्यूशन हुआ और कॉग्निज़ेबल आफेन्स बना दिया जाता है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जिस तरह से काबिले दस्तन्दाजी जुर्मों में चालान पेश करते हैं उसी तरह से चालान पेश कर दें। यानी मेरे कहने का मतलब साफ यह है कि आप सबको एक डण्डे से हांकिये। प्रत्येक उल्लंघन को कानूनन आप सजा देना चाहते हैं और वह है प्रोसीक्यूशन, ६ महीने की सजा और जुर्माना। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ उल्लंघन इस तरह से हो सकते हैं जिनकी सजा दी जाये लेकिन एक दिन की देरी आपके टैक्स रिटर्न में हो गई तो आप उसका प्रोसीक्यूशन करना चाहते हैं। मेरी पार्टी तो एक दिन की देरी पर प्रोसीक्यूशन नहीं करना चाहती है और जो पार्टी इसके पक्ष में है कि प्रत्येक बात

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

में प्रोसीक्यूशन हो वह जनतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है और वह जनतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर रही है। जिस

Page No 118

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

देश का बिज़नेसमैन, इन्डस्ट्रलिस्ट क्रिमिनल हो जायेगा वह सारा देश क्रिमिनल कन्ट्री में कनवर्ट हो जायेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने देश में मेरे चारों तरफ से क्रिमिनल की निगाह से देखूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसलिए यह जो प्रोसीक्यूशन आप हर बात में करते हो, यह जो प्रवृत्ति बनती जा रही है, गलत है और विरोधी दल के कुछ लोग भी जो हर बात में कहते हैं इसका प्रोसीक्यूशन किया या नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स की वसूली आप करें। आपका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कीजिए और उसमें पीनल क्लॉज़ रखिये। आप जो टैक्स रखते हैं यदि वह १ साल में या ६ महीने में जमा नहीं कराता है और बाद में जमा करा देता है तो उस पर आप इन्टरेस्ट ले लें। कोई लिमिट हो कि जो आदमी दो महीने में नहीं कराता है, एक साल में नहीं कराता उसके बाद में आपकी सीमा का उल्लंघन करे तो प्रोसीक्यूशन होगा। यह क्या कि हर छोटी बात में प्रोसीक्यूशन हो रहा है? इसलिए जो इनडिस्क्रिमिनेट पावर्स हैं प्रोसीक्यूशन के मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता और सबसे बड़ी बात आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने अभी कमिश्नर महोदय को बहुत बड़े अधिकार दिये हैं जिसका एक हवाला तो सेक्शन १२ का मैंने दिया कि सेक्शन १२ में उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोर्मा बनाना चाहते थे वह नहीं बनाया और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो सुविधा विधान सभा ने दी कि ५० हजार से कम जिन व्यापारियों का टर्न-ओवर है उनके ३ साल पीछे के टैक्स को देख कर उसके एवरेज से आने वाले ३ साल के टैक्स को उनसे वसूल कर लिया जायेगा। यह जो कानून में प्रावधान डाला गया सरकार ने उसका उपयोग किया? क्या कमिश्नर महोदय ने उसका उपयोग किया? यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? विधान सभा ने आदेश दिया कि ५० हजार से नीचे के टर्न ओवर वालों से ३ साल के टैक्स के एवरेज से आगे ३ साल तक उनसे टैक्स ले लिया जाये बिना किसी असेसमेंट के और वह लोग कितने हैं? इस तरह के ३० हजार व्यापारी हैं जिनका ५० हजार से नीचे का टर्न ओवर है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका वर्क लोड कम हो जायेगा, आपके सेल्स टैक्स अधिकारियों की संख्या आप कम कर सकते हैं और प्रशासनिक खर्चा कम कर सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भ्रष्टाचार कम हो जायेगा और उससे भी बड़ा फायदा यह है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनका टर्न ओवर ज्यादा है, आपके सेल्स टैक्स अधिकारियों की तवज्जोह उन मोटे व्यापारियों के टर्न ओवर की तरफ दे सकते हैं और उनसे ज्यादा टैक्स की वसूली कर सकते हैं। एक तो छोटे व्यापारियों के खातों को देखा जायेगा और एक लाख की सेल वाले खातों को यदि ध्यान से देखा जायेगा तो हो सकता है कि बड़े खाते वालों से एक-दो हजार का टैक्स आपको और मिल जाये और यदि हजार रुपये के टर्न ओवर वाले खातों के अन्दर आपके अधिकारी उलझे रहे तो हो सकता है ५-१० रुपये की वसूली कर

Page No 119

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लें लेकिन हजारों रुपये का जो टैक्स का इवेज़न कर रहा है वह यों ही साफ निकल जायेगा। जो टैक्स का इवेज़न बड़े बड़े व्यापारियों में हो रहा है, यह उससे रुकेगा। यह सारी जनरल प्रिन्सिपल्स की बातें कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार सारे मुद्दों पर बड़ी गम्भीरता से सोचेगी और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करेगी जिसमें बहस होकर यह बिल नये सिद्धान्तों के साथ और दकियांनूसी और गलत कानून का परित्याग करके विधान सभा में दुबारा पेश किया जायेगा-इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि समय बहुत कम रह गया है इसलिए मैं कल भी कन्टीन्यू करवाना चाहूंगा। जो राजस्थान कारारोपण विधेयक, १९६५ है उसमें मेरा एक प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए दो महीने के लिए प्रसारित किया जाये।

सभापति महोदया इसके लिए मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा कि जब यह कानून बनाया गया तब इसको इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया कि इससे किस किस वर्ग को लाभ हो सकता है और किस किस वर्ग को नुकसान हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इसको बनाया उसने यह मापदण्ड नहीं लगाया कि यह जो कानून बनाने जा रहे हैं वह किन किन पर लागू होगा और टैक्स जिनके ऊपर लागू होगा वह इसका किस तरह से हिसाब दे सकेंगे। उनको किसी भी तरह से सहूलियत देने की कोशिश नहीं की गई उन्होंने केवल यह सोचा कि मैं एक बड़ा ऑफिसर हूं, हर कानून से वाकिफ हूं उसी तरह का अपने आपको एक पढ़ा-लिखा और योग्य व्यक्ति समझते हुए उसने बाकी लोगों को इसी तरह से मापदण्ड में तोला। तो सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कानून बनाया गया है यह ऐसे लोगों के लिए जो कि पैसे वाले हैं, शक्तिशाली हैं, जिनके कि बड़े बिजनेस हैं, जो कि हिसाब-किताब सही तरीके से दे सकते हैं और उनकी इतनी सामर्थ्य है कि वह मुनीम रख सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह हावी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि जिन गरीब लोगों को टैक्स देना पड़े केवल सौ पचास रुपये और उसके उपरान्त उन छोटे लोगों को इतनी मुसीबतें उठानी पड़ें कि जिसकी वजह से टैक्स देने में दिक्कत हो। यह टैक्स देना जनता ने मन्जूर कर लिया लेकिन जो सरकार का वसूली का तरीका है यह बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि सभापति महोदया कुछ मिसालें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लगा है, बुनकरों की कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया, इसी प्रकार चमड़े का काम करने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया है। इसी तरह से छोटे छोटे कारीगर हैं जो कि दरवाजे बनाते हैं वह दिनभर में मुश्किल से मामूली काम करें और उनसे टैक्स लिया जाये। अतः यह जो सेल्स टैक्स संशोधन

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

बिल पेश किया गया है उसमें पिछड़े वर्ग तथा छोटे लोगों को छूट मिलनी चाहिए ? इस विधेयक में जब तक सरकार संशोधन नहीं करेगी तब तक छोटे लोगों को लाभ नहीं है। सेल्स टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी देखें कि छोटे लोग जो गांवों में तथा शहरों में छोटे छोटे धंधे करते हैं उनकी क्या दुर्दशा है। तो ऐसी स्थिति में गरीब लोग कैसे हिसाब रख सकते हैं और न दे सकते हैं। सभापति महोदया, मैं एक चमड़े का उदाहरण दूं । चमड़ा एक ऐसी चीज है कि जिस काम को साधारण व्यक्ति ही करते हैं। घ्रनिष्टा धन्धा है, सारे व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन पेट भरना है और संसार में रहना है और इसके अलावा दूसरा धन्धा नहीं मिल सकता इसलिए इस धन्धे को उन गरीबों ने अपनाया। चमड़ा ऐसी चीज है कि जो कि कई उद्योगों में काम में लाया जाता है । अगर उस चमड़े को विदेशों में भेजा जाता है उससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती है । किन्तु जो इस पर टैक्स लगाया है उसका हिसाब यह छोटे लोग सही तरीके से नहीं दे सकते। सरकार जब तक इन लोगों को इस योग्य नहीं बनाये कि वह हिसाब दे सके तब तक इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सरकार कानून बनावे तो उसमें जब तक सरकार यह नहीं देखेगी कि छोटे लोगों को किस प्रकार फायदा हो सकता है तब तक पिछड़े वर्ग या छोटे व्यापारी की दुर्दशा बनी रहेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

सभापति महोदया, मैं अभी कुछ नहीं बोल सका।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री वित्त) : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : शायद आपके समझने में फर्क है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो गलत टैक्स आप लगाते हैं उस टैक्स को किस गलत तरीके से आप वसूल करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : समय हो गया है क्या सदन की मन्शा है कि सदन का समय और बढ़ाया जाये और आपको ४ मिनट और दे दिये जायें ?

(सरकारी पक्ष से 'ना' की आवाज)

५ मिनट दिये जाते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो यह कहा है तो शायद उपमन्त्री महोदय ने समझने की कोशिश नहीं की।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री गृह) : आसन ने सदन के सामने हमारी सम्मति पूछी है समय बढ़ाने के सम्बन्ध में और इधर से (सरकारी पक्ष से) 'नो' की आवाज आई है तो उसके बाद आसन को अधिकार नहीं है, मुझे क्षमा किया जाय, कि समय बढ़ा दे, क्योंकि it has become the property of the House.

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर एक बार पूछना चाहती हूं कि क्या सदन की मान्यता है कि ५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ?

राज्य पद्म के माननीय सदस्य : No, no.

श्रीमती सभानेत्री : सभा की कार्यवाही कल ११ बजे प्रात:काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर १ मिनट पर दिनांक ६ अप्रेल, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

७५८२]
~~८२४३~~]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१६ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन-संघ को अस्पृश्यता निवारण छात्रावास व प्रोढ़शालाएं चलाने हेतु दी गई सहायता की सूची

क्रमांक	वर्ष	दी गई सहायता की धनराशि
१	२	३
१.	१६५६-६०	४१५३६
२.	१६६०-६१	४१०१६
३.	१६६१-६२	३७८४७
४.	१६६२-६३	३८२६०
५.	१६६३-६४	६८६७७

[७५८३

[~~८२४४~~

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो रकम पोते बाकी है, उसकी सूची

क्रमांक	नाम पंचायत	पोते बाकी
१.	गादोला	८७०·३० पैसे
२.	फलवा	६१·५४ ,,
३.	जावदा	२६१·४३ ,,
४.	केली	५६·२१ ,,
४.	कारुण्डा	८०·०३ ,,
५.	रानी खेड़ा	३३·७६ ,,
७.	बिनोता	११·०० ,,
८.	कोटडी कलां	२००·०० ,,

७५८४]
~~८९४५~~]

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर देखिये)

वन क्षेत्रों की सूची जो १९६२-६३ में वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित किये गये

क्र. सं.	नाम जिला	नाम वन मण्डल	रकबा एकड़ों में
१.	कोटा	कोटा	१११-६०
२.	बूंदी	बूंदी	११६-००
३.	झालावाड़	झालावाड़	६६१-००
४.	टोंक	टोंक	४४१-००
५.	जयपुर	जयपुर	४०-००
६.	अजमेर	अजमेर	२५-७२
७.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	१५४७-७१
			३२७२-३३

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-सोमवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७३४१	१	श्रणी	श्रेणी
७३४३	अन्तिम से ४	अनिक्रमियों	अतिक्रमियों
७३४४	शीर्षक	१ अप्रेल,	५ अप्रेल,
,,	अन्तिम से ५	त्रिभाग	विभाग
,,	अन्तिम	वर्षा	वर्षो
७३४८	शीर्षक	५ अप्रेल	५ अप्रेल,
७३४९	अन्तिम से ७	हृढय	हृदय
,,	अन्तिम से २	सभत्र	सम्भव
,,	अन्तिम	आपदे	आपने
७३५०	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
७३५४	अन्तिम से १०	संस्था	सस्था
७३५५	१	(जालोर)	(जालौर)
,,	अन्तिम से ६	छूआछूत	छुआछूत
७३५६	११	आदन	आदत
७३५९	अन्तिम से ४	वी	की
७३६०	शीर्षक	५ मार्च	५ अप्रेल
७३६४	१०	श्री हनुमानसिह चौधरी	श्री हनुमानसिंह चौधरी
७३६६	१	क्द्यार्थियों	विद्यार्थियों
,,	८	शर्तो	शर्तों
७३७२	४	गया है। वह मैं	गया है वह मैं
७३७५	६	सव	सब
,,	१४	ओघ्जेक्शन	ऑब्जेक्शन
,,	,,	बैमे	वैसे
७३७६	१४	पसेन्ट	पर्सेन्ट
,,	,,	इयर्स	ईयर्स
७६८१	अन्तिम से ८	श्री रामप्रसाद लड्ढा; तीन बिलजेज	श्री रामप्रसाद लड्ढा: तीन विलेजेज

(२)

१	२	३	४
७३८१	अन्तिम से ७	बिलेजेज	विलेजेज
,,	अन्तिम से ९व ३	अवेनेबल	अवेलेबल
७३८६	१४	वरसात	बरसात
७३९०	८	विघोड़ी	वीघोड़ी
७४०१	अन्तिम से १०	पचायत	पंचायत
७४०२	शीषंक	तारांकित प्रश्नोत्तर –५ अप्रेल, ६५– तारांकित प्रश्नोतर	तारांकित प्रश्नोत्तर –५ अप्रेल, ६५– तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१	उप: मन्त्री; पंचायत	उप-मन्त्री, पंचायत
,,	१९	ब्रार	बार
७४१३	९	श्री परसराम मदेग्णा	श्री परसराम मदेरणा
,,	१०	अध्वक्ष	अध्यक्ष
,,	१२	विधेवक	विधेयक
,,	१३	विचारार्थ	विचारार्थ
,,	अन्तिम से ६	बिचारार्थं	विचारार्थ
७४१४	शीर्षक	५ •अनेल	५ अप्रेल
७४१५	६	कर्व	कर्व
७४१६	११	विल	बिल
७४१८	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर–५ अप्रेल, ६५–अतारांकित प्रश्नोत्तर	राजस्थान करारोपण विधियां –५ अप्रेल, ६५– (संशोधन) विधेयक, १९६५
७४२०	शीर्षक	१ अप्रेल	५ अप्रेल
,,	स्कम्भ	७३२१	७४२१
,,	६	रवेन्यू	रेवेन्यू
,,	अन्तिम से ६	ऑफ	ग्रॉफ
७४२१	स्कम्भ	७३२१	७४२१
,,	अन्तिम से ५	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम से २	प्रादधान	प्रावधान
७४२२	शीर्षक	राजस्थान करारोपण विधियां–	राजस्थान करारोपण विधियां
,,	१४	की सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम	हू	हूं

१	२	३	४
७४२३	१	दीये जा सकती	दिये जा सकते
,,	१६	मॉननीय	माननीय
७४२४	शीर्षक	राजस्थान करारोपण विधियां	राजस्थान करारोपण विधियां
७४२६	शीर्षक	१ अप्रल	—५ अप्रेल,
७४३१	१	प्रोविन	प्रोविजन
७४३२	शीर्षक	अरेल	अप्रेल
७४३४	शीर्षक	१ अप्रेल	५ अप्रेल
७४३६	६	(टोक)	(टोंक)
७४३८	१६	चार	चोर
७४४०	२०	बेलों	बैलों
,,	अन्तिम	वनते	बनते
७४४२	अन्तिम से ६	यिदाउट	विदाउट
७४४३	१०	पूछत	पूछता
,,	अन्तिम से ३	धिश्वस्त	विश्वस्त
७४४४ व			
७४४५	१०, १४ व १८	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
७४४६ व			
७४४७	३०व१३	नेक्सट	नेक्स्ट
७४४८	४	इम्पॉर्टेंट	इम्पोर्टेन्ट
७४५०	२०	टैक्सबल	टैक्सेबल
७४५४	१	केजवल	केज़ुअल
,,	१६	पाट्स	पार्ट्स
७४५५	२५	ब्योपारी	व्यापारी
,,	२७	वच	वेच
७४६४	शीर्षक	बिधियां	विधियां
,,	१६	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	२४	मरा	मरा
७४६५	१२	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
७४६८	८, २१	,, ,, ,,	,, ,, ,,
७४६९	२२	,, ,, ,,	,, ,, ,,

(४)

१	२	३	४
७४६६	५	गी गति	गति
७४७३	४,१८,२५	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
७४७५	अन्तिम से ३	बोड	बोड
७४७८ व	अन्तिम से १४		
७४७६	३,१४ व २	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	१५	महारावल श्रा लक्ष्मर्णसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
७४८०	११	वाइडन्ड	वाइन्डेड
,,	१३	वे	वे
७४८१	४	श्रीमती समानेत्रो	श्रीमती सभानेत्री
७४८२	शीर्षक	५ अप्रा	५ अप्रेल
७४८३	२१	शियड्यूशल	शिड्यूल
,,	अन्तिम से ६	श्री मोनिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द्र सुराणा
७४६२	शीर्षक	राजस्थान करारोपण विधियां	राजस्थान करारोपण विधियां
७४६४, ७४६६एवं	शीर्षक	-५ अप्रेल, ६५- (संशोधन),	-५ अप्रेल, ६५- (संशोधन)
७४६८	....	१६६५	विवेयक, १६६५
७४६५	१	फैसल	फैसला
७४६७	२	डडते	डरते
,,	५	shail	shall
७४६८	१५	Act 1956 '7	Act, 1957
७५०१	१७	स्टे दे सकता	स्टे दे सकती है। In
७५०४	अन्तिम से २	यहां, हो यहां	यहां हो, यहां
७५०५	१४	में यदि "आज मैं	में यदि आज मैं
७५०६	अन्तिम से १०	श्री निरन्जननाथ आचाग	श्री निरन्जननाथ आचार्य
७५०७	१७	ब्यक्ति	व्यक्ति
७५०६	अन्तिम से ५	डेफिनिशन ,।	डेफिनिशन ।
७५१२	अन्तिम से ६	सीसाइटीज	सोसाइटीज
७५१३	६	अपन	आपने
७५१७	अन्तिम से ६	ही	हो
७५१८	अन्तिम से ३	करना	करने
७५२४	६	श्री बृजमुन्द शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा

१	२	३	४
७५२४	२०	बेंच फे	बेंच के
७५२५	१८	एब्सोल्यूट	एब्सोल्यूट
७५२६	२२	मी	मी
७५२७	अन्तिम	री-ड्राफिटग	री-ड्राफ्ट
७५४१	४	बांबू	आंबू
७५४४	शीर्ष	श्री मानिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७५४५	अन्तिम से ४	Judgement	judgment
७५४८	अन्तिम से ४	stayed	stayed"
७५५०	शीर्ष	श्री मानिकचन्द मुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७५५१	२१	श्री सम्पतिनाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम से २	सेटिसफाई	सेटिसफाइड्
७५५२	१३	एकसट्रा	एक्स्ट्रा
७५५३	१६	केंम	केस
७५५४	२	avoi	avoid
,,	३	respectd	respected
७५५५	१४ व १५	अपीलेंट	अपीलेट
,,	अन्तिम	जिस	जिन
७५५८	शीर्ष	श्री मानिकचन्द मुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७५६६	६	1953.	1953,
,,	६	renew suspend	renew, suspend
,,	१७	mape	made
,,	२१	ाचहूंगा	चाहूंगा
७५६७	५	हैं । कमिश्नर	है; कमिश्नर
,,	७	एडीनल	एडीशनल
,,	१५	मेंट पांच	मेंट है, पांच
,,	अन्तिम से ६	लाएबेलिटी	लाएबिलिटी
७५६९	१	क्या	क्यों
,,	१५	tne	the
,,	१०	डेलीगेट	डेलीगेटेड
७५७०	शीर्ष	श्री मानिक चन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)

१	२	३	४
७५७२	४	आपयें टिकट छाये	आप ये टिकट छपायें
७५७३	१३	प्रासित्वयूशन	प्रोसीक्यूशन
७५७४	१	इन्डस्ट्रिलिस्ट	इन्डस्ट्रियलिस्ट
७५७६	१४	जावाज	ग्रावाज
,,	अन्तिम से ११	उपमन्त्री	उप-मन्त्री
७५८०	शीर्षक	विधिया	विधियां